Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का ११वां दिवस [संख्या ८

गुरुवार, १ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष : नोखा क्षेत्र से श्री रावतमल पारीक, नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे।

(श्री रावतमल पारीक द्वारा शपथ ग्रहण)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, स्वायत्त शासन, आयुर्वेद, सार्वजनिक सम्पर्क, चिकित्सा, कृषि एवं सिंचाई, स्वास्थ्य, पंचायत, यातायात, वन तथा खाद्य एवं रसद-विभाग]

प्रश्न संख्या २७२

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

भरतपुर जिले के बान्धों की मरम्मत व बाढ़ रोकने हेतु प्रावधित रकम में से हुआ व्यय

२७३. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) भरतपुर जिले के बांधों की दुरुस्ती करने या बाढ़ों के रोकने के साधन बढ़ाने के लिए इस वर्ष कितनी रकम का प्रावधान रखा गया था?

(ख) उक्त रकम में से इस समय तक कितना व्यय हुआ है तथा उससे कौन कौन से कार्य हुए हैं? तालिका सदन की मेज पर रखी जावे।

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) भरतपुर जिले के बांधों की दुरुस्ती कराये जाने के लिये अलग से कोई रकम नहीं रखी गई। उस डिवीजन को कुल ६,१२,०००) रुपया स्वीकृत किये गये थे। इसमें से ३,००,०००) रु० भरतपुर सब डिवीजन के लिये रखा गया है। बाढ़ों को रोकने के साधन बढ़ाने हेतु १५ लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

Page No.2

(श्री दौलतराम सारण)

(ख) बांधों की दुरुस्ती के कार्य पर इस वर्ष माह जुलाई तक ६६,८११.६१ रुपये खर्च हुए जिसकी तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है। बाढ़ों को रोकने के कार्य पर इस वर्ष माह जुलाई तक १,६८,५०४.६७ रुपये खर्च हुए जिसकी तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह जो कहा गया है कि भरतपुर जिले में बांध के दुरुस्त कराये जाने के लिये अलग से कोई रकम नहीं रखी गई, मैं इसका स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा कि क्या गवर्नमेंट के यहां प्रोविज़न नहीं है बांध के रिपेअर्स के लिए ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : कि मैंने कहा कि मेन्टीनेन्स और रिपेअर्स के लिये ६,१२,०००) रु. हैं उसमें से ३,००,०००) रु. जो है वे भरतपुर के लिए रखे गये है, वह रिपेअर्स का है ५७ बान्धों का जैसी कि सूची माननीय सदस्य के पास में होगी। मेरा ऐसा ख्याल है कि उसमें कुल मिला कर ६६,०००) रु. खर्च हुए हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने लिखा है कि भरतपुर जिले के बांधों को दुरुस्त कराने के लिए अलग से कोई रकम नहीं रखी गई और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रिपेअर्स और मेन्टीनेन्स के लिए है। दोनों में से कौनसी बात सही है ?

श्री भीखाभाई : रुपये जनरली रखे जाते हैं और जहां जहां जरुरत देखते हैं आवश्यकता के अनुसार दुरुस्ती कराई जाती है। मैंने यह अर्ज किया है कि मेन्टीनेन्स के लिए डिविज़न भर के लिए ६ लाख रुपये मंजूर हुए थे उसमें से ३ लाख रुपये अलॉट कर दिये थे उसमें से खर्च किये गये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जहां तक मुझे स्मरण पड़ता है पिछले साल इसी सदन में इसी विषय के सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि ४ लाख रु. भरतपुर के बांधों के लिए रखे गये हैं जिससे कि आगे बाढ़ नहीं आवे, इसके लिए प्राव-धान किया गया था। इसके विपरीत जो उत्तर मुझे आज यहां मिल रहा है उसके बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट ने इस आश्वासन की पूर्ति नहीं की ?

श्री भीखाभाई : इसकी पूर्ति सवाई, ड्योढ़ी कर दी गई है। बाढ़ रोकने के काम के लिये ६ लाख से ज्यादा ही रुपये खर्च किये हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय सदस्य दोनों चीजों को मिला रहे हैं। मेन्टीनेन्स दूसरी चीज है, फ्लड कन्ट्रोल दूसरी चीज है।

श्री अध्यक्ष : भरतपुर एरिया में ६ लाख रुपये खर्च किये हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : जी, हां। पूरा प्राव-धान १५ लाख रुपयों का है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें उत्तर यह है कि बांधों की दुरुस्ती के कार्य पर इस वर्ष माह जुलाई तक ६६,८११.६१ रुपया खर्च हुआ और बांधों को रोकने के कार्य पर इस वर्ष माह जुलाई तक

Page No.3

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

१,६८,५०४.६७ रुपये कुल खर्च हुए। इसमें ६ लाख कहां लिखे हैं ?

श्री भीखाभाई : आपने सवाल पूछा, पूरी रकम नहीं बताई है । भरतपुर में १२ जगह फ्लड कन्ट्रोल का काम चल रहा है। माननीय सदस्य दोनों कामों को मिला कर कन्फ्यूज़न कर रहे हैं, मेन्टीनेन्स के काम में और फ्लड कन्ट्रोल के काम में। फ्लड कन्ट्रोल के लिए भारत सरकार की स्कीम है जिसमें से ६ लाख रुपये खर्च हुए हैं और कुल प्रावधान १५ लाख का है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरा प्रश्न स्पष्ट है, "भरतपुर जिले के बांधों की दुरुस्ती करने या बाढ़ों को रोकने के साधन बढ़ाने के लिये इस वर्ष कितनी रकम का प्रावधान रखा गया था।"

श्री अध्यक्ष : अभी ये बता चुके हैं कि दो मुद्दों पर कितना खर्चा हुआ, मेन्टीनेन्स पर और फ्लड कन्ट्रोल पर।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : १ लाख, ६८ हजार रुपया बताया है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बाद में और बताया है ।

श्री श्रीभामसिंह (बयाना) : यह जो आपने फरमाया कि ५–६ लाख रुपयों की स्कीम सेन्टर की है । तो क्या सेन्टर ने आपकी स्कीम स्वीकार कर ली है ?

श्री अध्यक्ष : The amount of six lacs is under the Flood Control Scheme.

श्री श्रीभानसिंह : No, Sir. The Flood Control Scheme is under the Centre and the Government of Rajasthan has not submitted it to the Centre. That has not been approved and the amount has not been granted by the centre to Rajasthan.

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि राजस्थान सरकार ने फ्लड कन्ट्रोल बनाई है जिसे, जैसा कि नियम है, सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन के पास भेजा जाता है। जैसा कि मैंने निवेदन किया ६ लाख का काम पूर्ण हो चुका है जिसमें १२ काम हैं । माननीय सदस्य के दिमाग पहाड़ी और कामा के काम हो सकते हैं। कुछ कामों की स्कीम सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन के विचाराधीन है। ज्योंही इनकी स्वीकृति आ जायगी त्योंही काम शुरू किये जायेंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या इन ६ लाख में फ्लड कन्ट्रोल शामिल हैं और रिपेअर्स व मेन्टीनेन्स भी शामिल हैं ?

श्री भीखाभाई : मुझे मालूम नहीं, आपके पास कौनसी लिस्ट है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : लिस्ट जो सरकार की तरफ से आई है वही है, मैं घर से तो लाया नहीं हूं।

प्रश्न संख्या २७४

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित).

Page No.4

सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ का हैडक्वार्टर

२७५. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ का हैडक्वार्टर चूरू बनाया गया, फिर रतनगढ़ वापिस लाया गया और फिर चूरू भेजा गया ?

(ख) इस बार-बार के आवागमन में सरकार को कितना खर्चा उठाना पड़ा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) जी हां।

(ख) केवल ५२ रुपया ७५ न. पै. इस आवागमन में खर्च हुए थे।

श्री किशनाराम : तीन बार इधर उधर करने में क्या ७५ रुपये ही खर्च हुये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बताया कि ५२ रु. ७५ न. पै. खर्च हुए।

श्री किशनाराम : जरा डिटेलवार बताइयेगा कि किस किस मद में खर्च हुए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चूरू से रतनगढ़ आने जाने में खर्चा हुआ।

श्री किशनाराम : क्या चीजें गई थीं ? स्टाफ गया या सामान गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनका ऑफिस शिफ्ट किया गया था और वहां से वापिस आया, उसमें खर्चा हुआ।

श्री किशनाराम : ऑफिस में कौनसी चीज़ शामिल हैं, जरा बताने की कृपा कीजिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑफिसर शामिल हैं, सारा सामान शामिल है।

श्री किशनाराम : यदि ऑफिसर्स और सारा सामान शामिल है तो ५२ रुपयों में काम नहीं चल सकता, ज्यादा खर्चा हुआ होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यदि ज्यादा खर्चा हुआ है और कम बताया है तो अच्छा है, आपको क्या ऐतराज है ?

श्री किशनाराम : गलत बताया है, खर्चा ज्यादा हुआ है तो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : चूरू से रतनगढ़ का फासला कितना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ३० मील।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : तीन दफा ऑफिस बदलने का कारण क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ३ दफा नहीं बदला गया। डी.एम. एण्ड एच.ओ. ने पहले ऑर्डर दिया था इसलिए बदला गया।

मांड कलां, ग्राम नगर में भरने वाले वार्षिक मेले के प्रबन्ध हेतु आमन्त्रित टेन्डर्स

२७६. रावराजा श्री सरदारसिंह

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

[उनियारा–श्री श्रीभानसिंह (बयाना) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष मेला मांड कलां, ग्राम नगर, तहसील देवली, जिला टोंक में कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को भरा करता है ?

(२) अगर हां, तो यह मेला कितने दिन भरा करता है ?

(३) क्या यह सही है कि टैक्स मवेशी के अलावा और अन्य कर पंचायत द्वारा वसूल किये जाते हैं ?

(४) अगर हां, तो कितने कितने और कौन कौन से वसूल किये जाते हैं ?

(५) क्या यह सही है कि मेले के प्रबन्ध हेतु सफाई और रोशनी के लिए टेन्डर आमन्त्रित किये जाते हैं ?

(६) अगर हां, तो सन् १९५९ में कम से कम किसके टेन्डर थे और ज्यादा से ज्यादा किसके थे और इस वर्ष हुए मेले में यह टेन्डर किसको दिया गया ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: (१) जी हां।

(२) यह मेला ८ दिन भरा करता है।

(३) जी हां।

(४) मवेशी टैक्स के अलावा भूमि टैक्स वसूल किया जाता है।

(५) जी हां।

(६) सफाई के लिये सबसे अधिक बोली जगन्नाथ चमार, निवासी नगर की २०० रु० की थी और सबसे कम बोली नानगा चमार निवासी नगर की ६१ रु० की थी जो स्वीकार की गई। रोशनी के लिए किसी ने टेन्डर नहीं दिये । नैनवा के एक ठेकेदार को उसका ठेका दिया गया था।

श्री एस. पी. मैनी, भूतपूर्व एस. डी. एम. फतहपुर के विरुद्ध मान–हानि के दावे की वांछित स्वीकृति

२७७. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि श्री एस. पी. मैनी., एस. डी. एम. जो पहले फतहपुर (शेखावाटी) में थे, के विरुद्ध उस समय के नेछवा थाने के एस. एस. ओ. ने मान–हानि का मामला चलाने के लिये सरकार से स्वीकृति मांगी थी जो अब तक नहीं दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जन–हित में उचित नहीं था।

श्री किशनाराम : क्या फरमाया, सुनाई नहीं दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : फिर सुन लीजिये। (क) जी हां। (ख) जनहित में उचित नहीं था।

Page No.6

श्री शिवचरणदास (माण्डल) : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : जनहित में उचित नहीं था।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Was it in the public interest for the S.D.M. to accuse and abuse the gentleman about whom the question has been asked here ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिटेलियेशन होना कलेक्टर आदि ने उचित नहीं समझा।

श्री श्रीभानसिंह : क्या एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को गाली गलोच करे, इसे आप अच्छा समझते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आधार जो आपने बताया वह सही नहीं है। शिकायत यह है कि एस. डी. एम. ने लैटर लिख दिया था कि गलत दरख्वास्त थानेदार ने दिलवा दी।

एक माननीय सदस्य : जरा जोर से फरमाइये।

श्री रामकिशोर व्यास : वाकया आपने बताया उस तरह से नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, एक कॉरेस्पोन्डेन्स हुई थी उसमें एस. डी. एम. ने सब-इन्सपेक्टर को लिखा कि फरहद दरख्वास्त गलत दिलाई है, इसलिये यह बोन ऑफ कंटेन्शन था, जो फैक्ट्स रेकॉर्ड पर हैं। इस बात पर और इस बेसिस पर मुकदमा करने की इजाजत देना एस. डी. एम. ने, पुलिस ने और गवर्नमेंट ने ठीक नहीं समझा।

श्री श्रीभानसिंह : जिन्होंने इजाजत के लिये लिखा उन्होंने लिखा कि ये ये चीजें हैं, इन आधारों पर डिफेमेशन सूट करने की इजाजत दी जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, वह है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : डिफेमेशन की सूट है, that will be in his personal capacity; then why permission was not given ?

श्री रामकिशोर व्यास : It is not in personal capacity, it is in the official capacity.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : डिफेमेशन सूट फाइल करने की इजाजत नहीं दी गई और दूसरी क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस वक्त सवाल है वह इतना है।

श्री चन्दनमल वैद : डिफेमेशन सूट फाइल करने की इजाजत नहीं दी गई, यानी एक तरफ लीगल रेमेडी डिनाई की गई, तो दूसरी क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : लीगल रेमेडी अलाऊ करना कम्पलसरी नहीं है। यह कोई प्राइवेट काम है नहीं, गवर्नमेंट के काम के दरम्यान में यह बात आई, इसलिए यह मुनासिब नहीं समझा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या जो एस. एस. ओ. ने एलीगेशन्स लगाये हैं और

Page No.7

(श्री भैरोंसिंह)

सूट फाइल करने की पर्मिशन मांगी है, क्या वे एलीगेशन्स सही हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सही-गलत के बारे में मैं समझता हूं...

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि पर्मिशन रिफ्यूज़ कर दी गई। क्या आप कह सकते हैं कि ये एलीगेशन्स सही हैं या नहीं ? क्या पर्मिशन रिफ्यूज़ करते वक्त यह ध्यान नहीं रखा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर सही है तो भी मुनासिब नहीं समझती गवर्नमेंट कि पर्मिशन दी जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ऐसा समझती है कि एस. डी. एम. का एस. एच. ओ. के लिए जो व्यवहार रहा, जिसके लिये सूट फाइल करने की पर्मिशन मांगी गई, तो उसकी जाच की जांय ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो फैक्ट्स गवर्नमेंट के सामने आये हैं, जो दरख्वास्त दी है, उस पर मुनासिब नहीं समझा कि पर्मिशन दी जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि जो फैक्ट्स लिखे गये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं कि एस. डी. एम. के खिलाफ डिपार्टमेंटल या कोर्ट में कार्यवाही की जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने नामुनासिब समझा इस तरह की पर्मिशन देना।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह कारण नहीं समझा जाय कि फैक्ट्स पर्याप्त नहीं थे ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): सारी बातों को समझ कर ही इसे नामुनासिब समझा।

प्रश्न संख्या २७८

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम।

श्री किशनाराम : अध्यक्ष महोदय, उस थानेदार को एस. पी. और कलेक्टर बार बार बुला कर प्रेस करते हैं कि दरख्वास्त वापिस ले लें, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उस थानेदार को रामगढ़ भेज दिया और वहां के लोगों से शिकायतें कराई गईं। उसको बुला कर आये दिन प्रेस करते हैं और अब कम्पलसरी रिटायरमेंट के ऑर्डर दे दिये गये हैं। यह सरासर अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

श्री किशनाराम : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया।

श्री रामकिशोर व्यास : कलेक्टर साहब ने क्या कहा, उसकी मुझे जानकारी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह वाजिब नहीं समझती कि एक सबोर्डिनेट के साथ ऊपर के अधिकारी विक्टीमाइजेशन करें तो सरकार उसको रोके ?

Page No.8

श्री रामकिशोर व्यास : यह जनरल प्रपोज़ीशन है।

श्री भैरोंसिंह : इस केस में ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो केस के वाकयात आये उनको नामुनासिब समझा और इजाजत नहीं दी गई।

श्री श्रीभानसिंह : Was that transfer due to that application and was it not a case of victimisation ?

श्री रामकिशोर व्यास : ट्रान्सफर तो होम डिपार्टमेंट से होता नहीं, इसलिए मालूम नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : पुलिस डिपार्टमेंट से तो होता है और वह होम के नीचे है।

श्री रामकिशोर व्यास : एस. डी.-एम. का ट्रान्सफर होम डिपार्टमेंट से नहीं होता है।

श्री श्रीभानसिंह : एस. डी. एम. के लिए नहीं, मैं एस. एच. ओ. के लिए पूछ रहा हूं।

श्री शिवचरणदास : प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : एस. एच.-ओ. के ट्रान्सफर का सवाल नहीं पूछा।

प्रश्न संख्या २७८

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत।

मांग्या माली मंडावरा, कस्बा लालसोट द्वारा किया गया मृत्यु भोज

२७६. **श्री बेनाराम गहलोत** (लारची): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या कस्बा लालसोट में मांग्या माली मंडावरा के यहां तारीख २७.२.६० को कोई दो हजार आदमियों का भोज मृत्यु के सम्बन्ध में दिया गया ?

(ख) क्या इसकी पूर्व सूचना तार द्वारा लालसोट पंचायत के सरपंच ने दिन के १२ बजे प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश, दौसा, को उसी दिन दी ?

(ग) क्या इस तार में चार बजे पूर्व ही मौके पर पहुँच कर जांच की प्रार्थना थी ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) इस सामाजिक अपराध को रोकने के लिये क्यों नहीं त्वरित कदम उठाया गया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, किन्तु यह तार सर्किल अधिकारी, दौसा के पास शाम को चार बजे पहुँचा और तत्काल ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, कार्यवाही की गई और सूचना सही नहीं पाई गई।

(घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

Page No.9

श्री बेनाराम गहलोत : आपने कहा, 'जी नहीं', तो वह शिकायत किस बात की थी, क्या मृत्यु भोज नहीं हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : वहां जाकर पता चलाया, तो कोई बात मालूम नहीं हुई कि नुक्ता हुआ है।

श्री बेनाराम गहलोत : पुलिस किस वक्त पहुँची ?

श्री रामकिशोर व्यास : पौने दस।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या यह सही है कि मृत्यु-भोज नहीं हुआ, गंगभोज रखा गया था ?

श्री बेनाराम गहलोत : एस. डी. ओ. के पास शिकायत आई, वह क्यों नहीं गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : उन्होंने मृत्यु भोज कहा, क्या कहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : तार मजिस्ट्रेट के पास गया था, उन्होंने ड्यू-कोर्स में हमारे पास भेज दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

विकास खंड, सांगानेर द्वारा वितरित फलदार वृक्ष

२८०. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू-सु०) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) विकास खण्ड, सांगानेर में १६५६-६० में कितने फलदार वृक्षों का वितरण खंड द्वारा किया गया ?

(ख) किस किस किस्म के कितने कितने पौधे किस किस नर्सरी से किस दर पर किस किस तारीख को क्रय किये गये ?

(ग) वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं ?

(घ) इस वर्ष (गत सेशन के) सांगानेर विकास खण्ड में कितने बेर वर्ड्स ने कार्य किया तथा उन पर खण्ड का कुल कितना व्यय हुआ ?

(ङ) कितने पेड़ों पर किस किस ग्राम में कलम चढ़ाई गई ?

(च) कितने पेड़ों पर सफलता मिली और कहां कहां ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह विकास विभाग से सम्बन्धित है, इसलिए वे अपनी टर्न पर जवाब देंगे।

श्री लादूराम सुलाणिया : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : विकास विभाग के टर्न पर उत्तर आयेगा।

श्री लादूराम सुलाणिया : उत्तर नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष : विकास विभाग के पास भेज दिया है प्रश्न।

Page No.10

श्री नाथूराम मिर्धा : उनका ही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

बांसवाड़ा जेल में फरार की हुई औरत तथा हैड वार्डर दशरथ की गिरफ्तारी का मामला

२८१. **श्री मोगजी भाई** [बांसवाड़ा-श्री हीराभाई (कुशलगढ़) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जेल में दिनांक २३.५.६० को एक फरार की हुई औरत, मय जेल के हैड वार्डर दशरथ, को पुलिस ने गिरफ्तार किया था ?

(ख) क्या यह सत्य है कि हैड वार्डर ने तीन दिन पहले डिप्टी जेलर, बांसवाड़ा से अवकाश लिया था ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उस भगाई हुई औरत व जेल के हैडवार्डर को जेल के अन्दर गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो जेलर को इस सम्बन्ध में पहले से तमाम जानकारी थी या नहीं ?

(घ) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा पुलिस ने उक्त औरत के पुराने कपड़े व जेवर दशरथ के कमरे में पेटी के अन्दर से २४.५.६० को पंचनामा तैयार करके बरामद किये थे ? अगर हां, तो क्या क्या वस्तुयें बरामद की गईं ?

(ङ) क्या यह सही है कि उक्त मामले को बांसवाड़ा पुलिस ने किस पुलिस कानून धारा के अन्तर्गत केस को बनवाया था और उनकी गिरफ्तारी की गई थी तथा वह मामला मजिस्ट्रेट के सामने कौनसी तारीख को चालान पेश किया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) फरार की हुई औरत मुसम्मात कमला गिरफ्तार नहीं की गई किन्तु दिनांक २४-५-६० को हैड वार्डर श्री दशरथसिंह को कोतवाली बांसवाड़ा में जरूर गिरफ्तार किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं, औरत को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुकदमा दर्ज होने के पहले मामले की जानकारी डिप्टी जेलर को नहीं थी।

(घ) दिनांक २४-५-६० को श्रीमती कमला की एक साड़ी, एक घाघरा व एक पोलका श्री दशरथसिंह हैडवार्डर ने पुलिस को अपने क्वार्टर पर पेश किये थे।

(ङ.) बांसवाड़ा पुलिस ने मामले को धारा ३६३, ३८६, ३५४ भा. द. सं. के अन्तर्गत दर्ज किया था और हैड वार्डर को गिरफ्तार किया था। इस मामले का चालान अदालत में पेश नहीं किया गया। क्योंकि औरत ने मजिस्ट्रेट के सामने १६४ सी. आर. पी. सी. में विपरीत बयान दिये मेडीकल जांच से भी कोई व्यभिचार किया जाना नहीं पाया गया।

श्री हीरा भाई : औरत को फरार करके लाना और वहां उसके घर में सारा माल बरामद होना, यह मामला अवैधानिक था क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या चीज ?

श्री हीरा भाई : यह क्या गुनाह नहीं होता है कि दूसरी औरत को लाकर जेल के सरकारी क्वार्टर में रखे और उस औरत को सरकारी कर्मचारी लाये ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपका फर्माना सही है, गुनाह होता है, इसलिए ही मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तार किया और केस चालान किया गया ।

श्री हीरा भाई । मुकदमे में पुलिस ने गवाही ली थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्वेस्टीगेशन हुआ था ।

श्री हीरा भाई : क्या वह सुपरिन्टेंडेंट ने लिखित में लिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसको गिरफ्तार कर लिया गया ।

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : क्या उसका डॉक्टरी मुआयना कराया था, क्या उम्र थी उसकी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

श्री आबिद अली : क्या उम्र थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : २०–२२।

श्री हीरा भाई : स्थिति यह है कि वह थानेदार कम से कम दो लडकियों को उड़ा लाया और जो दशरथ जमादार है, उसके पास एक लड़की है, जो जेल में मौजूद है ; दूसरी लड़की थानेदार ने वहां भेजी, अच्छी है, ट्राइल के लिए, जो लड़की भेजी थी, वह ट्राइल के लिए भेजी थी उसने हो-हल्ला किया और जेलर ने रिपोर्ट दी । उस पर एस. पी. ने ऑर्डर दिया कि दशरथ को और औरत को गिरफ्तार कर लिया जाय। उसको थानेदार ने अदालत में पेश किया । थानेदार तो उसको उड़ा कर लाने में था । उसने केस चालान नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बताया कि उसने बयान नहीं दिये, इसलिए चालान पेश नहीं किया गया, बाकी कार्यवाही की गई है ।

श्री हीरा भाई : यह बयान दे कैसे, दूसरा थानेदार गया होता तो वह दे सकती थी । वह लड़की वहां थानेदार ने लाकर सुपुर्द कर दी थी, वह उड़ा कर लाने के बयान कैसे देगी ? वहां दो उड़ाई हुई लड़कियां हैं ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं, यह बयान लड़की को बरामद करने के कितनी देर बाद लिये गये और उस वक्त एस. आई. कौन थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अर्ज नहीं कर सकता । यह मामला साफ हैं, इसमें उलझन की बात नहीं है....

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : हमें सुनाई नहीं देता है।

श्री रामकिशोर व्यास : उसका इन्वेस्टीगेशन हुआ है, अरेस्ट हुई हैं। उसने स्टेटमेंट चेंज कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं कि स्टेटमेंट चेंज कर दिया। पहला स्टेटमेंट किसके सामने दिया था ? दूसरा स्टेटमेंट दिया, उसका वर्शन क्यों बदल दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। वह न जबरदस्ती से दिया और न कोई और बात थी।

श्री भैरोंसिंह : पहला किसके सामने दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहला पुलिस के सामने दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या ऐसा समझा जाय कि जो स्टेटमेंट पुलिस के सामने दिया था वह गलत था और जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दिया वह सही था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दिया, उसकी ज्यादा वेल्यू है।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया, उसको सरकार ने गलत माना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सरकार के गलत मानने का सवाल नहीं है। अगर अदालत में भी चालान किया जाय, तो भी मुलजिम के बयान होंगे, वे सही होंगे, उसकी ज्यादा वकत है। पुलिस के मुकाबले में अदालत में दिये गये बयान की ज्यादा वकत है। पुलिस इसमें इन्ट्रेस्टेड नहीं थी, उसने अरेस्ट किया है।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह आता है कि पुलिस के सामने जिस दिन बयान हुए, उस दिन ही कोर्ट के सामने पेश करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया ? अगर नहीं और कुछ दिन बाद करवाया है, तो क्या ऐसा नहीं समझते कि औरत ने बहकाने से, मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट चेंज कर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा हो सकता है लेकिन वह औरत हथकड़ी में नहीं थी, खुली थी, आजाद थी, कहीं आ-जा सकती थी, कहीं रह सकती थी। अगर बहकाने से किया है, किसी तरह से किया है, फिर भी जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया है, उस पर स्टेटमेंट बनेगा।

श्री छोटूसिंह (अलवर) : क्या यह पुलिस के लिये ऑब्लिगेटरी था कि वे

(श्री छोटूसिंह)

उसका बयान १६४ के अनुसार अदालत में कराते ?

श्री रामकिशोर व्यास : It is obligatory to do.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): Was it obligatory on the part of the Police to do?

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर): दफा १६४ के अनुसार बयान दिया जाता है वह लाभदायक नहीं होता, जो पुलिस में दिया जाता है; कोर्ट में बयान दिया जाता है वह ज्यादा लाभदायक होता है ?

श्री छोटूसिंह : यह तो ओपीनियन का प्रश्न है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा–सु०) : क्या यह सही है कि उस लड़की के बजाय दूसरी लड़की को अदालत में पेश किया गया ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा गंभीर है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स लड़कियों को उठा कर लावें और ऑफिसर्स लोग उस पर कोई ध्यान न दें और वहां पर एक दफे क्या स्टेटमेंट होता है और कुछ समय बाद में वह स्टेटमेंट बदलवा कर दूसरा स्टेटमेंट मेन्योर करके करवा देते हैं। जहां पर यह एक बिल्कुल सीधा केस है कि एक वार्डर और गवर्नमेंट ऑफिसर के यहां पर वह लड़की बरामद होती है और पुलिस के अधिकारी उसका चालान नहीं करते। पुलिस इन्क्वायरी करके चालान कर सकती थी। मगर दो–तीन दिन बाद स्टेटमेंट को बदलवा दिया गया मेन्योर करके। यदि इस प्रकार होता रहा तो कानून का अन्त कैसे होगा और लोगों की इज्जत कैसे बचेगी। लोग यही समझने लगेंगे कि कोई कानून की व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये कि कानून की आड़ में जिस ढंग से मेन्योर किया जा सके सरकारी अधिकारी करें और उनको फिर ऊपर से सरकारी उच्च अधिकारियों का संरक्षण मिले।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे अफसोस है कि जो वक्तव्य दिया गया है वह....

श्री भैरोंसिंह : मुझे अफसोस है कि यह उनको बचाने की गर्ज से कहा जा रहा है, अन्यथा बात बिल्कुल सही है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह कहूंगा कि आप सही को नहीं–सही मानते हैं। जो सही है उसको सही मान लें तो इतनी दिक्कत नहीं हो। इसमें तो मैंने जैसा पहले कई दफे अर्ज किया मुस्तगीसा ने रिपोर्ट की। उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई, एरेस्ट हुए, इन्वेस्टीगेशन हुआ। इसलिये यह कहना कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, यह गलत है। जब मुस्तगीसा खुद मुकदमा नहीं चलाना चाहती तो क्या करें ?

श्री छोटूसिंह : क्या वार्डर के खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया है ?

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जबाव देने के लिये कुछ भी जबाब हो सकता है। १६४ सेक्शन में बयान करा दिये, यह बात तो सीरियस है। लेकिन इसमें कम से कम माननीय गृह

Page No.14

(श्री तनसिंह)

मंत्रीजी को चाहिये कि इन्क्वायरी करावें और उसके खिलाफ एक्शन लें। यह जवाब एसेम्बली में देने के लिये पर्याप्त है ?

एक माननीय सदस्य : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी तो हो ही सकती है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह कहूँगा कि अगर हम उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करेंगे तो वह अदालत में हुए औरत के बयानों को लाकर पेश करेगा। फिर हम इन्क्वायरी पर क्या एक्शन ले सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप डिपार्डमेंटल एक्शन तो ले सकते हैं। आखिर उसने आपके यहां बयान दिये हैं। Does it behove a Government Servant...

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक कोर्ट में बयान नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट के बयानों के सामने जब इन्क्वायरी करते हैं तो वह बात नहीं रहती....

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनूं) : May I ask why the statement of the prosecution was recorded under Sec. 164 ? What was the necessity when she had herself lodged a report ? Why was she not produced under Sec. 182 ?

श्री आबिदअली : Here, you are not correct. No reliance can be placed on that statement.

श्री रामकिशोर व्यास : जो अभी सदस्य ने कहा कि १८२ की कार्यवाही क्यों नहीं की, तो मैं यह कहूंगा कि १८२ की कार्यवाही के लिये एक्शन ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : १६४ सेक्शन में बयान अदालत में क्यों कराये गये जब आपके यहां उसके बयान हो गये थे ?

श्री नरोत्तमलाल जोशी : It throws a shadow on the Police Officials' behaviour when the prosecution is being done under 164. How does the Home Minister explain it...

श्री रामकिशोर व्यास : I may submit, Sir, that it is in the ordinary course of law that statements are taken but she, in the meantime before her prosecution to court, changed the statement. मुकदमों में जब बयान कराते हैं और अगर मुस्तगीस अपने बयान चेन्ज कर दे तो क्या किया जा सकता है ? बीसियों मुकदमों में ऐसा होता है। अदालत में जाकर बदल जाते हैं। तो यह तो नामुमकिन बात है।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : May I suggest, Sir, that the recording of her statement under Sec. 164 was the device to undo the whole prosecution.

श्री रामकिशोर व्यास : Certainly not, Sir.

श्री आबिदअली : क्या यह सही है कि वह मेरीड थी ?

श्री हीराभाई : अगर सरकार इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती है तो दिनों-दिन खतरा ज्यादा पैदा होता है। पहले जब मैंने आपसे अर्ज किया था कि थानेदार रतलाम, बांसवाड़ा आदि से लड़कियों को भगा कर....

श्री अध्यक्ष : यह बात पहले आप कह चुके हैं।

श्री हीराभाई : मैं सही स्थिति आपको बताता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने पहले बता दी है।

श्री हीराभाई : पहले पूरी नहीं बताई।

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री हीराभाई : मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने उस औरत को पुलिस थाने में १० घन्टे तक रखा और वहां पर उस औरत से बातचीत की और दूसरे दिन बाद में उसके बयान कराये। सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये था मगर इसका मतलब था यह कि कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। अगर सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती तो इसका मतलब यह होगा कि सरकार व्यभिचार को बढ़ाना चाहती है, अन्यथा उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री छोटूसिंह : क्या राजस्थान सरकार उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेने में अपने आपको असमर्थ (इनकेपेबल) पाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : न तो चालान करने में अपने आपको असमर्थ पाती है, न डिपार्टमेंटल एक्शन लेने में असमर्थ पाती है। सरकार एक्शन लेने के लिये तैयार है। मगर मैटर तो होना चाहिये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या उस औरत के बयान आपके सामने करा दें तो आप उसको सही मानेंगे ?

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, १८२ सेक्शन में अलग तरह की स्थिति पैदा होती है। जब कोई रिपोर्ट करता है उसके बाद उसके बयान कराते हैं। जब राज्य किसी से बयान कराता है तब १८२ होता है। जब सरकार १८२ की कार्यवाही के लिये तैयार है और डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कराने को तैयार नहीं है, यह बात समझ में नहीं आती है।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर कोई औरत रिपोर्ट करे और बाद में अदालत में अपने बयानों को बदल दे तो उसके लिये क्या किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : The enquiry can be held in the light of the observations made by the Hon'ble Members.

(विराम)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : उसी लड़की के बयान आपके सामने करा दें तब तो आप सही मानेंगे।

(विराम)

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

अगर आप उसके बयानों को सही मानें तो उसको लाकर आपके सामने पेश कर दें ।

श्री रामकिशोर व्यास : It is off the record matter. I cannnot give my opinion when one has given a statement in the court. अगर आप चाहें तो उसके बयान दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर करा दें । कोर्ट का प्रोसीजर है उसके मुताबिक आप कोर्ट में बयान करा दें ।

श्री छोटूसिंह : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का भी प्रोसीजर है ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : अगर उन्होंने किसी दूसरी लड़की के बयान कराये हैं तो क्यों न उस लड़की के बयान आपके (मंत्री महोदय के) सामने कराये जावें जिससे असलियत का पता चल जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह : एक छोटी सी बात पूछना है ।

श्री अध्यक्ष : अब दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया है ।

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

प्रान्त में मिडवाइफ नर्सों की कमी की पूर्त्ति

२८२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरकार राजस्थान में मिडवाइफ नर्सों की कमी महसूस कर रही है ? अगर हां, तो उनकी पूर्त्ति के लिए सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं और अब तक कितनी महिलाएं इस काम के लिए तैयार कराई जाकर ड्यूटी पर लगा दी गई हैं और इनके लिए क्या योग्यताएं रखी गई हैं ?

(ख) क्या प्रशिक्षण केन्द्र हर डिस्ट्रिक्ट में तृतीय पंचवर्षीय योजना में खोले जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां । पूर्त्ति के लिये मिडवाइफ नर्सों की ट्रेनिंग के लिये सात प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं जिनसे अभी तक लगभग १०० महिलायें इस कार्य के लिये तैयार करके ड्यूटी पर लगाई गई हैं । मिडवाइफ नर्सों के लिये सातवीं कक्षा पास तथा मिडवाइफ कोर्स पास किया हुआ होना आवश्यक है ।

(ख) जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम ।

श्री मोहनलाल सारस्वत, भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका रतनगढ़ के विरुद्ध होनेवाली जांच

२८३. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्री मोहनलाल सारस्वत, भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका रतनगढ़ के खिलाफ जांच करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब तथा किस सम्बन्ध में ?

Page No.17

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : जी नहीं।

श्री किशनाराम : क्या 'नहीं'! कम से कम दो सो दरख्वास्तें आपके पास आयी होंगी। उसके लिए कह दिया 'जी नहीं,' क्या जी नहीं ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि क्या उन शिकायतों को एन्टी करप्शन में जांच के लिए दिया गया था; उनको इसका उत्तर दिया गया कि 'जी नहीं'।

श्री किशनाराम : एन्टीकरप्शन को भी १५–२० दरख्वास्तें दी थीं।

श्री सम्पतराम : स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा केस एन्टी–करप्शन विभाग को दिया नहीं ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : लेकिन शिकायतों पर सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

श्री सम्पतराम : एक पर तो हटा था। दूसरी पर चार्ज शीट देकर तारीख पेशी हुई है सुनने के लिए।

एक माननीय सदस्य : शिकायतें क्या थीं ?

श्री सम्पतराम : दीवार तोड़ दी थी। बोर्ड का रिल्युजशन कुछ और था और किया कुछ और। सेक्रेटेरियेट लेवल पर कार्यवाही हो रही है।

श्री किशनाराम : चेयरमैन के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री सम्पतराम : इसका इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं है।

श्री किशनाराम : इसका इससे ताल्लुक नहीं है तो दूसरा पूछ लेता हूं।

श्री सम्पतराम : दूसरा पूछेंगे तो दूसरे का जबाब दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

कृषि प्रदर्शनी दिल्ली के राजस्थान पैवेलियन में प्रदर्शन हेतु कलाकारों के कार्य के सम्बन्ध में

२८४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) कृषि प्रदर्शनी दिल्ली में राजस्थान पैवेलियन में राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा अथवा अन्य प्रकार की कलाओं,के प्रदर्शन हेतु किस किस प्रकार के कला प्रदर्शन हेतु किन किन कलाकारों को कितने कितने कार्य के लिए कब कब किस किस दर पर क्या क्या ठेका दिया गया ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) जिन जिन कलाकारों को यह काम दिया गया है, वे कहां कहां के कलाकार हैं तथा किस किस श्रेणी के हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि कई कलाकारों को भारत सरकार की भित्ति चित्र कार्यों के सम्बन्ध में निर्धारित दरों से ज्यादा दरों पर

Page No.18

(श्री भैरोंसिंह)

कार्य दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और किन किन को ?

(घ) किन किन कलाकारों ने एग्रीमेन्ट के अनुसार ठीक कार्य नहीं किया और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(ङ) क्या यह सही है कि इसमें राजस्थान के कलाकारों को बाहर के कलाकारों के अनुपात में कम कार्य दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो तुलनात्मक आंकड़े बताये जायें।

(च) क्या यह सही है कि कृषि प्रदर्शनी का कार्य देर से प्रारम्भ होने के कारण काम महंगा हुआ है तथा ठीक नहीं हो सका ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) विश्व कृषि मेले के राजस्थान मंडप में कलाकृतियां, मुख्यत: 'राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा' नामक विभाग में थीं। इस विभाग को प्रस्तुत करने में राजस्थान ललित कला अकादमी की सहायता ली गयी थी । कुछ कला कृतियां मंडप के दूसरे विभागों में भी थीं।

जिन कलाकारों ने हमें सहयोग दिया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसमें यह भी प्रकट हो जायगा कि कलाकार कहां के हैं और उन्होंने मोटे तौर पर हमारे लिए क्या काम किया।

इन कृतियों के लिए नियमित ठेका नहीं दिया गया था। कला कृतियों के लिए ऐसा करना संभव और उचित भी नहीं है।

(ख) कलाकार कहां कहां के हैं, यह सूची सदन की मेज पर रख दी गई है उससे स्पष्ट है। इनको श्रेणी में निर्धारित करके काम नहीं दिया गया, जो जिसके लिए अधिक उपयुक्त लगा उसी से सहयोग प्राप्त किया गया।

(ग) यह सही नहीं है।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया, नियमित ठेके या एग्रीमेंट कराने का प्रयत्न नहीं किया गया था । दो-तीन कलाकारों की कृतियां अपेक्षित स्तर की नहीं पायी गयीं; उन्हें पूर्व निर्धारित दर से कम पर पारिश्रमिक दिया जायगा। इससे अधिक मामलों में कुछ भी करना उचित नहीं है।

(ङ) जी नहीं। ज्यादातर कार्य राजस्थान के कलाकारों ने किया है, जैसा कि सूची से प्रकट है। अधिकांश काम राजस्थान ललित कला अकादमी की मार्फत कराया गया है।

(च) काम दिल्ली में उस वक्त प्रचलित दरों से महंगा नहीं हुआ है । विश्व कृषि मेले के कारण कलाकारों पर दबाव अवश्य रहा, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने बढ़ी दरों पर काम किया है । कलाकारों के लिए जो दरें भारत सरकार के साधारण समय के लिए मान्य हैं उनसे कम दरों पर काम कराया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह बता

(श्री भैरोंसिंह)

सकती है कि जिन कलाकारों को यह काम दिया गया उनमें राजस्थान के कलाकारों को कितना कितना काम दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : कितने २ अमाउन्ट का पेमेन्ट हुआ है और कितना २ ड्यू है, इसकी मेरे पास सूची नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न तो यही था, अध्यक्ष महोदय। इस बात को एसर्टेन करने के लिए कि कुल कलाकारों को जो काम दिया गया तो कितनी रकम का पेमेन्ट राजस्थान के कलाकारों को किया गया और कितनी रकम का पेमेन्ट बाहर के कलाकारों को किया गया ? इसी से रेट का असेसमेन्ट हो सकता है। क्या यह सही है कि राजस्थान के कलाकारों को कम मिला है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह आप चाहें तो मैं सूचना दे सकता हूं कि कितने रुपयों का काम किस किस ने किया ?

श्री भैरोंसिंह : क्या इससे यह समझा जाय कि अब तक जो सूचना दी है उसके मुताबिक यह है कि संख्या के आधार पर पेमेन्ट हुआ और इससे राजस्थान के कलाकारों को कम काम मिला और पेमेन्ट भी कम, बनिस्बत दूसरे बाहर के कलाकारों के ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने सूची दी है, उससे साफ है कि राजस्थान के कलाकारों को काम ज्यादा दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : संख्या के हिसाब से।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो सूची से स्पष्ट है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो काम के बारे में जानना चाहता हूँ, संख्या के बारे में नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : इन्डिविजुअल के लिए यदि आप जानना चाहते हैं तो वह सूचना दी जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : यदि आप मेरे प्रश्न को पहले ही पढ़ लेते तो यह नहीं कहते कि यह जानकारी चाहते हैं तो दी जा सकती है। प्रश्न का 'क' भाग बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह साफ नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस काम के लिए सरकार ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : न तो ठेका दिया था और न कोई एग्रीमेन्ट किया गया था। ललित कला अकादमी के मार्फत ही बहुत सारे काम हुए।

श्री भैरोंसिंह : तो किसी से किसी प्रकार का किसी काम के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्वेश्चन के अनुसार मैंने पहले ही कह दिया।

श्री भैरोंसिंह : कला के अनुसार आपने कहा कि भित्ति चित्र बनाने हैं। तो किसी के साथ तो कोई न कोई एग्रीमेंट किया होगा या और कुछ किया होगा ? यदि एग्रीमेंट नहीं है तो जिस तरह का काम सरकार चाहती थी उसी तरह का काम हुआ था या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें रेट्स फिक्स्ड हैं। ऊपर दी हुई हैं कि किस रेट पर।

श्री भैरोंसिंह : जैसे एक चित्र बनाया, पांच सौ रुपया होगा। उसके क्या डाइमेंशन होंगे, टेक्निकलर क्या होगा उसके लिए कोई एग्रीमेंट किया था या स्टेटमेंट तैयार किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : एग्रीमेन्ट कोई नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या ऐसा समझा जाय कि कलाकारों ने अपनी स्वीट विल पर सरकार का काम करके दे दिया तो उस पर पेमेन्ट कर दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : ललित कला अकादमी करती है। उसको पे करते हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला :

जमना डेयरी के पास की जमीन पर बसाई जाने वाली बस्ती

२८५. डॉ० **चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या भूतपूर्व जयपुर राज्य के जमाने में वहां के तत्कालीन दीवान सर मिर्जा इस्माइल ने जमना डेयरी के पास कुछ जमीन लोगों को कोलोनाइज़ेशन के लिए दी थी ? यदि हां, तो किन को कितनी जमीन, किस तारीख को दी थी ?

(२) क्या उस जमीन में सम्बन्धित लोग उसी प्रकार से योजना बद्ध बसे हैं जिस प्रकार बसाने की बात थी ? यदि हां, तो आज वहां कितने परिवार बसे हुए हैं ?

(३) क्या वर्तमान नगर विकास मंडल उस योजना को स्वीकार करके जमना डेयरी की उस बस्ती को उसी पुरानी योजना के अनुसार बसाने वाली है ?

(४) क्या यह भी सच है कि उस जमीन में प्लाट काट कर बेचे जा रहे हैं ? यदि हां, तो अब तक (२५ जुलाई, १९६० तक) कुल कितने प्लाट बिक चुके हैं और कितनी कीमत में, अभी और कितने प्लाट बाकी बचे हैं ?

(५) क्या बिके हुए प्लाटों की कीमत नगर विकास मंडल में जमा हुई है ? क्या नगर विकास मंडल किसी व्यक्ति को इस बस्ती को बसाने के लिए अधिकृत कर चुकी है ? यदि नहीं, तो फिर इतनी सारी कार्यवाही कैसे हो गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां, ता० १९–५–४५ को गांव मदरान पुरा में जमीन ६००×६०० फीट फीट बिला नजराना एक मोडल गांव तथा ३००×३०० फीट एक पक्का मकान और डेयरी बनाने को चार आना प्रति वर्ग गज पर श्री हंस डी० राय को दिये जाने के आदेश जयपुर स्टेट के रेवेन्यू विभाग से हुए थे।

(२) यह भूमि खंड सन् १९४५ में नगरपालिका क्षेत्र से बाहर होने के कारण इसका कोई अधिकृत प्लान नहीं बना था और यह भूमि ६०×६० फीट के भूखन्डों

(श्री सम्पतराम)

में बटी हुई है और इस समय ३६ परिवार कच्चे मकानों में रहते हैं।

(३) अभी कुछ दिनों पहले श्री हंस डी० राय ने इस भू-खंड की नई योजना बना बना कर स्वीकृति के लिए पेश की है, जो विचाराधीन है।

(४) इस विषय में इस विभाग को कोई सूचना नहीं है।

(५) कीमत जमा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जमीन कैसे बेची गई इसकी जानकारी करने तथा उचित कार्यवाही करने का राजस्व विभाग को लिखा जाने वाला है।

डॉ० चन्द्रकला : डेयरी की इस जमीन पर क्या किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है अथवा नगरपालिका या अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का, किसका अधिकार है ?

श्री सम्पतराम : मेरे ख्याल से यह नगरपालिका क्षेत्र में है।

डॉ० चन्द्रकला : क्षेत्र का नगरपालिका की सीमा में होने से है। जमना डेयरी फार्म कोलोनाइजेशन के लिए दी थी उस पर अब हंस डी० राय साहब का अधिकार है या सरकार का या नगरपालिका का या किसका ?

श्री सम्पतराम : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

डॉ० चन्द्रकला : उन्होंने योजना बना कर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को दी, ऐसा मंत्री महोदय ने बताया। अब यह बताया जाय कि हंस डी० राय साहब के प्लान के अनुसार बसाया जायगा या अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड प्लान वर्क आउट करेगा ?

श्री सम्पतराम : स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए कमिट करने को तैयार नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : जमना डेयरी की जमीन है। बसाने की योजना है तो उस भूमि को हंस डी० राय साहब के प्लान के अनुसार ही किया जायगा, क्या उनको पूर्ण अधिकार है इसका ?

श्री सम्पतराम : नहीं। जहां तक सरकार का सवाल है नगरपालिका को करना चाहिये, लेकिन किसी प्राइवेट आदमी को इजाजत मिलती है तो वह कर सकता है। यदि कानून के खिलाफ करेंगे तो नियमानुसार कार्यवाही होगी।

डॉ० चन्द्रकला : प्लॉट बिक रहे हैं, सरकार को जानकारी होनी चाहिये।

श्री सम्पतराम : मैंने पहले ही अर्ज किया कि कोई कन्स्ट्रक्शन वर्क करता है तो उसको म्युनिसिपैलिटी देखती है। जब प्लान बनाया, जयपुर स्टेट के समय का सवाल था। प्लान एप्रूव करने का सवाल नहीं है, नगरपालिका के क्षेत्र के पहले यह बाहर था।

डॉ० चन्द्रकला : इस भूमि में नये २ मकान बन रहे हैं तो नगरपालिका की इजाजत से बन रहे हैं, क्या नगरपालिका इस तरह की इजाजत दे सकती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई ।

बांसवाड़ा जिले में काश्तकारों को कन्ट्रोल रेट पर टीन के कोटे का अलॉटमेंट

२८६. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कृषि विभाग द्वारा काश्तकारों को कन्ट्रोल रेट पर टीन का कोटा सन् १९५८-५९ व ५९-६० में बांसवाड़ा जिले के लिये अलॉट किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सत्य है कि बांसवाड़ा जिले के लिये अलॉट किये गये टीन के वैगन कृषि विभाग बांसवाड़ा ने प्राप्त किये हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

श्री मोगजी भाई : क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि यह वितरण कन्ट्रोल रेट्स से किन किन तहसीलों को और किन किन काश्तकारों को किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तहसीलों और काश्तकारों की सूची तो मेरे पास नहीं है। जी० सी० शीट्स ६९९५ गये हैं एक दफा, और दूसरी दफा ६७० गये हैं । इसमें से ५४७४ एक दफा व १४५ दूसरी दफा किसानों को बांटे गये हैं। पांच-सात सौ डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट काम के लिये; जैसे स्कूल भवन, पंचायत भवन इत्यादि के लिये दिये गये हैं।

श्री मोगजी भाई : काश्तकारों के नाम से तो टीन मिलते हैं लेकिन फायदा इससे कोई दूसरे ही उठाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जितनी डिमान्ड होती है उतने तो टीन शीट्स मिलते नहीं हैं। पूरा राजस्थान का कोटा भी एक जगह दे दिया जाय तो भी वहां की डिमान्ड पूरी नहीं हो सकती।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : पहले नीति तैयार होती है, फिर उसके बाद टीन का कोटा दिया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोटा पोपुलेशन बेसिस पर फिक्स्ड है। जिस वक्त जिस जिले का टर्न होता है उसको दिया जाता है।

श्री मोगजी भाई : ये जो पतरे दिये गये हैं क्या आपने यह अनुभव कर लिया है कि सब किसानों को मिले हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से तो किसानों को ही दिया है।

श्री मोगजी भाई : तो क्या आप यह बता सकते हैं कि किन किन किसानों को दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सूची तो मेरे पास नहीं है।

श्री मोगजी भाई : तहसील बता सकते हैं कि किस किस तहसील को कितना दिया गया ?

Page No.23

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने सवाल में जिले का पूछा था, जिले का बता दिया। आपने न तहसीलों का पूछा और न किन किन किसानों को दिया गया वह पूछा।

श्री मोगजी भाई : क्या आप इस बात की जांच कर सकते हैं कि किसानों को न मिल कर व्यापारियों को मिला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बिल्कुल पता लगा लिया कि जितना नम्बर मैंने बताया उतना किसानों को मिला है और बाकी जो गवर्नमेंट के काम अधूरे पड़े थे उनके लिये दिया गया।

श्री मोगजी भाई : मैं कहता हूं कि यह किसानों को नहीं मिला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप शिकायत मुझको लिखकर दीजिये कि ये किसान नहीं थे और इनको टीन शीट्स दिये गये ।

श्री मोगजी भाई : जिनको दिया गया उन काश्तकारों के नाम तो बतलाइये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सूचना मेरे पास नहीं है, डिपार्टमेंट से मंगाकर दी जा सकती है कि किस किसको दिया गया।

श्री मोगजी भाई : जब आपके यहां रजिस्टर में दर्ज है। तो आपको यहां बताने में क्या दुख होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह लिस्ट हमारे रजिस्टर में दर्ज है हम समझते हैं कि जिनको दिया गया ठीक दिया गया, आप कहते हैं कि ठीक नहीं दिया गया तो आप बतलाइये कि किन किन को ठीक नहीं दिया गया।

श्री मोगजी भाई : उनका नाम बताने से आपको क्या दुख होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे रजिस्टर में बड़ी बड़ी लिस्ट दर्ज है किस किसको बताऊं।

श्री नाथूलाल करौल (लालसोट—सु०) : क्या यह सत्य है कि बांसवाड़ा को कोटा ही नहीं दिया गया !

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८७

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

पुलिस हैडक्वार्टर के तत्कालीन डी० वाई० एस० पी० श्री दुबे के विरुद्ध कार्यवाही

२८८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या यह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि पुलिस हैडक्वार्टर के तत्कालीन डी० वाई० एस० पी०, श्री दुबे की एक मोटर गाड़ी को पुलिस लाइन के मिस्त्री लाइन के औजार एवं सामान से प्रेमनाथ मोटर्स के वर्कशोप में मरम्मत करते हुए एडीशनल एस० पी० श्री त्रिवेदी द्वारा पकड़े गये? यदि हां, तो कब तथा इसके तथ्य क्या हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि इस मोटर में पुलिस लाइन के एक ट्रक का कारबेटर लगा हुआ था जिसको पुलिस लाइन में चैक करने पर कम पाया गया ?

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) क्या यह सही है कि लाइन के मिस्त्रियों ने श्री त्रिवेदी को यह बयान दिया कि वह दुबे साहब की गाड़ी की मरम्मत दुबे साहब के हुक्म से कर रहे हैं तथा यह कारबेटर भी उनके हुक्म से लगाया है ?

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक श्री दुबे के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, तारीख १६–५–५६ को श्री दुबे श्री सुन्दरलाल त्रिवेदी आर०पी०एस० व श्री भैरोंसिंह एम० एल० ए० के साथ प्रेमनाथ मोटर्स वर्कशाप में गये और पुलिस लाईन जयपुर (एम० टी०) के चार आदमी बी आठ फोर्ड जिसका कि पुराना नम्बर आर० जे० एल० ३६५६ है पर काम करते पाये गये । यह गाड़ी थोड़े समय पहले पुलिस लाइन जयपुर से सेठ हीरालाल ठेकेदार पुलिस लाइन जयपुर को नीलामी में बेची गई थी ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) इस मामले की अभी जांच हो रही है ।

श्री भैरोंसिंह : यह माल कब पकड़ा गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : १६–५–५६ को ।

श्री भैरोंसिंह : १६–५–५६ से अब तक कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कार्यवाही तो हुई है, इन्क्वायरी करके एडीशनल एस० पी० साहब ने भेज दी है लेकिन जब वह गवर्नमेंट के पास आयी तो उसको गवर्नमेंट ने वापिस भेजा है कि सारे स्टोर्स का चैकिंग कर लिया जाय ताकि कम्प्लीट मालूम हो जाय कि कितना कितना माल गया है, कितना मिसिंग है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को अब भी सन्देह है कि कारबेटर मिसिंग नहीं था ?

श्री रामकिशोर व्यास : सरकार ने अभी इस बारे में माइन्ड एप्लाई नहीं किया है ।

श्री भैरोंसिंह : इतना भी माइन्ड ठीक नहीं जो पन्द्रह महीने तक एप्लाई नहीं किया जाता हो ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे निवेदन किया; हम सारे स्टोर्स का चैकिंग करा रहे हैं, और तो कोई माल मिसिंग नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : 'सारे राजस्थान के स्टोर्स से' इसका क्या मतलब है ? श्री दुबे जहां भी जाते हैं वहां से स्पेअर पार्ट्स ले आते हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : थोड़ा समझने में फर्क रहा । मैंने तो यह अर्ज किया था कि पुलिस लाइन का जो स्टोर है उसका चैकिंग किया जा रहा है, स्पेअर पार्ट्स

(श्री रामकिशोर व्यास)

चैकिंग किया जा रहा है। यहीं की बात है। अब इस मामले को सेपरेट् करके इस पर एक्शन ले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मिलाया तो किस कारण से और सेपरेट किस कारण से है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मिलाया तो इस वजह से कि और कितने पार्ट्स वाकई मिसिंग हैं, उसकी इन्क्वायरी के लिये कहा है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक इतना इम्पोर्टेन्ट मेटर है जिसके बारे में विधान सभा में सही उत्तर न देने के कारण माल को जाकर, ऑन दी स्पोट ले जाकर १९५९ के मई के महीने में उस बारे में कार्यवाही होती है। विधान सभा के चार सदस्य जिसमें विरोधीदल के ही नहीं, कांग्रेस के सदस्य भी साथ थे, एस० पी० को लेकर प्रेमनाथ मोटर्स के यहां जाते हैं वहां के मिस्त्रियों के बयान करवाते हैं और कारबेटर पुलिस लाइन से मिसिंग है, उसके बाद में भी राज्य सरकार का माइन्ड एप्लाई नहीं होता है, उन ऑफिसरों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो इसको क्या समझा जाना चाहिये ? ऑन दी स्पोट जिस माल को बरामद करवाया फिर भी राज्य सरकार उस बारे में माइन्ड एप्लाई नहीं करती ! यह सही है कि यदि हम इस तरह से ढिलाई बरतते गये तो इस तरह के नये मामले और ज्यादा क्रिएट होते जायेंगे। वैसी हालत में रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से कायम रह सकेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने इत्तला दी, गिरफ्तार करवाया उसके लिये शुक्रिया, उसके लिये हम आपके मशगूर हैं।

श्री श्रीभानसिंह : यह शुक्रिया का मामला नहीं, १५ महीने तक आपने क्या एक्शन लिया यह बतलाइये ?

श्री भैरोंसिंह : यह कोई मुशायरा नहीं है जहां आप शुक्रिया कहें।

श्री रामकिशोर व्यास : तो क्या मैं शुक्रिया के खिलाफ बात अर्ज करूं....

१२ (मध्यान्त)

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे कहा कि एक्शन हुआ, इन्क्वायरी हुई और रिज़ल्ट आया। पर उससे यह कनेक्टेड पार्ट है इसलिये इसमें हुआ। डिले इसमें हुई, यह आपका कहना ठीक है। अब इस पर सेपरेट एक्शन ले लिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एडीशनल एस. पी. श्री त्रिवेदी ने जो अपनी जांच की रिपोर्ट दी है उसमें इसे सही मान कर डी वाई. एस. पी. के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये कागजात भेजे थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो पहले ही मैं अर्ज कर गया कि सही है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसे कागजात भेजे थे कि नहीं कि मामला सही है और इसके खिलाफ एक्शन लिया जावे ?

Page No.26

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने तो यह नहीं कहा कि बात है वह गलत है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। आपने फरमाया वही बात उन्होंने कही है।

श्री भैरोंसिंह : जब आप कहते हैं कि बात सही है, एडीशनल एस. पी. ने भी सही बात को तस्दीक किया है तो फिर डी. एस. पी. को सस्पेन्ड क्यों नहीं किया जब कि इसके लिये पर्याप्त कारण आपके पास हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब एन्क्वायरी चल रही हो तो ऐसा कैसे कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री आबिद अली।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : Is it not a case of criminal breach of trust with regard to the misappropriation of Cars ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो भी ऑफेन्स बनता होगा, बनेगा।

श्री आबिदअली : Whether the investigating officer applied his brain without that evidence ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि जिस अफसर ने यह किया है उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती। एक्शन लिया जावेगा। डिले हुई, इसके लिये I am sorry.

श्री आबिदअली : Is it not the cognisable offence when the property was misappropriated ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो ओपीनियन की बात है।

श्री आबिदअली : This is not the question of opinion, when there is enough evidence.

श्री रामकिशोर व्यास : आप सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने आपसे यह कहा कि जो भी कार्यवाही लीगल हो सकती है we will do it. The Government is not interested in protecting the man. Undoubtedly this has been delayed but the Government will take action...

श्री आबिदअली : क्या यह स्टोर का चैकिंग इससे रिलेवेन्ट था, जब कि उस पर कारबेटर की चोरी का ही चार्ज था और वह चोरी पकड़ी जाकर साबित हो गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले हमने इसे जरूरी समझा। अब देरी हो गई, तो मैंने इसे अलग कर दिया है। अब हम जल्दी कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : अब इसमें इलाज क्या करें। पहले जब हमने सवाल पूछा तो उत्तर दे दिया 'ना'। इसके बाद स्पोट पर जाकर पकड़ा दिया, इनको रिपोर्ट मिल गई कि हां केस सही है और फिर एक्शन लेने का मौका आया तो उसे स्टोर की जांच में उलझा दिया और बाद में सदन में सवाल अब आया तो "हां" कह दिया; अब उसी सवाल के जबाब में 'हां' कर दिया। अब कार्यवाही करने को कहते हैं तो 'ना' है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है। देर हुई है जरूर। पर अब कार्यवाही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : पर अब जल्दी इस ममले को वे करें।

श्री अध्यक्ष : He has assured the House.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The misappropriation of corborator is a separate instance in itself. Why action has not been taken on it? Why this corruption case has been connected with store cheking?

श्री रामकिशोर व्यास : यह आपका ख्याल करना मुनासिब नहीं है कि ड्रॉप करने का ख्याल किया है। एन्क्वायरी की है। इसके बाद ही तो कार्यवाही चल सकती है।

श्री भैरोंसिंह : गाड़ी कहां है इस समय?

श्री रामकिशोर व्यास : कौनसी?

श्री भैरोंसिंह : जिसमें कारबोरेटर लगा हुआ पकड़ा था।

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो पुलिस की नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फिर है कहां वह गाड़ी?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे पता नहीं, गाड़ी कहां है।

श्री भैरोंसिंह : जिसमें कारबोरेटर लगा था वह गाड़ी रिटर्न कर दी गई और फिर कहते हैं कि कॉग्नीजेबल ऑफेन्स नहीं है और अब कहते हैं गाड़ी का पता नहीं। गाड़ी हमारी नहीं थी। Why did the police returnd the car?

श्री रामकिशोर व्यास : वापिस क्यों नहीं करें?

श्री भैरोंसिंह : फिर पुलिस का क्या है?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर कोई दासतन माले मशरूका का मामला हो तो मकान के खिलाफ एक्शन नहीं होता। आदमी के खिलाफ होता है। जो आदमी चीज़ ले जाता है वह मुलजिम होता है। मकान थोड़े ही होता है। जिसके पास माल पकड़ा जाता है वह पकड़ा जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपको अच्छी तरह मालूम है न कि आपके पास कार नहीं है?

श्री रामकिशोर व्यास : जी, मुझे मालूम नहीं है।

प्रश्न संख्या २८६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

समकक्ष योग्यता वाले कम्पाउन्डरों की तुलना में नर्सों को प्रमोशन देने में प्राथमिकता

२६०. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि मेडिकल एण्ड हैल्थ विभाग में एक ही प्रकार की योग्यता रखने वाले कम्पाउन्डरों की तुलना में नर्सों

(श्री शंकरलाल)

को प्रमोशन देने में प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में समान व्यवहार कब से करने का इरादा रखती है और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

प्रश्न संख्या २६०

(पूर्व क्रम से)

श्री रामकशोर व्यास : मैं बीच में निवेदन कर दूं । गाड़ी पुलिस के पास ही मौजूद है ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह : इससे हाउस की और मिनिस्टर की दोनों की पोज़ीशन फाल्स हो जाती है । If we could not take the car in possession under any law, then how the car was taken into possession ? Why did not you reply the correct thing in the House? You said that it is not in the possession of the Police and that there was no law under which the Police could take the car into possession.

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने ऐसा नहीं कहा ।

श्री श्रीभानसिंह : Yes, you have said it.

श्री रामकिशोर व्यास : देखिये, आपने सुनने में ख्याल नहीं फरमाया । इसकी जानकारी नहीं है, यह कहा था मैंने ।

श्री पी० के० चौधरी : आपने यह भी कहा था कि गुनहगार आदमी होता है मकान नहीं होता; मकान को नहीं पकड़ते, तो आदमी को पकड़ा जाता है, कार को कैसे रोका जावे ?

श्री श्रीभानसिंह : आपने मकान का भी एग्ज़ाम्पल दिया था ।

श्री रामकिशोर व्यास : भलमनसाहत में मैंने ज्यादा इत्तला दे दी कि कार कहां है ? दासतन माले मशरूका का मकान का इसमें कहा था । तो पर्टिक्युलर कार किसके पजेशन में है, किसके नहीं है; यह कहा भी नहीं था । मुझे जो सप्लीमेन्टरी इन्फोर्मेशन मिली, आपकी सेवा में वह दे दी ।

श्री पी० के० चौधरी : If there is no law, as you say, then under what law this car has been forfeited ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग सवाल है । पूछें, तो जवाब दे दूंगा ।

श्री पी० के० चौधरी : अलग सवाल नहीं है, it is arising from the question, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : मैं....

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): नेक्स्ट कह दिया न ।

तहसीलदार को हथियारों के लाइसेन्स देने के अधिकार

२६१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसके पास हथियार हैं, लाइसेन्स लेने के लिये डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर जाना पड़ता है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि चार आना फीस लाइसेन्स रिन्यू कराने के लिये डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर जाने व चार आने जमा कराने के लिये प्रत्येक व्यक्ति के कम से कम चार-पांच दिन व्यतीत हो जाते हैं और सर्फा दस रुपया से १५)रु० तक हो जाता है ?

(ग) अगर हां, तो क्या सरकार इस असुविधा को मिटाने के लिये तहसीलदार, जो प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट भी हैं, उनको यह पॉवर देने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास). (क) जी नहीं। लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र डाक द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के पास भेजा जा सकता है ।

(ख) जी नहीं । फीस मनीऑर्डर द्वारा या पोस्टल ऑर्डर या बैंक चालान द्वारा भेजी जा सकती है ।

(ग) उपरोक्त उत्तर से इसका उत्तर देना बाकी नहीं रहता । एस. डी. एम. को लाइ-सेन्स नवीनीकरण करने के अधिकार हैं ।

राजस्थान में भारतीय शस्त्र अधिनियम प्रचलित है और जब तक इसमें भारत सरकार कोई परिवर्तन नहीं करे, राज्य सरकार तह-सीलदार को ऐसे अधिकार देने में अस-मर्थ है ।

प्रश्न संख्या २६२

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहब्बतसिंह ।

राज्य में महिला डॉक्टरों की कमी

२६३. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Medical and Health be pleased to answer:—

(a) Is there shortage of Lady Doctors to meet the requirements of the States' female Hospitals and dispensaries ? What is the total number of class I and class II lady doctors required in the State and how many vacancies are at present existing ?

(b) How and by what time the Government contemplates to meet this shortage in the State ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (a) Yes, this Department is short of 71 Lady Doctors.

(b) In order to meet this shortage of Lady Doctors in the State, a requisition for 50 Lady Doctors has been sent to the Rajasthan Public Service Commission, Ajmer. Another Medical College at Bikaner has been opened to meet the shortage of male & female Doctors.

पुष्कर में स्थायी एवं सुविधाजनक बस स्टेन्ड की व्यवस्था

२६४. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पुष्कर मोटर स्टेन्ड का झगड़ा कब से चल रहा है और झगड़े का कारण क्या है ? इसका निपटारा अब तक क्यों नहीं हो सका है ?

(२) क्या इस झगड़े के कारण ही पुष्कर में कोई व्यवस्थित मोटर स्टेन्ड नहीं है, जिसके अभाव में पुष्कर जाने वाले यात्रियों को बहुत असुविधा होती है ?

(३) क्या यह सच है कि वर्तमान बस स्टेन्ड पर सर्दी, गर्मी और वर्षा से बचाव का कोई प्रबन्ध नहीं है और यह स्थान बस्ती के एक किनारे सार्वजनिक स्थान से दूर पड़ता है ?

(४) क्या यह भी सच है कि बस स्टेन्ड के लिये जो दूसरा प्रस्तावित स्थान है वह अधिक सुविधाजनक है ?

(५) सरकार को जल्दी से जल्दी स्थायी बस स्टेन्ड के लिये स्थान का निर्णय कर उसे सुविधाजनक बनाने में क्या कठिनाई है ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) पुष्कर बस स्टेन्ड का झगड़ा जनवरी, १९५९ से चल रहा था क्योंकि इस बारे में पुष्कर निवासियों में कुछ मतभेद था । इस झगड़े का निर्णय आर. टी. ए. के रिज़ोल्यूशन नम्बर २१७ दिनांक ३ व ४ दिसम्बर, १९५९ से हो चुका है जिसकी बाबत राजस्थान राजपत्र दिनांक १४ जुलाई, १९६० में विज्ञप्ति भी प्रकाशित हो चुकी है ।

(२) चूंकि नये मोटर स्टेन्ड का निर्णय किया जा चुका है अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां ।

(५) कार्यवाही हो चुकी है ।

डॉ० चन्द्रकला : नया बस स्टेन्ड कब तक बन कर तैयार हो जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बन कर तैयार भी हो चुका ।

प्रश्न संख्या २९५

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २९६

(श्री अध्यक्ष)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

कृषि विभाग के मुकद्दमों का वेतन

२६७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि कृषि विभाग के मुकद्दमों का वेतन २७ जनवरी, १९५१ के राज-पत्र में ६०-३-९०—ई.- बी.- ५- १२० प्रकाशित किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स एण्ड शिड्यूल्स, १९५५ के द्वारा भी मुकद्दमों का उपरोक्त वेतन निर्धारित किया गया था ?

(ग) क्या यह सही है कि राज-पत्र २५ मई, १९५६ में इनका वेतन ३०-१-४५ प्रकाशित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) सन् १९५१ के, सन् ५५ के तथा सन् ५६ के निर्धारित वेतन के अनुसार किस किस ग्रेड में कितने कितने मुकद्दमों को अब तक वेतन या वेतन के arrears चुकाये गये हैं और कितनों के नहीं और क्यों ?

(ङ) क्या यह सही है कि मुकद्दमों को केवल ४०) रुपये फिक्स पे मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कब से इस प्रकार का वेतन मिलना बन्द हुआ है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इसकी सूचना अभी भी पूरी इकट्ठी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

कोटा जिले की वर्षाभाव ग्रसित मैदानी तहसीलों, बड़ौद, इटावा आदि के पंचायत केन्द्रों पर चारे का स्टॉक

२९८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या वन मन्त्री, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की अधिकांश मैदानी तहसीलों जैसे बड़ौद, इटावा आदि में वर्षा अभाव के कारण चारा घास बिल्कुल नहीं हुआ और ग्रामीण जन अपने मवेशियों को ले लेकर पहाड़ी इलाकों की ओर कूच कर रहे हैं ?

(२) क्या वन विभाग ऐसे संकट काल के लिये अपने पास चारे का कूप रखता है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी तहसीलों के प्रत्येक पंचायत केन्द्र पर चारे का स्टॉक भेजने तथा बेचने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

वन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जुलाई, १९६० के पहले पखवाड़े में बारिश की कमी के कारण चारा व घास न होने का ख्याल था मगर इसके बाद काफी बारिश हो जाने से अब चारा व घास की कमी की सम्भावना नहीं है ।

(२) बारिश न होने के काल में बहुत से लोग फोडर बैंक से घास खरीदने को आये

(श्री सम्पतराम)

थे लेकिन वर्षा शुरू होते ही उन्होंने घास खरीदना बन्द कर दिया।

(३) जी नहीं। कोई विचार नहीं रखती।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं तो प्रश्न यह करना चाहता हूं कि इस बार चारा हो गया, नहीं होता तो अन्य इलाकों में जाना होता, तो इस स्थिति में क्या सरकार यह अच्छा नहीं समझती कि ऐसे मौकों के लिये रिज़र्व स्टॉक अपना रखे ?

श्री सम्पतराम : फेमिन और स्केअर्सिटी में सरकार व्यवस्था करती है। पर दस-पन्द्रह दिन बरसात न हो तो इसके लिये सरकार प्रबन्ध नहीं करती। ऐसी घटनाएं तो कई हिस्सों में होती रहती हैं और इसके मुतल्लिक लोग इन्तजाम भी कर लेते हैं। इसके लिये विशेष अरेन्जमेन्ट करने की सरकार को जरूरत महसूस नहीं होती।

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी स्केअर्सिटी या फेमिन के वक्त के लिये सरकार अपना रिज़र्व स्टॉक क्यों नहीं रखना चाहती ?

प्रश्न संख्या २९९

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, बांसवाड़ा तथा थानेदार श्री ननूसिंह, बांसवाड़ा के स्थानान्तरण

३००. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट, जिला बांसवाड़ा तथा थानेदार ननूसिंह, बांसवाड़ा इन दोनों का तबादला होने की कार्यवाही कितनी बार हुई और कितनी बार उक्त तबादले की कार्यवाही कैन्सिल हुई और क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि तीन साल से ज्यादा कोई भी उच्च अधिकारी एक ही स्थान पर नहीं रह सकता ? यदि हां, तो उक्त कानून इन अधिकारियों पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) एस. पी., जिला बांसवाड़ा का स्थानान्तरण २६।११।५६ को हुआ था। पर स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के सिलसिले में उनका रिप्रेजेन्टेशन आने पर कैंसिल कर दिया गया। अब १८।८।६० को उनका तबादला हो गया है।

थानेदार ननूसिंह का तबादला १६. १२. ५६ को हुआ था, पर उनका स्थानान्तरण भी इन्हीं कारणों से कैन्सिल कर दिया गया। अब २०. ८. ६० को उनका तबादला चित्तौड़ कर दिया गया और वे गये, इसकी तामील हो गई।

(ख) जी नहीं।

श्री हीराभाई : क्या यह....

श्री अध्यक्ष : तामील हो गई अब तो।

श्री हीराभाई : तामील हो तो गई, पर इसके दो बार तबादले हुए और माननीय

(श्री हीराभाई)

गृह मन्त्री ने लड़कों की परीक्षा हुई का कारण बता दिया । वैसे पहले किस कारण से हुई थी ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किया था।

प्रश्न संख्या ३०१

श्री **अध्यक्ष** : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३०२

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

एस. डी. एम. की अदालत वाली जगह पर प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश न रखा जाकर उसी सब-डिविजन की अन्य तहसील में रखना

३०३. श्री **दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कोटा जिले की जनता हमेशा यह मांग करती आ रही है कि जहां एस.डी.-एम. की अदालत हो वहां प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश को नहीं रखा जाकर उसी सब-डिविज़न की दूसरी तहसील में रखा जावे ?

(२) क्या सरकार जनता की मांग पर विचार करते हुए छबड़ा के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को अटरू में, बारां के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को अन्ता में तथा कोटा के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को सुल्तानपुर में रखने का विचार रखती है ?

(३) क्या सरकार ने पंचायत एक्ट में पंचायतों की अपीलें मुन्सिफ तथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास करने का संशोधन किया है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार का सस्ता एवं सुलभ न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए भी उपरोक्त व्यवस्था करने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) इस प्रकार की केवल एक मांग सरकार के पास प्राप्त हुई ।

मांग केवल अटरू की जनता की ओर से है पर छबड़ा में मजिस्ट्रेट का कोर्ट अस्थाई है । इस कारण इस पर विचार नहीं किया जा सकता ।

(२) हटाये जाने का सवाल अभी सामने नहीं है ।

(३) जी नहीं।

(४) सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री **दयाकृष्ण विजय** : केवल अटरू से इस प्रकार की मांग आई आज से दो साल पहले और हनुमानपुर से किसी का ट्रान्सफर किया जाये और लोगों को सस्ता न्याय मिले, तो आप अपने मजिस्ट्रेट्स को एक जगह क्यों केन्द्रित करते हैं, अलग

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अलग तहसील में रखें ताकि वहां के केसेज़ वहीं निबट जायें। आप इसको अनुचित क्यों समझते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बात यह है कि जहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है वहां अदालत के लिए मकान चाहिए, लोक-अप के लिए मकान चाहिए, दूसरे क्लर्क्स वगैरह के लिए मकान चाहिए और मेरे ख्याल से जहां हैडक्वार्टर्स होते हैं वहां उनको सुविधा ज्यादा होती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : वहां की जनता आपको अदालत और लोक-अप की व्यवस्था के लिए मकान दे तो आप बदल देंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

अलवर में प्रधान मन्त्री के आगमन पर हुए कांग्रेस सम्मेलन के समय चावल लाने हेतु प्रदत्त लाइसेन्स

३०४. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) अलवर जिले में सन् ५८-५६ व ५६-६० में किन किन व्यक्तियों एवं फर्मों को चावल व चने इम्पोर्ट करने के लाइसेन्स मिले थे और कब कब और कितने कितने के तथा किस किस आधार पर ?

(ख) कितना कितना चावल किस किस फर्म द्वारा किस किस माह में लाइसेन्स द्वारा इम्पोर्ट किया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि अलवर में प्रधान मंत्री के आगमन पर हुए कांग्रेस सम्मेलन के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या फर्म को चावल लाने का लाइसेन्स दिया गया ? यदि हां, तो किसको और कितने कितने चावलों का ?

(घ) कितने चावल सम्मेलन में उसके हिसाब के अनुसार खर्च हुए ? बाकी बचे हुए चावल कब और किस प्रकार बेचे गये ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) लिस्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। चना व चने की दाल अलवर में स्थानीय खपत के लिए मंगाई गई थी और चावल सम्मेलन के लिए।

(ख) प्रस्तुत लिस्ट में दर्ज कर दिया गया है।

(ग) हां, मेसर्स तुलसीराम किशोरीलाल को ५५० मन चावल का लाइसेन्स दिया था।

(घ) २४५ मन सम्मेलन में बेचा और शेष ३०५ मन १ रु०, २ पैं० प्रति सेर के हिसाब से राशन कार्ड से आम जनता को बेचा गया।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

Page No.35

श्री भैरोंसिंह : चावल के विषय में जो परमिट दिया गया है वह किसकी सिफारिश पर और किसकी जांच के आधार पर दिया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कलेक्टर, अलवर की सिफारिश के आधार पर।

श्री भैरोंसिंह : क्या कलेक्टर ने यह सिफारिश की थी कि कांग्रेस सम्मेलन में ५५० मन चावल की आवश्यकता होगी इसलिये दिया जावे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : यह दरख्वास्त इस चावल के दूकानदार द्वारा दी गई थी या कांग्रेस कमेटी की तरफ से दी गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां पर जो सम्मेलन हुआ था उसकी एक रिसेप्शन कमेटी बनी थी। उस रिसेप्शन कमेटी को इस आदमी ने एप्लाई किया था और कलेक्टर को भी एप्लाई किया था। रिसेप्शन कमेटी ने भी सिफारिश करके कलेक्टर को भेज दिया कि अगर इसको इतने चावल की आवश्यकता है तो वह उसके लिए इजाजत दे दें। उसमें शर्त यह थी कि जितना सम्मेलन में खर्च होगा उतना तो हमको दे देंगे और बाकी जो बचेगा उसके लिए जो भी रेट फिक्स करेंगे वह उस चावल को वापिस जनता में बेच देंगे। इस पर कलेक्टर ने रिसेप्शन कमेटी की सिफारिश को एक्सेप्ट कर लिया और क्योंकि यह एक स्पेशल ऑकेज़न था इसलिए रिसेप्शन कमेटी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ऐसा समझती है कि उसमें इस बात का भी उल्लेख था कि उसमें जितने चावल खर्च होंगे वे तो होंगे और बाकी जनता में वितरित कर दिये जायेंगे ? मैं कुछ सुन नहीं पाया इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने कहा कि हमें अन्दाजा है कि इतने चावल खर्च होंगे और जो बाकी बचे होंगे तो जिस कन्डीशन पर खिचवायेंगे उस कन्डीशन पर बेच देंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने चावलों के वितरण के लिए कोई नियम बना रखे थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वितरण के लिए जितना भी इम्पोर्ट करते हैं उसके लिए रेट फिक्स हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : डिस्ट्रिब्यूटर को आप देते हैं तो उसके सम्बन्ध में सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डिस्ट्रिब्यूशन की प्राइस फिक्स करके बिकवाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

मौजा निम्बाहेड़ा में हुई नकबजनियों पर की गई कार्यवाही

३०५. **श्री शिवचरणदास** (माण्डल): क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवचरणदास)

(१) भीलवाड़ा जिला के थाना करेडा में दो सालों में कितने मामलों की रिपोर्ट दर्ज हुई ? इनमें से कितने केसेज़ चालान किए गए ? सूची सदन की मेज़ पर रखें ?

(२) क्या यह सही है कि मौजा निम्बाहेड़ा में दिनाक ३१-१-६० को नकबजनियें हुईं ? यदि हां, तो उनमें क्या कार्यवाही हुई और नतीजा क्या रहा ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सन् १६५८-५६ में ४१ अपराध पंजीबद्ध हुए जिनमें १४ का चालान हुआ।

(२) सर्व श्री रंगलाल महाजन और हीरालाल सुनार के यहां दिनांक ३०-३१ जनवरी, १६६० की रात्रि को नकबजनी हुई। काफी प्रयत्नों के बाद भी पता नहीं लगने पर तफतीश बन्द कर दी गई।

प्रश्न संख्या ३०६.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न २८७ का जवाब दे दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

(विराम)

विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक।

(१२. १७ म० प०)

राजस्थान सरकार विद्युत् प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) विधेयक, १६६० (विचार-विमर्श एवं पारित)

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अण्डर्टेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकार विद्युत् प्रतिष्ठान (प्राप्य-राशियों की वसूली) विधेयक, १६६० को एक प्रवर समिति (नामों की घोषणा बाद में प्रस्तुत की जावेगी) के सुपुर्द किया जावे, जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विद्युत् विभाग जिसके कि इलेक्ट्रिकल ड्यूज़ दूसरों पर बाकी हैं उसके सम्बन्ध में सदन में कई प्रश्न समय समय पर पूछे गए और मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को कहने में असमर्थ रही कि उसकी ऐसी कितनी राशि है जो लोगों पर बकाया है और इसके बारे में जहां तक मेरी जानकारी है यह बकाया ४ प्रकार के लोगों पर है। पहले व्यक्तियों पर, दूसरे उद्योगों पर, तीसरे म्युनिसिपैलिटीज़ पर और चौथे एक्स-रूलर्स पर। अब सवाल यह है कि यह राशि या तो हमारे विभाग की कमजोरियों के कारण या विभाग की अयोग्यता के कारण या

(डॉ० बहादुरसिंह)

किन्हीं दूसरे कारणों से बराबर बकाया रहती आई है और धीरे-धीरे वह रकम लाखों रुपयों पर पहुँच गई जिसकी वजह से विभाग की स्थिति सुधरी नहीं अपितु बिगड़ती चली गई और इसी कारण सरकार को उसके लिये एक बोर्ड बनाना पड़ा। बोर्ड बनने के बाद इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई, इसके बारे में सदन को बिल्कुल अन्धकार में रखा गया। अब सवाल एक सदन के सामने आया कि इस सम्बन्ध में एक कानून बनाया जाये और इसके लिए सरकार ने सदन में एक ऑर्डिनेन्स भी रखा और ऑर्डिनेन्स बनने के बाद जो वित्तीय ज्ञापन निकला उससे भी सरकार अभी तक यह कहने की स्थिति में नहीं है कि उसकी कितनी रकम बकाया है और कितनी रकम वसूल करनी है। जो वित्तीय ज्ञापन सदन में प्रस्तुत किया वह इस प्रकार था : "खण्ड २ (ड) के अनुसरण में, सरकार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, इस अधिनियम के अधीन निर्धारित प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।" इस मामले में जो वित्तीय मसले निहित हैं उनका अनुमान लगाना इस मौजूदा अवस्था में सम्भव नहीं है तथापि इतना कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में जो भी खर्च राज्य की संचनित निधि से किया जावे वह मामूली नाम मात्र का होगा। यह ठीक है कि उनकी रिकवरी करने से खर्च नहीं हो सकता लेकिन कितनी रकम है, इसके बारे में एक प्रतिष्ठान जो सरकारी है और जो व्यापारिक आधार पर चलता है वह यह रखें कि हमारे पास इस तरह के आंकड़े नहीं हैं कि हमारी कितनी रकम बाकी है। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि हम इस प्रकार के अपने प्रतिष्ठानों के बारे में सचेत नहीं रहे तो इन प्रतिष्ठानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जायेगी और वह पूरी तरह से चल नहीं सकेगी। जो कानून सदन के सामने है उसे सिलेक्ट कमेटी में भेज कर एक सप्ताह पश्चात् प्रतिवेदन पेश करने के लिए इसलिए कहा है और इसका कारण यह है कि इसमें क्लॉज़ टू में कहा है कि ऑफिसर जो कि रुपया वसूल करेगा उसको अधिकार होगा कि ड्यूज़ अगर बाकी हैं तो अवधि और बढ़ा दे। मैं समझता हूं कि हमारी लाखों रुपये की रकम बाकी है फिर भी हम अधिकार दे देते हैं कानून के अन्दर कि वह बराबर समय बढ़ाता चला जाये। इस सम्बन्ध में यह विचार करना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर ड्यूज़ बाकी हैं और यह हम बराबर देखते हैं कि जो बिल हमारे पास आते हैं उनमें लिखा होता है कि अगर बिल जमा नहीं होंगे तो इतना जुर्माना होगा और उस पर भी अगर पेमेन्ट नहीं होगा तो कनेक्शन काट दिया जायेगा। उसके ऊपर आप ही मुझे बतायें कि कितने कनेक्शन्स कटे हैं ? इस प्रकार के आंकड़े सदन में बताने चाहिए। लेकिन वे भी आपके सामने नहीं हैं। इसलिए इस क्लॉज़ के ऊपर हम विचार करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगते हैं। सलेक्ट कमेटी बैठे और इस पर विचार करे क्योंकि यह पहले के बकायात का प्रश्न है। आज विकास के युग में रकम बराबर जुड़ती चली जाये और वसूली अच्छी तरह से न करें तो हम समझते हैं कि हम प्रतिष्ठान नहीं चला सकते। इसलिए मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसका केवल मात्र एक ही कारण है कि जो क्लॉज़ टू है उस पर विचार करना

Page No.38

(डॉ० बहादुरसिंह)

चाहिए। मैं समझता हूं कि पहले सारे मामले पर विचार कर लिया जाये और फिर एक सप्ताह पश्चात् इसको पुनः रखा जाये ताकि हमारे सामने कोई चीज़ अमेन्डेड रूप में आये। इसलिए मैं समझता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्युत् प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) विधेयक, १९६० के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव, इसको प्रवर समिति को भेजने के सम्बन्ध में आया है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारा विद्युत् विभाग एक कमाऊ विभाग है, इससे बहुत बड़ी आमदनी हमको होती है लेकिन जैसा कि इस विधेयक से मालूम होता है, बहुत सारा बकाया इस विभाग का लोगों में, संस्थाओं में है और बड़े आश्चर्य की बात है कि अब तक इस विभाग ने इस सम्बन्ध में नहीं सोचा और अपने बकायात को उसी तरह से चलते रहने दिया। कभी का ही इस तरह का प्रावधान करना चाहिए था कि बकाया वसूल किया जा सकता, फिर भी देर से ही सही, अब सरकार इस तरह का अधिकार लेकर कानून के द्वारा अपनी बकाया की वसूली करने की व्यवस्था चाहती है तो ठीक ही है और सदन निश्चय ही इसको स्वीकार करेगा। लेकिन जिस तरह से, जिस प्रकार से यह वसूली करने का विचार विभाग करता है उसके विषय में अवश्य ही हमको सोचना पड़ेगा। अभी भी, जैसा इसमें बताया गया है कि जिसके पास बकाया है उसको उस तरह से बकाया की सूचना दी जायेगी उसमें एक निश्चित तारीख होगी और उस तारीख तक उसको अपना बकाया चुकाना पड़ेगा। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अगर वह मयाद बढ़ाना चाहेगा तो मियाद बढ़ाई भी जा सकती है। यह तो ठीक है कि जो बकाया है उसको वसूल करना चाहिए था और यह एक हमारे विद्युत् विभाग की बहुत वैसी लापरवाही रही या मैं तो कहूंगी कि गैर जिम्मेवारी भी रही कि उसने इस तरह बकाया रहने दिया। हमारे पास जो बिजली के बिल आते हैं उनमें लिखा होता है कि अमुक तारीख तक बिल चुका दिया जाय नहीं तो कनेक्शन काट दिया जायेगा। हमारा विद्युत् विभाग ऐसा करता भी है, जैसा जयपुर शहर में होता है, वह कई मामलों में तो कनेक्शन काटने में बहुत तेजी करता है। जहां पर उसने निश्चित समय रखा है, निर्धारित समय रखा है वहां पर अगर बिजली चालू रख दी जाती है या वह मशीन चालू रहती है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। पता नहीं; जब इतनी बड़ी २ रकमें संस्थाओं में, नगरपालिका आदि में या जिन भूतपूर्व शासकों में बकाया थी उनके विरूद्ध अब तक भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है, यह मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी क्योंकि यह सरकार की रकम है और इसको निश्चित रूप से वसूल करना चाहिए, अगर यह रकम इसी तरह से रूकी पड़ी रही और इसकी वसूली का कोई रास्ता नहीं निकला तो बहुत बड़ा नुकसान सरकार को होता रहेगा, उसके खजाने में जो पैसा आना चाहिए वह नहीं आयेगा, इसलिए यह वसूली तो होनी चाहिए और मैं तो इसके साथ एक सुझाव भी दूंगी कि जो कोई भी इस बकाया को रखने का जिम्मेदार हो उससे यह रकम दंड के साथ वसूल की जाय, उस पर कोई इस प्रकार दंड

(डॉ० चन्द्रकला)

लगाया जाय कि यह रकम वसूल होनी चाहिए थी वह क्यों नहीं हुई ? तो इस प्रकार से अच्छी तरह से वसूली होनी चाहिए। इस विधेयक के अन्दर यह प्रावधान रखा गया है कि जिस किसी में जो बकाया है उसकी नोटिस द्वारा सूचना देने के बाद भी अगर वह रकम जमा कराता नहीं है तो भू-राजस्व की जैसे वसूली होती है; कलेक्टर जिस प्रकार भू-राजस्व की वसूली का काम करता है उसी तरह से जैसे और राशियों के लिए कार्यवाही करता है उसी तरह इसके लिए कार्यवाही करेगा। निश्चय ही बकाया रखने वालों के प्रति कोई कड़ी कार्यवाही हो, इससे सदन सहमत होगा और उस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए। हमारी इतनी बड़ी बकाया जो चल रही है वह वसूल हो, इससे सदन सहमत हो सकता है, अपनी सहमति दे सकता है। लेकिन जिस तरह से वसूली की कार्यवाही होती है उससे मुझे आशंका है कि बकाया वसूली में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। अभी भी हमें उसी तरह से बिजली विभाग सूचना देता है बकाया की और मेरा ख्याल है कि वह तारीख भी निश्चित करता है लेकिन उसके बाद भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी २ रकमें बकाया हैं जिन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो कहीं ऐसा अब भी न हो जाय कि इस तरह से जो हमारे विद्युत् विभाग की बकाया रकमों की वसूली की कार्यवाही है वह भी इसी प्रकार चलती रहे और जो राशि हमें उपलब्ध होनी चाहिए वह उपलब्ध न हो। इसलिए हमको इस तरह से सोच-विचार कर प्रावधान करना चाहिए कि इस विद्युत् विभाग की जो इतनी बड़ी बकाया लोगों में बाकी चली आ रही है, जिसकी वजह से हमारे विभाग को बहुत बड़ा घाटा है और जिससे इसका विकास भी रुक रहा है, आज विद्युत् विकास की जितनी आवश्यकता है, बिजली का दिनों दिन जितना विकास कर सकें, जनता को जितनी अधिक बिजली दे सकें, उतना ही ठीक है; इन सब के लिए यह आवश्यक है कि यह विभाग, कम से कम अभी तक जो वसूली करनी है उसे वसूल कर लें और आगे की बकाया के लिए यह व्यवस्था कर दे कि किसी तरह बहुत अधिक दिनों तक यह चालू न रहे। सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया और इसका प्रावधान कर लिया और उस पर अब सदन की स्वीकृति चाही जा रही है तो यह सदन उस पर स्वीकृति तो देगा ही। लेकिन स्वीकृति देने से पहले अगर बहुत अच्छी तरह से सोच-विचार कर लिया जाय कि किस तरह से हम क्या प्रावधान करें, आगे कार्यवाही किस प्रकार से करें कि जिससे हमारी बकाया जल्दी से जल्दी वसूल हो जाय; इस पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद यदि हम इस पर स्वीकृति देते हैं, अच्छी तरह से विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति को दे देते हैं तो ठीक ही होगा। यह जरूरी नहीं है कि प्रवर समिति अधिक समय ले, अगले सत्र में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी उससे हमारे विभाग को मदद ही मिलेगी क्योंकि इतना लम्बा अर्सा चला आ रहा है और साल, दो साल ही नहीं, सालों का बकाया है जो इस तरह से पड़ा रह जाय, यह ठीक नहीं है और आगे भी पड़ा नहीं रहना चाहिए। इसको जल्दी से जल्दी वसूल करना चाहिए, इस दृष्टि से प्रवर समिति इस पर विचार करेगी। इस उद्देश्य से मैंने यह संशो-

(डॉ० चन्द्रकला)

धन प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही विद्युत् विभाग से और अपनी सरकार से मैं यह जरूर निवेदन करना चाहती हूं कि उसे इस विषय में बहुत सजग होना चाहिए कि इतनी बड़ी बकाया न रहे क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, जो बड़े २ लोग हैं वे अपने ऐशो आराम के लिए उसका उपयोग करते हैं और इतनी बड़ी बकाया उनमें रहती है और दूसरे लोग दुःख पाते हैं, बिजली से जो उद्योग-धंधे पनपने चाहिए वे नहीं पनप पा रहे हैं। इन सब बातों को हम देखते हैं और जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने भी बताया था कि आज सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट बता सके कि कुल कितनी बकाया है। तो सरकार को सारा ज्ञान होना चाहिए, सारी स्थिति की जानकारी होनी चाहिए और इस तरह से काम करेंगे तो अच्छा हो। यह विभाग बहुत बढ़ने वाला है और हमारी आय का जरिया इस विभाग का होना चाहिए। मैं आशा करती हूं कि विद्युत् विभाग इसी तरह से काम करेगा और इस प्रावधान का इस तरह से उपयोग कर सकेगा कि बकाया वसूली का काम जल्दी से जल्दी हो।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है कि इस बिल 'राजस्थान सरकार विद्युत् प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) विधेयक, १९६० को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय और उक्त सिलेक्ट कमेटी, इस बिल के अन्दर जो जो मामले हैं उन पर विचार करके, जैसे कि इस बिल के क्लॉज़ ३ के उप खंड (२) में दिया है कि 'यदि उक्त तारीख तक प्राप्य राशियों का भुगतान नहीं किया जाय तो ऋणी, राशि के अतिरिक्त, ऐसी शास्ति जो भी निर्धारित की जाय, अदा करने का भागी होगा और उक्त बकाया राशियां मय शास्ति राशि के तथा खर्चा जो वसूली में हो के सहित, इस अधिनियम में एतद् पश्चात् उल्लिखित रीति से वसूल की जाने योग्य होगी।' इस तरह मैं समझता हूं कि इसमें कई बातें ऐसी हैं जिन पर सिलेक्ट कमेटी में ज्यादा सोच-विचार किया जा सकता है और उसमें एक बात यह बताई गई है कि एक मांग पत्र दिया जायेगा और वह मांग पत्र रजिस्ट्री से या डाक से भेजा जायेगा। उसमें ऐसा होगा कि मिले या नहीं मिले, इस तरह की बहुत सी बातें हैं। इस बिल में जिन पर बहुत डिटेल से, ध्यान से विचार करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इस बिल को एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। अभी जैसा कि मेरे माननीय सदस्य बोले थे डॉ० बहादुरसिंहजी, उन्होंने बतलाया था कि अगर सात दिन में सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे तो मैं उससे भी सहमत हो सकता हूं और मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के अन्दर भेजा जाय जो इस पर विचार करके जल्दी से जल्दी अच्छी तरह से डिटेल में जाकर जांच करे ताकि जो वसूली का मामला है, जैसा कि हम देखते हैं कि विकास के काम रुके हुए हैं क्योंकि हमें रकम नहीं मिलती, बिजली विभाग ऐसा जरिया है जिससे इन्कम होती है स्टेट को, उस रकम को जल्दी से जल्दी वसूल की जाय। इसलिए यदि सिलेक्ट कमेटी में डिटेल में उस पर विचार किया गया तो मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे काफी

(श्री लक्ष्मण हीरात)

फायदा हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की इजाजत देंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान सरकार विद्युत् प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) विधेयक, १९६०, जिसके लिए मैंने प्रस्ताव किया है कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। यह जो बिल हमारे सामने है यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है, और उसका कारण यह है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने १ जुलाई, १९५७ से अपने निर्माण के बाद आज तक जो कुछ भी पहले की बकाया रकम थी उनको वसूल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, सन् १९६० के आने के बाद उनकी आंखें खुली कि हमारी जो बकाया रकम है वह वसूल नहीं हो रही है उसके लिए हम क्या कदम उठायें।

अभी अभी हमारे सदन में एक बिल पहले भी आया था लैण्ड रेवेन्यू - रिकवरीज़ एक्ट के सम्बन्ध में और उस रकम को किस प्रकार से वसूल किया जायगा उस प्रकार का बिल सलेक्ट कमेटी के पास गया। जो बात उसमें थी उसी प्रकार की बात इस बिल में रखी गई है और वह यह है कि जिस किसी व्यक्ति में, चाहे वह म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे वह कोई व्यक्तिगत उद्योग हो, चाहे कोई व्यक्ति ही हो और शायद और तरह के व्यक्ति हों, जिनमें इस प्रकार की रकम बकाया है, उनसे वसूल किया जायगा।

जहां तक म्युनिसिपैलिटी का प्रश्न आता है यदि हम इसको पास कर देते हैं तो आज हम देखते हैं कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ की हालत कितनी खराब है। अपनी सफाई और पटान वगैरह बनाने का काम करने के लिए भी वे राज्य सरकार की सब्सिडी की ओर देखती रहती हैं और इस प्रकार से नगर–पालिकाओं के ऊपर, जहां जहां भी बिजलीघर हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी रकम बकाया है। यदि इस बिल को हम यहां पर आज पास करा देते हैं तो उन नगरपालिकाओं के सामने बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाती है जो कि पहले से ही डेफिसिट जा रही हैं, जिनके पास पहले से ही पैसा नहीं है और लाखों रुपयों का जिनके ऊपर कर्ज है, वे कैसे चुकायेंगी एकदम ? कोई विवाद हो तो रकम चुकाने के बाद सिविल कोर्ट में जाकर कार्यवाही करेंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की छोटी नगरपालिकाओं के ऊपर यदि इसको हम अभी पास कर देते हैं तो बहुत बड़ा आघात सा होगा। इसलिए इस विधेयक में हमें इस प्रकार का प्रावधान जोड़ना पड़ेगा कि जहां पर नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में है वहां पर कुछ अलग बातें रखी जायं, जहां दूसरे उद्योगों के विषय में है वहां दूसरी बातें रखी जायं, प्राइवेट पर्सन्स के विषय में दूसरी बातें रखी जायं।

मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इस बात के पॉवर्स हैं कि कोई व्यक्ति पैसा समय पर नहीं देता है तो कनेक्शन काट देंगे। जगह जगह कनेक्शन काटे जाते हैं। उसके बावजूद देखने में यह आता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पैसा कई लोगों में बकाया है। जब इस प्रकार का प्रावधान कनेक्शन काटने और रकम को वसूल करने का पहले से ही मौजूद है तो इस प्रकार

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों उपस्थित हुई ? मैं यह समझता हूं कि इस बिल के पास हो जाने से कुछ लोगों को, जो यह समझते हैं कि उनको इस प्रकार की कोई रकम देना नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनसे मांगता है यह डिस्प्युटेड रकम है तो भी उन लोगों को बिना सुने हुए, बिना किसी प्रकार का कारण बताये अपनी रकम को एक मुश्त जमा कराना पड़ेगा। यदि रकम जमा करा दें तो उस रकम के ब्याज का क्या होगा, क्या वह रकम ब्याज सहित लौटाई जाय ? जो रकम उसके उपयोग में आनी चाहिए उस रकम को वह उपयोग में नहीं ले सकेगा और इस तरह कई लोग अपनी जीविका को चलाने से महरूम हो सकते हैं। यह इस प्रकार का कठोर कानून है जिसकी वजह से कुछ लोगों के लिए काफी हैरासमेंट हो सकता है।

एक बात इसके अन्दर देख कर मुझे और भी आश्चर्य हुआ। लिमिटेशन एक्ट के अन्दर हमेशा ३ साल की अवधि हुआ करती है,पर यहां इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज़ के लिए ६ साल की अवधि रखी गई है। ६ साल के जितने भी ड्यूज़ हैं वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वसूल कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि ६० में अवधि समाप्त होने वाली थी लिमिटेशन की तो १९५७ से ६० तक इस प्रकार हाथ पर हाथ धर कर क्यों बैठे रहे ? क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों के लिए इस प्रकार का बकाया का प्रश्न आने वाला था वसूली की कार्यवाही की गई ? लेजिस्लेशन लाकर अपनी गल्ती को दुरुस्त करना चाहते है यह डेमोक्रेसी का स्वस्थ तरीका नहीं कहा जा सकता। हमारे विभागों की जो कुछ भी कमजोरियां हैं, जो कुछ भी गल्तियां हैं उनको छिपाने के लिए लेजिस्लेशन का रूप देकर जो तरीका अपनाते हैं वह सही तरीका नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल ऐसा बिल है जिससे लिमिटेशन यानि कानून की जो कुछ बातें आज तक चली आ रही हैं उन सारी बातों को तोड़ना चाहते हैं। आज तक किसी भी सिविल प्रोसीजर को लीजिये, लिमिटेशन एक्ट को लीजिये उसके अन्तर्गत ३ साल की मियाद हर प्रकार के दावा करने को होती है। यहां पर ६ साल की मियाद इस प्रकार से बढ़ा दी गई है ३ साल से करके, तो मैं नहीं समझ सका कि आज तक की परिपाटी, परम्परा जो है, कन्वेन्शन जो है, उन सब को क्यों तोड़ देते हैं ? और इस प्रकार से जिन लोगों के कलेम्स बन जाते हैं उन लोगों के कलेम्स को हम निरुत्साहित करते हैं। मैं इस बात को स्वीकार जरूर करता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्य का है। राज्य का पैसा जरूर वसूल होना चाहिएजिन लोगों में पैसा है उनसे। लेकिन दूसरा तथ्य इस प्रकार का है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिस प्रकार से रकम वसूल करेगा, एक मुश्त वसूल करेगा, वह ठीक नहीं है।

जब इस बिल को देखते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है और दूसरी यह है कि जिन लोगों के अन्दर ड्यूज़ हैं उनसे बिना किसी सुनवाई के वसूली होगी यानि उनकी सुनवाई नहीं होगी तो उन लोगों को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, नोटिस दिया कि इस तारीख तक जमा कराओ तो उनको जमा कराना पड़ेगा। नहीं कराते हैं तो विभाग कलेक्टर को भेज देगा और कलेक्टर लैण्ड रेवेन्यू की तरह उनको वसूल करने

(श्री दयाकृष्ण विजय)

की कार्यवाही शुरू कर देगा। कार्यवाही शुरू होने का मतलब यह है कि पहले पैसा जमा करा दो, इन-प्रोटेस्ट आप जमा करा दो। इन-प्रोटेस्ट जमा करा देने के बावजूद जिनके ऊपर कुछ ड्यूज़ हैं उनको एक मुश्त रकम जमा कराने में बड़ी मुश्किल आती है। इस प्रकार हमको इन बातों की सुविधा देनी पड़ेगी कि इस प्रकार की एप्ली-केशन दे दे कि इन्स्टालमेंट में जमा कराये और इन-प्रोटेस्ट जमा कराने से पहले एक समेरी इन्क्वायरी की तरह हियरिंग होनी चाहिए। यदि कलेक्टर यह समझ जाता है कि उसकी जिनुआइन बात है तो उसको बात रखने का अवसर देना चाहिए और उसके बाद में रकम को जमा कराये। यदि इस प्रकार की बात नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से एक पक्ष के साथ में हेरासमेंट है और दूसरे पक्ष को एक प्रकार से लाभ देना होगा। यह ठीक है कि दूसरा पक्ष सरकार है और सरकार कानून बनानेवाली है, नियम बनाने वाली है। सरकार का पैसा वसूल होना चाहिए, इस बात को मानते हुए भी सरकार दूसरे लोगों के लिए जिनसे वह रकम वसूल करने वाली है इस प्रकार का कानून नहीं बनाये कि उनको परेशान होना पड़े।

दूसरे, लोगों के राइट्स जिनकी संविधान ने गारन्टी दी है उनके लिए कम से कम इस प्रकार का कानून नहीं बनाये कि जो कॉन्स्टी-ट्यूशन के फन्डामेन्टल राइट्स के खिलाफ पड़ता हो। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा यह बिल एक तरह से लोगों के फन्डामेन्टल राइट्स हैं, उनके क्लेम्स के लिए, राइट के लिए लड़ने का, अपने राइट को मनवाने का जो राइट है, उनके खिलाफ है। इन-प्रोटेस्ट आप पहले रकम ले लें और फिर जाकर वह सिविल कोर्ट में दावा करें, यह उनके फन्डा-मेन्टल राइट्स पर आघात होता है। इस प्रकार की चीज़ इस बिल में नहीं लानी चाहिए। हो सकता है कि जिन लोगों में बड़े बड़े ड्यूज़ हैं उन लोगों से लेने की आवश्य-कता हो जाती है, इस कारण से कि इलेक्ट्रि-सिटी बोर्ड को कुछ मुनाफा दिखाना पड़ता है, या मुनाफा नहीं दिखाये तो भी खर्च और लाभ बराबर चलता रहे, जिस पॉलिसी पर कि आज वह चल रहा है। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है उस ओर मैं ध्यान नहीं दिलाना चाहता लेकिन कम से कम इस बात को कहना चाहता हूं कि तीन साल तक क्यों नहीं कार्यवाही की गई? यह उनकी सुस्ती का परिणाम है। उसके लिमिटेशन को बढ़ाया जाय, यह एक कानूनी भूल हो जाती है। इससे सारी कठिनाइयां आने वाली हैं, लिमिटेशन की मयाद को बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता, इन सारी बातों पर विचार करने के लिये बहुत जरूरी है कि इस बिल पर शान्ति के साथ बैठ कर विचार किया जाय। यह दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं।

एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस बिल के द्वारा हमारा जो संविधान प्रदत्त फन्डामेन्टल राइट है अपनी बात रखने का, वह इन-प्रोटेस्ट जमा कराने में खत्म हो जाता है। लिमिटेशन एक्ट की मियाद बढ़ाने से लिमिटेशन एक्ट को हमने खत्म किया वहां कॉन्ट्रेक्ट एक्ट को भी हम खत्म कर रहे हैं। धारा ६ के अन्दर लिखा हुआ है, मैं हिन्दी का ही पढ़ कर सुनाता हूं ताकि सब की समझ में आ जायेगा :—

(श्री दयाकृष्ण विजय)

"....वह रकम, किसी अन्य कानून या विलेख या इकरारनामे में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूली के योग्य होगी।"

कोई इकरारनामा इस प्रकार का लिखा हुआ है कि इतने साल के अन्दर रकम जमा करायेंगे या और कोई इकरारनामा या इस प्रकार का कॉन्ट्रेक्ट हुआ है तो भी रकम इन–प्रोटेस्ट जमा करानी पड़ेगी तो फिर इस प्रकार का इकरारनामा लिखने का, न्याय शुल्क देने का, स्टाम्प ड्यूटी जो देनी पड़ी है, उन बातों के लिखने में जितनी कार्यवाही करनी पड़ी है वह सब बेकार हो जाती है। मैं समझता हूं कि ये सारे लीगल कॉन्सी-क्वेन्सेज़ हो सकते हैं, इन सबको देखना पड़ेगा। कोई इकरारनामा लिखा हुआ है। उसकी शर्तें क्या हैं, जब तक समरी ट्रायल से कलेक्टर नहीं कर लेता है और उससे पहले हम रकम उससे जमा करा लेते हैं तो वे सारी बातें उसके इकरारनामे के खिलाफ होंगी, उसके खिलाफ पड़ेंगी और कानून के भी खिलाफ पड़ेंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कानून को जल्दी में पास करने के बजाय इस पर अच्छी तरह से सोच समझ कर इसे पास करना चाहिये। मैं यह भी सोचता हूं कि इस तरह का कानून जल्दी पास होना चाहिये। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जल्दी में हम कोई ऐसा कानून बना दें जिससे आगे चल कर अड़-चनें पैदा हो जायं। हमारी सरकार का जल्दी जल्दी में कानून बनाने का विचार है लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कहीं हाईकोर्ट में जाकर उल्टा न हो जाय। हमने कई बार हाईकोर्ट में मुंह की खाई है और हाईकोर्ट ने कहा है कि राजस्थान सरकार को कानून में संशोधन करना चाहिये। कहीं यह भी हाईकोर्ट से वापिस न आ जावे। इन बातों पर विचार करने के लिए, कहीं लिमिटेशन के मामले में उलझन न पैदा हो जाय या कॉन्ट्रेक्ट एक्ट की धाराएं इससे खत्म न हो जायं, इन सारी बातों को देखने के लिए और उन पर विचार करने के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना बहुत जरूरी है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने इस स्टेट ड्यूज़ रिकवरी बिल को सलेक्ट कमेटी के पास भेजने के बारे में रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित है कि इलेक्ट्रिसिटी के करोड़ों रुपये आज बाकी हैं लोगों में, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग ऑफिसरों में और अलग अलग कन्ज्यूमर्स में। वर्षों से उन्होंने बिल्स के पैसे जमा नहीं कराये हैं और जब इसके लिये यहां पर एक कानून पेश किया जाता है तो उसमें भी डिले करने की कोशिश की जाती है। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों किया जाता है। एक साधारण सी बात है। सरकार का पैसा है। पहले इसके लिए सरकार की डाइरेक्ट जिम्मेदारी थी लेकिन अब बोर्ड बन गया है और सरकार की जिम्मेदारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ट्रान्सफर हो गई है। इसलिये अब बोर्ड के द्वारा किस प्रकार से पैसा वसूल किया जा सकता है, इसके लिए कानून बनाना जरूरी है। जो पैसा बाकी है उसको जमा कराना है, इसके लिये प्रावधान इस बिल

(श्री तेजमल बापना)

में स्पष्ट है। कानून से प्रेस्क्राइब्ड आॅथोरिटी को माना जायगा जिसके पास जिन जिन में ऐसी रकम बकाया है उनकी लिस्ट होगी और वह उनको नोटिस देगा। यदि वे इस पर आपत्ति करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर भी यदि उनको उस आॅथोरिटी से संतोष नहीं है तो वे सिविल कोर्ट में सूट दायर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले उनको पैसा जमा कराना होगा। यह सही बात है क्योंकि वास्तव में पैसा बकाया है वह उनको जमा कराना चाहिये।

इसमें एक, दो बातें वास्तव में आपत्तिजनक हैं लेकिन उनको आपत्तिजनक नहीं माना जा सकता क्योंकि वे संरक्षण के तौर पर हैं, जैसा मयाद का प्रश्न है। गवर्नमेंट दावा करे उसके लिए ६ साल की मयाद मुकर्रर थी लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो वह गवर्नमेंट की तारीफ में नहीं आ सकता, वह एक अलग आॅथोरिटी की तारीफ में आता है, इसलिये मयाद का जो फायदा गवर्नमेंट को दिया जा सकता है वह उसका उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए इसमें जो एक्सटेन्शन मांगा है वह वास्तव में न्यायसंगत है। तो फिर इस बिल में कौनसी क्लॉज़ आॅपत्तिजनक है, यह किसी भी महानुभाव ने नहीं बताया कि इससे जनसाधारण को आपत्ति होगी, दुविधा होगी या परेशानी होगी। अगर परेशानी होगी तो क्या परेशानी होगी? पैसा उनको देना है, जमा कराना है। यदि किसी पर्टिकुलर केस में बिल फर्जी बनाया हो तो सूट फाइल करके रिलीफ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस बिल में जो प्रावधान किये गये हैं वे सीधे से हैं। मैं नहीं समझता कि उनसे कोई दिक्कत पेश आने वाली है जिसके कारण से इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजना जरूरी हो। मैं समझता हूं यह जरूरी बिल है और इसमें साधारण से अमेंडमेंट्स मूव किये गये हैं उनको यहीं पर देख कर पास करना चाहिये।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने इस राजस्थान गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी अन्डरटेकिंग बिल को प्रवर समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव आया है, मैं उसका विरोध करता हूं और सदन के सामने विचार रखता हूं कि राजस्थान की आज की परिस्थिति को देखते हुए ऐसे विधेयक को जल्दी ही पास करना इस सदन के लिए नितान्त आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां पर रखे उन्होंने इस बात को तो तसलीम किया कि वास्तव में राजस्थान के विद्युत् विभाग की रकम बहुत से लोगों में, बड़े लोगों में और दूसरों में बकाया है और वह धन राशि इतनी है कि जिसको सरकार की साधारण मशीनरी रिकवर नहीं कर सकती। इसलिए यह बात तो जरूरी है कि किसी न किसी कानून से कोई ऐसा रास्ता सरकार को अपनाना आवश्यक है जिससे सरकार की रकम वसूल की जा सके। अब सवाल यह है कि सरकार की तरफ से इस प्रकार का विधेयक लाकर जो रास्ता अपनाया जा रहा है वह ठीक है या नहीं, उस पर विचार करने के लिए किसी प्रवर समिति को इसे सौंपा जाय या नहीं?

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं विधेयक को समझ सका हूं, उसमें कोई ऐसा

(श्री शंकरलाल)

मामला नहीं है, कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है, कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है जिसके कारण इस पर प्रवर समिति विचार करे और सदन के माननीय सदस्यों का समय इस पर विचार करके जाया किया जाय । क्योंकि जो भी इस सम्बन्ध में आर्गुमेंट्स आये हैं वे अधिक वजन नहीं रखते । एक माननीय सदस्य ने यह बताया कि यह विधेयक रिकवरी करने के लिए काफी नहीं होगा, इसमें जो प्रोवीज़ो रखा है जिसमें उस अधिकारी को इस बात का अधिकार दिया जायगा कि वह मयाद बढ़ा सकता है । उन्होंने धारा ६ का उल्लेख करते हुए बताया कि वह अधिकारी मयाद बढ़ा सकता है । दूसरी तरफ प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये यह कहा गया कि बहुतसी नगरपालिकाएं और ऐसी संस्थाएं हैं जिनका खर्चा भी मौजूदा इन्कम में नहीं चल सकता इसलिए उनको सरकार से लोन लेना पड़ता है । यह विधेयक लागू होगा तो उनके लिये समस्या खड़ी हो जायगी कि सरकार की रकम कैसे दी जाय । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रोविजो इसलिये रखा गया है कि कोई ऐसी संस्था है जैसे मान लें कोई म्युनिसिपैलिटी है तो उसके लिये प्रोविज़ो रखा गया है । ऐसे सरकमस्टान्सेज़ के लिये रखा गया है जिसके अन्तर्गत उस अधिकारी को अधिकार होगा कि वह मियाद बढ़ा सके । यह कहना कि प्रोविजो डाला है इसलिए रिकवरी नहीं होगी और दूसरी ओर यह कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी आदि संस्थाओं के लिये यह स्ट्रिन्जेन्ट होगा, उचित नहीं है । सरकार ने इन दोनों ही बातों का ध्यान रखा है, ऐसी परिस्थिति आनेवाली हो तो एक्सटेंशन दिया जा सकता है और यदि ऐसी परिस्थिति हो कि रकम आ सकती है तो एक्सटेन्शन नहीं दिया जायगा । लेकिन जब म्युनिसिपैलिटी या संस्था का सवाल होगा जिसके लिए जटिल समस्या होगी तो लिमिटेशन ऐसी परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है ।

दूसरी बात यह बताई गई कि तीन साल का समय था उसको बढ़ा कर ६ साल का समय क्यों रखा गया है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड बनने के पश्चात् रिकवरी इसलिए नहीं हुई कि हमारे पास कानून या नियम नहीं थे । यह सरकार जनता की है और जनता का ही पैसा है, व्यक्तिगत नहीं है तो ३ वर्ष रखा जाय या ज्यादा रखा जाय ? कानून के अनुसार मयाद बढ़ाई जाती है तो जनता के हित में बढ़ाई जाती है । पहले इस कानून के अभाव में ऐसी परिस्थिति हो रही थी कि ३ साल से बोर्ड रकम वसूल नहीं कर सका था इसलिए जब तक मयाद नहीं बढ़ायेंगे तब तक मयाद गुजर जायगी तो कैसे लाखों–करोड़ों रुपयों की रकम वसूल होगी ? इसलिए यह कहना कि मयाद बढ़ाने से दिक्कत होगी, ठीक नहीं है । जो लोग सरकारी रकम नहीं देना चाहते हैं, सरकार से झगड़ना चाहते हैं वे फिर भी झगड़ेंगे । लेकिन सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि रकम वसूल करने का प्रयत्न किया जाय और सदन के माननीय सदस्यों का भी कर्त्तव्य हो जाता है कि उसे वसूल करावें क्योंकि वे भी जनता के प्रतिनिधियों के रूप में यहां आते हैं । जो जनता की सरकार का पैसा है, जो लोगों में बकाया है, जिसे लोग जान–बूझ कर देना नहीं चाहते, जो बकाया रकम है, वह हजारों और लाखों की धनराशि है, वह उन कामों

(श्री शंकरलाल)

में आ सकती है, जो सरकार के कार्य रुके हुए हैं। इसलिए यह रकम जल्दी से जल्दी वसूल की जाय और इसके लिए जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाय। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ यह बताया गया है कि इसमें जो पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट है, उसमें जो प्रावधान है, उसका हवाला दिया गया है, जो कानून बनाया है, उसको उसी प्रकार लागू समझा जायगा। जहां पर यह कॉन्ट्राडिक्शन आया है, उसको स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए यह कहना कि लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा और यह विधान के खिलाफ है, उचित नहीं। जिन माननीय सदस्य ने यह कहा, उन्होंने विधान की धारा नहीं बताई, जिसके अनुसार यह कहा गया कि यह विधान के विपरीत है। मैं नहीं समझ सकता कि यह कानून विधान की किस धारा के विपरीत होगा क्योंकि सरकार अपनी रकम की वसूली के लिए नियम बना रही है। अध्यक्ष महोदय, जो भी आर्गुमेंट्स आये हैं, वे कन्विन्सिंग नहीं हैं, जिससे कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाय। सब माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार की जो रकम बकाया है वह जल्दी से जल्दी वसूल होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर इसमें थोड़े हेरफेर की जरूरत हो तो वह संशोधनों के जरिये ठीक की जा सकती है। इसलिए इस बिल को प्रवर समिति में भेजना और इसमें डिले करना, मैं समझता हूं अनावश्यक बात होगी। इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप कर न शीघ्र से शीघ्र पास किया जाना चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On Point of order, Sir, I draw your attention to Rule 61 of the Rules of Procedure which states that "a Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law."

तो अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्शियल मेमोरन्डम इसके साथ में दिया गया है, क्लॉज ६१ को ध्यान में रखते हुए, उसमें यह है:

"It is hardly possible at this stage to estimate the financial implications involved in this case".

That means the financial memorandum provided to the House is not clear and is not explicit as to what will be the financial repurcussions of passing this Bill. The memorandum further says, "Any expenditure that may be incurred from the consolidated fund will be nominal".

While on the one hand the Hon'ble Minister admits that the financial implications are not known; on the other hand he says that the expenditure will be nominal. Rule 61 clearly says that the Bill involving expenditure must particularly draw the attention to those clauses which will involve expenditure, but in this financial memorandum, the attention of the House has not been drawn to those clauses. Therefore, when this financial memorandum is incomplete, the House cannot consider this Bill

(श्री श्रीभानसिंह)

till the financial memorandum is completed and submitted before this House.

श्री हरिशचन्द्र (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसके सिलसिले में मुझे आपसे यह अर्ज करना है कि फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स इस बिल के इस वक्त देना करेक्ट नहीं होगा क्योंकि लाएबिलिटीज़ इतनी हैं, वे डे-टू-डे बढ़ती जाती हैं। अगर मैं इसके फिगर्स हाउस के सामने रखता हूं तो वे इनकम्प्लीट फिगर्स होंगे, रोंग फिगर्स होंगे। इस वास्ते यह स्टेटमेंट हाउस के सामने पेश नहीं किया गया है। जहां फाइनेन्स रेकरिंग एक्सपेन्डीचर का सवाल है, वसूली इस वक्त भी हो रही है। इसलिए रखा गया है कि नोमीनल खर्चा होगा। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, जिसको सेपरेट रखा जाय। जो एग्ज़िस्टिंग ऑथोरिटीज़ हैं, वे ही इसकी वसूली करेंगी, यह कानून उनको फेसिलिटेट करेगा।

श्री श्रीभानसिंह : अगर कोई फाइनेन्शियल कम्प्लीकेशन्स नहीं थे, तो यह बता देना चाहिये था कि कोई एक्सपेन्डीचर नहीं होगा। यह कहते हैं एक तरफ कि एक्सपेन्डीचर मालूम नहीं है: क्या होगा ? दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट दिया है कि एक्सपेन्डीचर नोमीनल होगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं। आपका कहना है कि ड्यूज़ का इसमें प्रश्न नहीं है, ड्यूज़ आपकी लाएबिलिटीज़ हैं, लेकिन वे ही असेट्स बनने जा रही हैं, एक्ट के बाद। लेकिन जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे ड्यूज़ की रिकवरी के लिए, उसका रेकरिंग या नॉन रेकरिंग एक्सपेन्डीचर क्या होगा, यह सदन के सामने होना चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने निवेदन किया है कि मशीनरी ऑलरेडी सेट-अप है। उसके फिगर्स माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं पेश कर सकता हूं, इसलिए इसमें एडशीनल खर्चे का सवाल नहीं है, क्योंकि मशीनरी वर्क कर रही है।

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर): संघनित निधि में से कितना खर्चा होगा, वह आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम में उस खर्च का जिक्र होना चाहिए, जो इस बिल के पास होने से होगा, लेकिन ऐसी स्थिति हो सकती है कि यह निश्चय नहीं हो कि कितना खर्चा होगा।

श्री श्रीभानसिंह : "It is not possible at this stage to say exactlyhow much will be spent." Does this statement in the financial memorandum absolve the Hon'ble Minister from following Rule 61 of the Rules of Procedure ? Does Rule 61 say that where estimate of expenditure is not possible a vague memorandum may be given ? The Rule is clear that a financial memorandum showing the expenditure, recurring as well as non-recurring, must be placed before the House.

श्री अध्यक्ष : Rule 61 contemplates a financial memorandum. Now what we have to see is what form this memorandum should have. The Hon'ble Member Objects that it is not detailed enough as revqured under Rule 61; but there can be cases, as

(श्री अध्यक्ष)

in the present case, where it may not be possible to estimate exactly how much will be spent. Therefore, to that extent this memorandum can be said to be in order.

डॉ० बहादुरसिंह : उसमें प्रोवीज़ो में भी है:"परन्तु जहां किसी विधेयक में कोई खंड, जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में न छपा जाय, तो अध्यक्ष विधेयक के प्रभारी सदस्य को ऐसे खंडों को सदन की जानकारी में लाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।"

आप हमें आॅर्डर दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : That is a minor thirg which should have been attended to. I don't think it should hold up the discussion at this stage.

माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, कृपया जारी रखें ।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने राजस्थान सरकार विद्युत प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) विधेयक, १६६० पेश हुआ है । उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य की ओर से प्रवर समिति के अन्दर भेजने का प्रस्ताव पेश हुआ है । मैं उसके पक्ष में निवेदन करूंगा । जहां सरकार की बकाया रकम की वसूली का सवाल है, मैं सहमत हूँ कि उसकी वसूली के लिए कानून बनना चाहिए । वह पैसा भी हमारी जनता का है, हमारी सरकार भी जनता की है । उस पैसे को वसूल करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है । इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह का कोई कानून हो और उसके द्वारा हमारी बकाया राशि की आसानी से वसूली हो सके । लेकिन इस विधेयक में कुछ बातें ऐसी हैं कि हमारे यहां के नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए हैं, कानूनी अधिकार, उनसे उनको वंचित किया जा रहा है । इसलिए उसके विरोध में मैं निवेदन करता हूँ कि इस विधेयक में जहां यह एक जगह लिखा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, कि एक तो रकम बकाया है,उसके लिए फौरन उस बाकीदार को नोटिस मिलेगा और नोटिस मिलते ही उस बकाया को बाकीदार जमा करा देगा और उसके बाद छः महीने के अन्दर अन्दर उसकी उजरदारी पेश करेगा । मेरा यह निवेदन करना है, मैं यह समझता हूं कि अगर वह रकम जो बाकीदार देता है, वह उसके ख्याल से अनुचित भी है, तो भी उसको नोटिस मिलते ही जमा करा देने की बात है ! मैं समझता हूं यह उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अन्याय है । इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरह से दूसरी जो बकाया हैं, वे वसूल की जाती हैं, उसी तरह से यह वसूल होनी चाहिए और इस बात का मौका देना चाहिए कि वह अपने उजरात पेश कर सके और न्याय प्राप्त कर सके । उसके बाद जो सही बकायात हैं वे जमा कराये जा सकते हैं अन्यथा आज हमारे सामने हमारे गांवों में आर्थिक संकट प्रत्येक नागरिक के ऊपर है, वह हमारे सदन से छिपा हुआ नहीं है

(१ म० प०)

आज कोई भी अनुचित रकम वे वसूल कर ले जावेंगे और उनके बाद कई दिनों तक उसको वापिस लेने के लिए उनके पीछे पीछे फिरना पड़ेगा और कोई सुनवाई नहीं होती है ।

(श्री शिवचरणदास)

यहां पर यह प्रश्न आता कि है सरकार की इतनी बड़ी बकाया है उसको सरकार वसूल करे तो मैं आपके सामने एक नजीर प्रस्तुत करूंगा कि सरकार ब्याज पर ब्याज जोड़ कर ऐसी बकाया निकालती है और उसको वसूल करती है ! जबकि हमारे यहां सरकार की तरफ से ऐसे कानून बनाये गये हैं जिनमें यह कहा गया कि यदि ब्याज पर ब्याज भी जोड़ा हो तो उस पर दूसरे कानून का असर नहीं होगा। लेकिन हाईकोर्ट में इसके लिए सरकार को डिफीट खानी पड़ी है। मैं आपको जोधपुर के इन्द्रसिंहजी के केस का हवाला देना चाहता हूं जिसमें हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इस प्रकार की बकाया के लिए कानून, चाहे सरकार हो या साधारण नागरिक हो, जहां बकाया की वसूली का प्रश्न है वहां दोनों एक ही केटेगरी में हैं। इसलिए किसी कानून का प्रभाव दोनों पर बराबर होना चाहिये। यदि हम इसको यहां पर तय कर देते हैं तो इसके विरोध में लोग रिट हाई कोर्ट में करेंगे और वहां से ऑर्डर होगा। इससे अच्छा यही होगा कि हम पहले ही कानून को प्रत्येक नागरिक की सुविधा की दृष्टि से ही बनावें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

मैं, यह भी निवेदन करूंगा कि हमारा प्रत्येक नागरिक यह गर्व करता है कि हमारा राज्य है ? हमारे राज्य में और दूसरों के राज्य में क्या अन्तर है। अन्तर यही है कि आज किसी प्रकार से किसी के द्वारा किसी का शोषण होता है, दमन होता है तो उसके कुचक्र से स्वभिमानपूर्वक लोग बचाये जा सकें। लेकिन अगर इस प्रकार के दमन और शोषण आज भी हमारे पर होते हैं तो अपने और पराये शासन में कोई अन्तर नहीं है। इसलिए मैं जहां तक समझता हूं वह यह है कि इसमें एक चीज़ और हो। आगे धारा (६) में लिखा गया है, "यदि धारा ४ के अधीन तामील किये गये मांग पत्र में उल्लिखित विभिन्न प्राप्य राशियों, शास्ति तथा खर्चे की कुल रकम तामील की तारीख से या बढ़ाई गई ऐसी अवधि जिसे निर्धारित प्राधिकारी समय समय पर मंजूर करे, की तारीख से तीस दिन के भीतर २, निर्धारित प्राधिकारी के पास जमा नही कराई जाती है तो ऋणी ऐसी रकम के संबन्ध में दोषी समझा जायेगा और वह रकम किसी अन्य कानून या विलेख या इकरारनामे में किसी विपरीति बात के होते हुए भी भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।" यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम दूसरे कानून को चैलेंज करके पास करने जा रहे हैं और नागरिकों के उस अधिकार को छीनना चाहते हैं कि जो इकरारनामे की शर्तें हैं उनका हक भी उनको न मिले। अगर उसमें जो मयाद इंकरारनामे की है उसकी भी पाबन्दी नहीं करावें और दूसरे कानून से इसको दूसरा बना कर विलोपित करें; यह तो उचित नहीं होगा !

इसी प्रकार मयाद का प्रश्न आता है। क्लॉज़ ९ में यह कहा गया है, इन्डियन लिमिटेशन के विरोध में हम यह तय करने जा रहे हैं कि जहां तीन साल की मयाद है, हम यहां पर ६ साल की मियाद तय करने जा रहे हैं ! मैं निवेदन करूंगा कि यह अनुचित है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह सरकार की बकाया की वसूली के लिए है इसलिये अगर ६ साल की मयाद तय करें तो अनुचित नहीं होगा। मैं यह निवेदन

(श्री शिवचरणदास)

करूंगा कि साधारण नागरिकों के लिए और सरकार के लिए कानून में क्यों फर्क होना चाहिये। आज तक सरकार ने वसूली नहीं की, वह क्यों नहीं की? आप क्षमा करेंगे, अगर मैं यह कहूं कि यह एक भ्रष्टाचार को फैलाने की रूपरेखा है। इतने दिनों तक वह बकाया क्यों रह गई। इसका क्या कारण था। मुझे इस बात का अनुभव है अध्यक्ष महोदय, इस बात की और कई नजीरें भी हैं कि जब कभी किसी महकमे में इस प्रकार बकाया होती है और उसकी वसूली का प्रश्न आता है तो सबन्धित कर्मचारी अधिक से अधिक उसमें टालमटोल करते रहते हैं और इसी से भ्रष्टाचार पनपता है और यही कारण है कि इतने समय तक सरकार की बकाया पड़ी रहती है। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि सरकार की बकाया इतने समय तक पड़ी रहे। सरकार के पास कई रास्ते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की बकाया को इतने दिनों तक एवोइड करके बकाया रखी और बाद में इस दमनरूपी कुचक्र के रूप में यह नागरिकों पर थोपना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज के प्रगतिशील समय में यह न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिए मेरा यह निवेदन करना है कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और आपके द्वारा यह सदन से निवेदन करूंगा कि इसमें इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जिन पर बहुत ठंडे दिमाग से, ठंडाई से सोचना होगा और विचार करके इसको पास करना चाहिये।

अब रहा यह प्रश्न कि इतनी बड़ी बकाया बताई जाती है उसके लिए यह बिल लाया गया है, इसमें भी दो–तीन महीनों का समय दे दिया जावे; यह नहीं कि ६ साल तक की मियाद बढ़ाई जावे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामने पेश हुआ है, ऐसा नहीं कि जिसमें बहुत विचार करना हो। यह एक ऐसा है कि पुरानी बकाया सरकार की जो है वह कैसे वसूल हो और इसके लिए क्या मयाद हो। इसलिए यह बिल लाया गया है कि मयाद बढ़ाई जावे और आगे के लिए ६ वर्ष की मयाद रखनी चाहिये। एक तरफ यह कहा जाता है कि बकाया वसूल नहीं होती और यह भी कहा जाता है कि पब्लिक के साथ न्याय होना चाहिये। जनता गरीब है। मैं यह कहूंगा कि अगर जनता के लोगों से बजाय ३ साल के ६ साल में बकाया रकम की वसूली होगी तो उनको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि अगर मयाद ६ साल की होगी तो लोगों पर ६ साल की मयाद तक के बाद दावे हो सकेंगे। अगर मयाद नहीं बढ़ाई जावेगी तो लोगों को तीन साल में ही देना होगा। इस क्लॉज़ से तो पब्लिक को उल्टा ज्यादा फायदा होगा। मुझे समझ में नहीं आया कि ३ साल की मयाद के बजाय ६ साल की मयाद करने में क्या नुकसान होगा? सरकार यह चाहती है कि पब्लिक को पुरानी बकाया अदा करने में ज्यादा कष्ट न हो और सहूलियत से वह रुपया वसूल हो जावे। पहले वे तीन वर्ष तक इसके लिये मयाद देते रहे अब यह चाहते हैं कि ६ वर्ष में रुपया लोगों से वसूल हो जावे और पब्लिक को ज्यादा कष्ट न हो। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें उनके अधिकारों का हनन कहां क्या होता है? इसके अलावा प्राइवेट

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में फर्क है। प्राइवेट सेक्टर अपने मुनाफे के लिये कार्य करता है और गवर्नमेंट पब्लिक के हित के लिये कार्य करती है। इसलिये ऐसी स्थिति में पब्लिक की भलाई के लिये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को बराबर लेना उचित नहीं। सरकार बहुत लम्बी चौड़ी है, उसको बहुत सी रकम वसूल करनी पड़ती है और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत कम लोगों से डील करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई भी डीड को रजिस्टर्ड करवा लेना है तो उसकी मयाद ६ साल की हो जाती है। उसमें सरकार भी हो सकती है। इसलिये अगर हम सरकार के लिये बकाया की वसूली की मयाद ६ साल की रखें तो क्या आपत्ति है ? जबकि प्राइवेट आदमी इकरारनामों को रजिस्टर करा लेते हैं तो उनकी मयाद ६ साल की हो जाती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये किसी को पर्सनल जेलेसी नहीं हो सकती। ऐसी हालत में ६ वर्ष की मयाद का प्रोविज़न होना चाहिये।

अब यह कहा जाता है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे। मैं यह कहूंगा कि यह एक सीधा सा प्रश्न है। इसमें मैं यह जरूर इतनी बात उचित समझता हूं कि जो जमा करा कर रुपया ६ महीनों में वसूल करने की बात रखी है उसके लिये तीन साल रखी जानी चाहिये जब कि पब्लिक के लिये तीन साल है। सरकार के पास बहुत काम रहते हैं। इसलिये यहां तीन साल हों। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है।

श्री रामचन्द्र (डग-अ०) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल राजस्थान सरकार विद्युत् प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) विधेयक, १९६० सदन के सामने पेश हुआ है इसके विरोध में एक प्रस्ताव आया है कि यह बिल पहले सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे। मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां इस सदन में पहले एक पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी बिल इसी आशय का पास हो चुका है। पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट के रूप में यह बिल भी लागू होने पर उसके अनुसार ही बकाया रकम वसूल करने के लिए क्रियाशील होगा। अब तक पी० डी० आर० के तहत ही ड्यूज़ वसूल किये जाते हैं जो रकम के रेवेन्यू ड्यूज़ के समान मान ली जाती है। P. D. R. में इलेक्ट्रिकल ड्यूज़ को रेवेन्यू की तरह की वसूल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस दिक्कत को मिटाने के लिये इलेक्ट्रिकल विभाग की ओर से यह बिल आज सदन में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात को देखना है कि आखिर पी. डी. आर. की सहायता न लेकर नये बिल के रूप में इलेक्ट्रिकल विभाग को यह बिल लाने की क्यों आवश्यकता हुई ? इलेक्ट्रिक एनर्जी का जब से राजस्थान में प्रादुर्भाव हुआ है और उसका डेवलपमेंट होते २ आज उसने जो स्वरूप धारण किया है और भविष्य में जो स्वरूप बनने जा रहा है उसको महसूस करके मैं निवेदन करूंगा कि इलेक्ट्रिकल विभाग को अपने विभागीय फाइनेन्सेज़ को ठीक रखने के लिए इस प्रकार का बिल लाने की बहुत ही आवश्यकता पड़ी है। कोई जमाना था जबकि राजस्थान में बिजली का उपयोग बड़े २ अमीरों या राजा-महाराजाओं तक ही सीमित था ;

(श्री रामचन्द्र)

साधारण जनता इसका कोई प्रयोग नहीं करती थी। आज वह समय है कि विद्युत शक्ति राजस्थान के कौने २ में पहुँचने वाली है और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी की झोंपड़ी और महलों में आकर यह उजाला करने वाली है और यही नहीं राजस्थान के प्रत्येक उद्योग-धंधे में भाखरा और चम्बल डेम की बिजली का प्रयोग होने वाला है तो जब राजस्थान में इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का इतना खर्च बढ़ने वाला है और वह भी हमें मालूम है कि इस पर सरकार का लाखों रुपया खर्च होने वाला है जिसमें लाखों की आमदनी भी होगी तो बहुत मुमकिन है कि ऐसा भी मौका आवेगा जब सरकार के ड्यूज़ वसूल भी न हो सकेंगे। इसलिए यह मुनासिब समझा गया है कि भविष्य में ऐसी रुकावट न आवे जैसा कि वर्तमान समय में इलेक्ट्रिकल विभाग का बहुत सा धन जो ड्यूज़ के रूप में रुका हुआ है वह आसानी से वसूल किया जा सके; इसीलिए यह बिल सदन के सामने माननीय मंत्री महोदय की ओर से रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह बिल तो बहुत ही उपयुक्त बिल है और इसके पास हो जाने से इलेक्ट्रिकल विभाग ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी जो कि कन्ज्यूमर्स हैं, सुविधा हो जायगी। अब तक इलेक्ट्रिकल ड्यूज़ के देने में जो लोग उदासीन रहे हैं वे भविष्य में सतर्क रहेंगे क्योंकि वे जानेंगे कि जिस विद्युत शक्ति का उन्होंने फायदा उठाया है उस का पेमेन्ट करना भी उनके लिए आवश्यक है।

इस बिल का दूसरा भाग यह रखा गया है कि इसमें लिमिटेशन की मयाद तीन साल के बजाय ६ साल कर दी गई है। मैं इसे भी उपयुक्त समझता हूं। इसके द्वारा इलेक्ट्रिकल विभाग स्वयम् ही मयाद बढ़ा रहा है। लोगों की पहले से ही यह इच्छा थी कि ज्यादा मयाद रखी जाय। आज यह विभाग कॉरपोरेशन के रूप में काम कर रहा है। ये केवल गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग्स नहीं हैं किन्तु अब कॉरपोरेशन के रूप में काम कर रहा है; इसके सामने आमदनी का मसला मुख्य है इतने बड़े कारोबार में और उनको लम्बा-चौड़ा सही हिसाब-किताब रखना होगा। ऐसी हालत में हिसाब-किताब को सही रखना ताकि ड्यूज़ समय पर ही वसूल हो जायं; इसी सुविधा की दृष्टि से तीन साल के बजाय ६ साल की मियाद रखी गई है जो कि वाजिब है। इसलिये इस बिल को पहले सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं और जो बिल रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान सरकार विद्युत् प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) विधेयक, १९६० का मैं समर्थन करता हूं किन्तु यह आवश्यक नहा है कि हमारी सरकार कुछ पूंजीपतियों को सहयोग दे। आज इलेक्ट्रिसिटी के कारखाने उन्हीं लोगों के हैं जो कि पूंजीपति हैं। राजस्थान सरकार के इलेक्ट्रिकल विभाग ने अब तक उन्हीं लोगों को कनेक्शन दिये हैं जो कि पूंजीपति हैं। राजस्थान में पूंजीपति भी रहते हैं, लेकिन साथ साथ में मध्यम श्रेणी के व्यापारी भी हैं जो पांच-दस होर्स पॉवर के इन्जिन लगा कर चक्कियां चलाने के

(श्री हरिप्रसाद यादव)

लिए कनेक्शन मांगते हैं लेकिन उनको कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। मैं उदाहरण के रूप में पेश करना चाहता हूं कि इसी जयपुर शहर में, माननीय मंत्री महोदय को ध्यान होगा कि हजारों कल-कारखाने मध्यम श्रेणी के लोगों के, जो व्यापारी हैं या दूसरे, उनके ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं और उनको कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिकल बोर्ड को काफी समय बाद बनाया गया, काफी समय लगा इसमें। बोर्ड के मेम्बरों ने भाई-भतीजों को, अड़ोसी-पड़ोसी को और अपने रिश्तेदारों को कनेक्शन दे दिये लेकिन मध्यम श्रेणी के लोगों को, किसी जाति के हों, उनको कनेक्शन नहीं दिये हैं। जो कलमकारखाने, छोटे २ कार-खाने चलाना चाहते हैं उनको कनेक्शन नहीं मिलता है। उन बड़े २ लोगों से लाखों रुपया इस बिल के जरिये से वसूल करने जा रहे हैं लेकिन उनको मयाद में और छूट दे रहे हैं....

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : पैसा कैसे वसूल किया जावे, इस विषय पर यह बिल है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं उस विषय पर आ रहा हूं। मैंने तो उदाहरण रखा था। उन मेम्बरों का यह बोर्ड बना हुआ है। उच्चाधिकारी ध्यान देकर सुनें ! माननीय मंत्री महोदय, दफ्तर से यह रिमाइन्डर निकालें कि जल्दी से जल्दी लाखों रुपया जो बकाया है वह वसूल हो। जब ६ वर्ष की मियाद दे देते हैं इस बिल के जरिये से तो लाखों रुपया जो सरकार का वसूल होना है उसका पेमेन्ट छठे वर्ष में जाकर होगा। पांच वर्ष तक कोई देने का नाम नहीं लेगा। सर-कार जहां इन लाखों रुपयों को लेकर उसका सदुपयोग करना चाहती है और यह पैसा डेवलपमेंट के कामों में तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाना चाहती है इसलिये इस बिल पर जल्दी से जल्दी विचार किया जाय और यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं, आज हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों ने छोटे-मोटे कल-कारखाने राजस्थान में चला रखे हैं। कई नगरपालिकाओं में पिछड़ी जाति के लोगों ने मशीनें लगा रखी हैं उनको पॉवर नहीं दिया जा रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि राज्य सरकार का जो बकाया रुपया है वह जल्दी से वसूल हो सके।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है वह बहुत मामूली सा बिल है। उसका उद्देश्य यह है कि सरकार की बकाया जो रकम है वह किस प्रकार से जल्दी जल्दी वसूल की जा सके। जहां हम इसकी मयाद ६ साल की कर रहे हैं उसको माननीय सदस्यों ने भी माना है। जहां जनता यह पुकार करती है कि वसूली की मयाद बढ़ाई जाय वहां यह मयाद जो हम बढ़ा रहे हैं वह बहुत ठीक कदम है। इस तरह से यह मयाद बढ़ा कर विभाग ने उदारता का परिचय दिया है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि छः लाख की मयाद रख कर एक तरह से रुपये की वसूली में

(श्री सूबेदारसिंह)

बहुत देरी की जा रही है। अब हमें देखना यह है कि आखिर यह बिजली का रुपया बकाया किस में है ? किसी व्यक्ति में बकाया हो, यह बात नहीं है। बकाया नगरपालिकाओं में या बड़े बड़े उद्योग-धन्धे वाले हैं उनके कारखानों में जो बिजली दी जाती है उनमें यह सब बकाया है। प्रवर समिति में इसको भेज कर यदि हम यह तय कर लेते हैं कि इसको एक मुश्त में ले लिया जाय तो उचित नहीं होगा। इससे ऐसा लगता है कि नगरपालिकायें टोटे में चलती हैं इसलिए वे रुपया जमा नहीं करा सकती। अगर उनसे एक मुश्त लिया गया तो यह होगा कि वे दे नहीं सकेंगी और उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जायगा इससे जनता को ही असुविधा होगी, लोग गलियों में अन्धेरे में भटकते रहेंगे। इसलिये यह वसूली के लिये जो ६ वर्ष का पीरियड रखा गया है वह बहुत उचित है। इतने समय में वे अपना प्रबन्ध कर रुपया अदा कर सकती हैं।

दूसरी ओर जहां कल-कारखानों का सवाल है वहां भी राज्य सरकार ने बेकारी को दूर करने के लिए ये कारखाने खोल रखे हैं। उनसे भी यदि एकदम रुपया वसूल किया जायगा तो वे भी नहीं दे पायेंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें कल-कारखाने बन्द करने पड़ेंगे। ऐसी हालत में जैसा कि यह बिल आया है वह ठीक है, इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं; इसको इसी प्रकार से पास कर दिया जाय।

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें जो तीन वर्ष की जगह छः वर्ष की मयाद बढ़ाने की तजवीज की गई है यह मुझे ठीक प्रतीत नहीं होती। इससे होगा क्या कि छः वर्ष तक तो संस्थायें खर्च करती रहेंगी, इस मयाद के एक महिना पहले वह अपना कारोबार बन्द करके फरार हो जायंगी। ऐसी हालत में जो तीन वर्ष का समय था वह काफी था। यह भी कहा गया कि यह पैसा सार्वजनिक संस्थाओं में बकाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि सार्वजनिक संस्थाओं के पास पैसा नहीं है तो उनका काम कैसे चलेगा ? इस तरह से जब हम छः वर्ष के लिए सरकारी रकम को उलझाते हैं तो वह रकम नहीं आयेगी। यदि सरकार की यही नीति हो कि इन संस्थाओं से रकम नहीं लेनी है तब तो यह ठीक है। इससे जनता का किसी प्रकार से भला नहीं होने-वाला है। इसलिए जहां यह समय का सवाल रखा है वहां इस बिल को प्रवर समिति को भेजना बहुत जरूरी है ताकि समय जो भी वह उचित समझे तय कर दे। वैसे यह जो छः वर्ष का समय है यह बहुत लम्बा समय है। तीन वर्ष की बजाय यदि दो वर्ष कर देते तो ज्यादा ठीक रहता ताकि सरकार की रकम है वह जल्दी वसूल हो सकती थी। अगर आपको रकम वसूल नहीं करना है तो इतनी लम्बी अवधि देते रहिये। इसलिए मैं इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की बात का समर्थन करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस वक्त विचाराधीन है उसके सिलसिले में मुझे कुछ अर्ज करना है। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को मालूम है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनने से पहले

(श्री हरिश्चन्द्र)

जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता था वह सरकार द्वारा होता था। १९५७ की पहली जुलाई को राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन हुआ और इस बोर्ड के बनने के बाद असेट्स और लाएबिलिटीज जितनी भी थीं गवर्नमेंट की थीं वे सारी की सारी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास चली गईं। इसके बाद राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फंक्शन करने लगा। १९५८ में इस सम्बन्ध में एक बिल भी इस सदन में पेश हुआ था लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वह पास नहीं हो सका। इस वास्ते अब एक ऑर्डिनेन्स पास किया गया था। यह बिल जो अभी आपके सामने विचारार्थ है वह उस ऑर्डिनेन्स को रिप्लेस करेगा। यह तो इसकी पोज़ीशन है। इस सिल-सिले में मुझे अर्ज करना है कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना उस उक्त करीब ८४ लाख रुपये राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जिम्मे ड्यूज़ आये।

(१. २६ म० प०)

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

यह तो सभी माननीय सदस्यों की राय है कि ड्यूज़ जो हैं वे तो रिकवर होने चाहिये और इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिये। क्योंकि जैसा कि आपको विदित है यह निहायत जरूरी हो जाता है कि किसी भी कन्सर्न को चलाने के लिए जितने भी ड्यूज हैं उनको जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाय। अब सिर्फ देखना यह है कि क्या हम जो ड्यूज़ रिकवर कर रहे हैं उनमें किसी व्यक्ति विशेष के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं? उसको प्रोटेक्ट करते हुए हम यदि कोई लॉ फ्रेम करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं। जहां तक कानून का सवाल है इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती इस वास्ते कि यह कॉम्प्लीकेटेड लॉ नहीं है या इसके अन्दर प्रिन्सिपल्स ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स इनवोल्व्ड नहीं हैं और न हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही चल रहे हैं। इस पॉइन्ट को एग्ज़ामिन करवाया था कि क्या यह जरुरी है कि इस लॉ को लागू किया जाय? इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन्डिया का आर्टिकल १४ है उसमें लिखा है:—

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India" यह एक जनरल प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन का है। क्या हम इस बारे में इम्पीच तो नहीं कर रहे हैं? मैंने इस बारे में जानकारी की है। इस तरह का प्रश्न पहले भी कभी उपस्थित हुआ है या नहीं, इस बारे में एक मामला है जिसमें लर्नेड जज ने लिखा है "A similar question was considered in Shikharchand Vs. Bank of Badalkha : in 1951 Vindhya Pradesh."

इसके अन्त में जो लिखा है वह मैं पेश करना चाहता हूं:

"Corporation can be treated separately from the individuals. Special privileges can be given to particular enterprises or employment in the in-

(श्री हरिश्चन्द्र)

terest of economic stability and general welfare.' यह उसकी लास्ट लाइन है। इससे हम यह मान कर चल सकते हैं कि जो भी लॉ बन रहा है यह in conformity with general principles of law है और हम किसी बात को कनफ्यूज़ नहीं करते हैं।

राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जहां तक सवाल है it is an independent body.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आपका जो फैसला है वह कॉर्पोरेशन के लिये है। As far as individuals are concerned, it is not individuals पर लागू नहीं हो सकता।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने यह भी निवेदन किया कि जहां स्टेट गवर्नमेंट को मदद देने की जरूरत होती है वहां दी जाती है।

राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी गवर्नमेंट स्टेटस की बोडी है, जिसमें स्टेट का इन्टरेस्ट भी है। तो इसकी स्टेटस को मदद करना जरूरी हो जाता है। इस वास्ते यह विधेयक है। यह इसकी आपको बैक ग्राउन्ड दी है।

दूसरे जो हैं क्लॉजेज़ जिन पर आपके सामने ज्यादातर चर्चा चली है वे हैं एक तो नम्बर ६, जिसमें ६ साल की मयाद है। उसके लिये मुझे कहना है कि अगर यह बिल्कुल ही सरकारी विभाग होता तो उसकी लिमिटेशन ६० साल की होती। तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित नहीं है। यही मेरा निवेदन करना था।

दूसरी बात यह कही गई कि इन्डिविजुअल के साथ ज्यादती होगी। तो इस पॉइन्ट को भी देख लिया जावे कि किस तरह की ज्यादती हो सकती है। यह ज्यादती हो सकती है कि आपके सामने बिल पेश किया जावे और आप कहें कि हम सहमत नहीं हैं। इस कानून के तहत रेस्ट्रिक्टेड नहीं हैं कि प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर के पास आप जावें और वहां कह दें कि गलत है, आप डिपोज़िट कराने को तैयार हैं, इसके बाद भी डिस्प्यूट मानते हैं तो लीगल कोर्ट खुला है। आप वहां जा सकते हैं। तो मेरा निवेदन करना था कि इसके अन्दर कहीं भी ऐसा क्लॉज़ नहीं कि आप अपनी डिफिकल्टीज़ को प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटीज़ के सामने जाकर न कह सकें। जैसे रूल्स बनेंगे हम उनमें यह रख सकेंगे कि ऐसी कोई बात हो तो प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी के सामने जाकर बहस कर सकते हैं।

आप अगर प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी को यह कहते हैं कि हमारी यह डिफिकल्टी है तो the prescribed authority can say to that party that it is a natural mistake and I am prepared to amend it. और टाइम बढ़ाने का जो सवाल है, कई ऐसी मिसालें हैं जैसे म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि वे पे नहीं कर सकतीं। तो हम अगर इसे स्ट्रिक्ट, रिजिड फ्रेम ऑफ लॉ में रख देते हैं तो उनको परेशानी होगी। तो इससे बचने के लिये यह एक इलास्टिक की तरह का क्लॉज रखा है ताकि जैसी भी सिचुएशन आगे आ सके उसके हिसाब से आगे बढ़ सकें।

अब जहां तक ड्यूज़ का सवाल है मैं अर्ज करूं कि म्युनिसिपैलिटीज के बहुत हैं।

(श्री हरिश्चन्द्र)

इस वक्त इनके २० लाख के करीब हैं। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के ड्यूज हैं वे ११ लाख के हैं। इसी तरह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ड्यूज हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी रिकवर हों। पर अगर हम स्ट्रिक्ट हो जावें तो यह बहुत अजीब सी बात हो जावेगी। फिर एक माननीय सदस्य ने कहा कि रिकवर नहीं हुए। तो इसके लिये मैंने फिगर तलाश किये हैं और जो अब तक टोटल रिकवरी हुई है वह करीब २७० लाख के ऊपर जाती है। तो ऐसी बात नहीं कि रिकवरी नहीं होती है। नहीं होती तो करोड़ों से ऊपर जाती। पर पुराने ड्यूज़ ऐसे हैं जिनमें टाइम लग रहा है और उनमें कुछ तो डिस्प्यूटेड हैं और कुछ ऐसे हैं कि दे ही नहीं रहे हैं तो इस कानून के तहत यह जरूर करेंगे कि वाजिब रकम हो तो वहां से वसूल की जावे।

अब मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव रखा गया है उसकी जरूरत नहीं है और मैं आशा करता हूं कि वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मुझे अपना प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

श्री सभापति : आप (डॉ० चन्द्रकला) भी ले लें।

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार, जयपुर) : मैंने तो समर्थन किया था।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डॉ० बहादुरसिंहजी को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण हीरात।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं समझता हूं कि इसमें अब भी लीगल कॉम्प्लीकेशन्स काफी हैं, इस कारण इसको वापिस लेने का प्रश्न नहीं रहता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अन्डरटेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) बिल, १९६० को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २ और ३ विधेयक के अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २ और ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ४

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं प्रेस नहीं करता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ६

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इस पर मेरा एक संशोधन इस प्रकार है

"Insert the words and which 'shall not be more than one month' after the words .'as the prescribed authoriy may from time to time allow''

अभी माननीय मन्त्री महोदय जब कि सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे तो आपके द्वारा यह बतलाया गया कि इस प्रकार से हमारी नगरपालिका पर और दूसरे लोगों पर रुपया बाकी है और जो रुपया वसूल करना चाहते हैं उसके लिये उनको तीस दिन का समय देंगे ; इसके बाद भी जरूरत समझी जावेगी तो और समय दिया जावेगा।

मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह और समय दिये जाने की बात है इसको भी लिमिट कर दिया जावे और वह लिमिट एक महीने की और हो। जब एक प्रतिष्ठान है और जब वह बिजली यूज़ करता है और उससे प्रोफिट करता है तो उसको ड्यूज़ देने में क्यों मुसीबत पड़े? यह कर सकते हैं कि अगर उसकी ताकत नहीं है तो एक महीने का समय आप और उसको दे सकते हैं। यही मेरे संशोधन की मंशा है कि it shall not be more than one month. जो आप बाद में समय बढ़ावें वह एक महीने से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये। अगर आप इतना बन्धन नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर मेरी यह मान्यता है कि जो लोग मुनाफा उठाते हैं वे ड्यूज़ को समय पर देने की कभी परवाह नहीं करेंगे। कानून आप इस तरह से बना देंगे तो फिर मजाल नहीं कि वे न दें। जब वे इससे मुनाफा कमाते हैं तो नहीं कहा जा सकता कि वे देने की स्थिति में नहीं हैं। अगर आप अधिकारी को छूट देते हैं तो इससे फिर आपका ठीक समय पर वसूल का मकसद पूरा नहीं हो सकता। इसलिये मैं

(डॉ० बहादुरसिंह)

निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के ड्यूज़ के लिये एक महीने से और अधिक मयाद नहीं बढ़नी चाहिये । हमें बन्धन लगाना होगा। आखिर कुछ तो समय निर्धारित करें। इसलिये मेरा संशोधन उपयुक्त है और यह बकाया रकम की वसूली के लिये भी लाजिमी चीज़ है।

अब रहा सवाल नगरपालिका का, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे विभागों का और केन्द्रीय सरकार का। स्टेट गवर्नमेंट की वसूली में दिक्कत नहीं, केवल ट्रान्सफर का मामला है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है और नगरपालिका का हो सकता है । पर इनको भी इस तरह कह कर छूट नहीं मिलनी चाहिये। आखिर एक संस्था आप चलाते हैं तो उसका रुपया इस तरह वसूल करने में रिलेक्सेशन करना उचित नहीं होगा। इसलिये यह मेरा संशोधन आप स्वीकार करें।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : सभापति महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है क्लॉज़ ९ के ऊपर उसके लिए मुझे यह कहना है कि जोटाइम लिमिट आपने रखी है एक महीने की वह मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगी क्योंकि मैंने जैसा पहले निवेदन किया कि कोई भी लॉ इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि जिसके थ्रू आप आगे न बढ़ सकें। आपने जैसा कि म्युनिसिपैलिटी का उदाहरण दिया तो मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने ड्यूज एक महीने के अन्दर नहीं दिये तो क्या नतीजा निकलेगा? अगर आज वह पे नहीं करते हैं "within a month' तो इसका मतलब यह है कि the only alternative course would be to discon tinue the light.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : फिर आपके पास सिद्धान्त क्या है ? आखिर आप कब तक वसूल करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा है कि हम गवर्नमेन्ट से बातचीत कर सकते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान गवर्नमेन्ट से बातचीत कर सकता है कि इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं ! अब उसको आप "within a period of one month" प्रेस्क्राइब कर देंगे तो फिर वह उचित बात नहीं होगी। इसलिए मैं इसको एग्री नहीं कर सकता ....

डॉ० बहादुरसिंह : आप म्युनिसिपैलिटी, स्टेट गवर्नमेन्ट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को रिलेक्स कर दीजिए और ऐसा संशोधन आप इसमें करदें।

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें मुझे आपसे यह अर्ज करना है कि जो डिफॉल्टर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा हेरेसमेन्ट हो जायेगा । एक तरफ तो आप यह कहना चाहते हैं कि किसी को हेरेसमेन्ट न रहे और दूसरी तरफ टाइम लिमिट लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इस टाइम लिमिट के लगाने से तो हेरेसमेन्ट बढ़ जायेगा।

श्री सभापति : Arrears shall be recoverable as arrrears of land revenue.

डॉ० बहादुरसिंह : सभापति महोदय, जो मैंने प्रस्ताव पेश किया है उसे वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

Page No.61

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं वापिस लेता हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं क्लॉज़ ६ के विरोध में कुछ बोलना चाहता हूँ । इस क्लॉज़ में जो बात नीचे ही नीचे रखी गई है फर्स्ट पार्ट में वह बहुत ऑब्जेक्शनेबल है :

..."in any other law, or instrument, or agreement to the contrary notwithstanding..." यदि किसी कानून के अन्दर या किसी इकरारनामे के अन्दर या किसी प्रकार के एग्रीमेन्ट के अन्दर इस प्रकार की बात हैं..

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : On a Point of Order, Sir, may I know whether there is an amendment or what is that ?

श्री सभापति : There is no amendment but he wants to oppose the clause as a whole.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं इस सारे क्लॉज का ही विरोध कर रहा हूँ । यदि किसी कानून के अन्दर या किसी इकरारनामे के अन्दर या किसी प्रकार के एग्रीमेन्ट में या पुरानी राज्य सरकारों के साथ या किसी पुरानी रियासत के साथ कोई बाध्यता है या कोई कानून इस प्रकार का है जो कि बाधित करता हो कि एक महीने का नोटिस देकर अमाउन्ट रिकवर नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि लेजिस्लेशन द्वारा सारे इकरारनामे, एग्रीमेंट जो हैं उनकी पवित्रता को, उनकी सेंक्टिटी को खत्म कर देंगे । इस तरह से ऐसे इकरारनामों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती । इस प्रकार का यदि कोई क्लॉज़ रखा जाता है तो उसके पीछे ऐसा अपवाद रखना चाहिए कि जहां इस प्रकार के जो राइट्स हैं उनकी रक्षा हो सके । लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें कोई अपवाद नहीं है जिसके लिए हम कह सकें कि जो इस तरह के इकरारनामे हैं या कानून हैं जिनके तहत वे बंधे हुए हैं, उनसे कोई ड्यूज़ नहीं मांग सकते । मैं आपको बताऊं कि जो पहले के रूलर्स हैं उनको लाइट वगैरह के चार्जेज़ माफ हैं और अब उनसे सारे ड्यूज़ वगैरह मांगते हैं और कहते हैं कि ड्यूज़ जमा कराइये और अगर वह कहते हैं कि वह तो कॉवेनेन्टिंग स्टेट्स के साथ एग्रीमेन्ट था । इसके उपरान्त भी आप कहेंगे कि आप तो पहले जमा करा दीजिए और अगर कोई आपत्ति है तो आप सिविल सूट कीजिए तो इस तरह से तो उनका हेरेसमेन्ट ही होगा । यह तो उनको छूट कानून के द्वारा मिली हुई है कि कोई उनसे ड्यूज़ क्लेम नहीं कर सकता या इस प्रकार का नोटिस नहीं दे सकता । उनसे आप जबरदस्ती वसूल करना चाहें तो यह उनके साथ हेरेसमेंट होगा । वैसे ऐसे क्लॉज़ का रखना ही फिजूल है जिनसे कि पुराने सारे एग्रीमेन्ट्स खत्म हो जाते हैं । इस प्रकार के यदि हम क्लॉज़ रखेंगे तो उनसे डेमोक्रेटिक सिद्धान्त का हनन होगा और जिन सिद्धान्तों के पीछे हम चलना चाहते हैं वे सारे खत्म हो जायेंगे । मैं समझता हूं कि इस क्लॉज़ की आवश्यकता नहीं है और इसको विदड्रॉ

(श्री दयाकृष्ण विजय)

करना चाहिए। इसमें से लास्ट लाइन को निकाला जाये, ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : माननीय सभापति महोदय, कोटा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है तो मैं पहले उनको "ड्यूज़" शब्द की डेफीनिशन बताना चाहता हूं। उसमें स्पष्ट है: "'Dues' means any sum payable to a Government electrical undertaking on account of-" तो इसमें किसी वजह से पेएबल ही नहीं है तो it must be a sum which must be payable to the Government. It will not come under the definition ..

श्री दयाकृष्ण विजय(छबड़ा): But who will decide whether it is payable or not ? और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस प्रकार का नोटिस देगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : That is not possible...

श्री हरिश्चन्द्र : चेयरमैन महोदय, अभी जो बहस आपके सामने हुई है उसके सिलसिले में माननीय सदस्य ने एक आपत्ति उठाई और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि उन्होंने उसमें प्रिन्सेज़ को कोट किया और खुशी इसलिए है कि मैं उनको कहना चाहूंगा कि लॉ के सामने स्टेटस या गरीबी या अमीरी का फर्क नहीं होता है और इसी तरह से law is applicable to all, whether he is Prince or a man on the street. और हम यह नहीं करना चाहते कि किसी आदमी को लॉ का प्रोटेक्शन इस तरह से दिया जाये क्योंकि उसका स्टेटस ऊंचा है। तो मैं आपसे बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि इसके पीछे मकसद यह है कि हम प्रिन्सेज़ को इससे महरूम कर दें, यह बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात हाउस के सामने जरूर कहना चाहूंगा if there is any special agreement made by the Princes with the Centre on the subject, they will have to be respected. और मेरे ख्याल से जो भी यहां माननीय सदस्य बिराजे हैं वे भी इस बात को मानेंगे कि जो भी उनको गारन्टीज़ दी हुई हैं उनको रेस्पेक्ट करते हुए अगर उनको कोई छूट मिली हुई है अण्डर दी कोवेनेन्ट, उसको भी एग्ज़ामिन कर सकते हैं। लेकिन कोई स्पेशल लॉ नहीं है उनके अगेन्स्ट तो उनको भी इस लॉ के अन्दर बाउन्ड करेंगे, यह मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं और जो आपने बात रखी है उसी रिज़र्वेशन के साथ आपने बात कही है तो वह रिज़र्वेशन इसमें नहीं है इसलिए मैं समझता हूं कि यह क्लॉज़ ऐसा का ऐसा ही पास करना चाहिए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ६, ७, ८, ९ और १० विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ६,७, ८, ९ और १० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि

(विराम)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : चेयरमैन महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेन्ट इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग्स (ड्यूज़ रिकवरी) बिल, १९६० को पारित किया जाये।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a point of information, Sir, I would like to know whether the Governor has recommended this to the House that this Bill be passed. Mr. Chairman, Sir, I will refer to you the Article 208 of the Constitution.

श्री सभापति : Yes, Mr. Chaudhary.

श्री पी. के. चौधरी : Has he recommended to the House ?

श्री सभापति : Yes, गवर्नर की असेंट हो गई है।

प्रश्न यह है कि The Rajasthan Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Bill, 1960 पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान गृह व्यवस्था योजना (भूमि अवाप्ति) विधेयक, १९६०

(विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री सभापति: राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान हाउसिंग स्कीम्स (लैंड एक्विज़िशन) बिल, १९६० विचारार्थ लिया जाय। सभापति महोदय....

श्री सभापति : और संशोधन भी हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्यों को जानकारी दे दूँ कि इस बिल को पेश करने की क्या मंशा है सरकार की, ताकि बहुत सारी बहस शायद इससे कम हो सके। इसका जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रीज़न्स है इसमें बतलाया है कि सेकिंड फाइव इयर प्लान में और थर्ड फाइव इयर प्लान जो आने वाला है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने बहुत सारे लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम और मिडिल ग्रुप हाउसिंग स्कीम और जो इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम है इसके अन्दर बहुत बड़ी रकम रखी है जिसमें लाखों–करोड़ों देश के अन्दर मकान बनेंगे और मकान बनाने की योजना है। एक तरफ तो यह योजना है कि हाउसिंग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाय लेकिन दूसरी तरफ जो जमीनों के मालिक हैं, खास तौर से शहरों के बाहर या शहरों के नजदीक या जो खास कस्बों के नजदीक, जमीनों की

Page No.64

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उन्होंने कीमतें इतनी अधिक बढ़ा दी हैं कि साधारण व्यक्ति के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी हाउसिंग स्कीम है जिसके तहत बहुत सारी जमीन एक्वायर करनी पड़ती है और एक्वायर की हुई जमीन का जो कम्पेन्सेशन दिया जाता है वह इतना अधिक देना पड़ता है मार्केट वेल्यू के अनुसार कि वह बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसलिए इसको रोकने के लिए सीलिंग लगा कर कि इससे ज्यादा प्राइसेज़ एक्वायर करने के अन्दर जो लैंड ली जाय उसको न देनी पड़े। जैसा कि माननीय सदस्यों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को रिकमन्ड किया था कि जमीनों की कीमतें रोकने के लिए कोई न कोई लेजिस्लेशन इनेक्ट किया जाय और बम्बई पैटर्न को रिकमन्ड किया था। बम्बई गवर्नमेंट ने अपने यहां पर कानून बना रखा है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार लैंड की १६४८ में जो प्राइस थी उसके अनुसार उन्होंने सीलिंग प्राइस फिक्स की है। उस तारीख को जो कीमत है उस लैंड की, एक्विजिशन प्रोसीडिंग में उसके अनुसार ही उसकी कीमत फिक्स की जायेगी और उसी पैटर्न के आधार पर हमने यहां पर जो लैंड एक्विज़िशन बिल पास किया उसी तारीख को रखा है। माननीय सदस्यों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि देहली के अन्दर एक मास्टर प्लान बना था देहली के लिए और वह मास्टर प्लान लीक आउट हो गया और जमीनों के मालिकों ने इतनी प्राइसेज़ लैंड की बढ़ा दीं कि चार करोड़ रुपया तक पहुँचा दी। महज इसलिए कि जो मास्टर प्लान था वह लीक आउट हो गया और उनको पता चल गया कि लैंड एक्वायर होने वाली है। तो ऐसी डिफिकल्टीज़ सामने आती हैं उनको कवर करने के लिए और खास तौर पर डेवलपमेंट ऑफ कन्ट्री रुके नहीं हाउस के मामले में, इस लिहाज़ से यह बिल पेश किया गया है। बम्बई पैटर्न के आधार पर ही इसमें यह रखा है कि जिस तारीख को लैंड एक्विजिशन एक्ट एन्फोर्स हुआ था राजस्थान में उसी तारीख को ही इसमें रखा है, प्रोबेबली १२ सितम्बर या अक्टूबर, १६५३ को। तो इस पर्पज़ से इस बिल को रखा गया है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय।

राजस्थान गृह व्यवस्था योजना (भूमि अवाप्ति) विधेयक, १६६० वैसे तो स्वतंत्र विधेयक जैसा दिखता है लेकिन उसके द्वारा राजस्थान लैंड एक्विजिशन एक्ट, १६५३ की तीन धाराओं में संशोधन चाहा गया है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि इसके अनुसार धारा ३ में 'हाउसिंग स्कीम" या 'गृह व्यवस्था योजना' यह शब्द जोड़ने के लिए चाहा है, धारा ११ में समय के परिवर्तन और धारा २३ के द्वारा जो शर्तें हैं जिनके द्वारा कि जमीन का जो मुआवजा दिया जायेगा वह तय किया जायेगा। जहां तक इस विधेयक की भावना का सवाल है उसका कोई भी समर्थन करेगा। आज हर एक नागरिक की आवश्यकता है : मकान। उसको भोजन के बाद आवास की सुविधा की आवश्यकता होती है और अल्प आय वाले वर्ग और मध्यम आय वाले वर्ग को इसके

(डॉ० चन्द्रकला)

विषय में सबसे अधिक कठिनाई होती है, यह भी हम जानते हैं। इस उद्देश्य से अगर सरकार यह विधेयक लाती है तो यह एक सराहनीय कदम सरकार का कहा जा सकता है। लेकिन जब मैंने इस विधेयक को, इस छोटे से विधेयक की तीन धाराओं को खूब अच्छी तरह से देखा तो उस समय हमारे सामने जयपुर शहर का वह चित्र आया जिसमें कितनी अधिक कठिनाई का सामना जनता को करना पड़ रहा है। तब मुझे लगा कि मैं इस सम्बन्ध में सदन में और इस सदन के द्वारा अपनी सरकार का ध्यान भी आकर्षित करूं कि केवल कठिनाई इसलिए नहीं है कि ऐसा एक विधेयक नहीं था और एक विधेयक आ जायेगा तो यह कठिनाई सचमुच दूर हो जाने वाली है। हम सब यह जानते हैं कि हर एक जमीन पर सरकार का अधिकार होता है और अगर अधिकार नहीं होता है तो किसी भी जमीन को किसी भी प्रयोजन से सरकार एक्वायर कर सकती है, उसको अवाप्त कर वह ले सकती है। जैसा कि उद्देश्य और कारणों में बतलाया गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना में गृह व्यवस्था कार्यक्रम में अल्प आय वालों के लिए और मध्यम आय के वर्ग के लिए कुछ लक्ष्य रखा गया था। सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना अब पूरी होने को आई है और हमारी सरकार ने अपनी गृह व्यवस्था योजना कितनी कार्यान्वित की है, यह हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह जानती है और उससे भी अच्छी तरह जनता जानती है कि सरकार ने इस मामले में जनता को कोई राहत देने के लायक काम नहीं किया है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने तृतीय पंचवर्षीय योजना का भी उल्लेख किया है लेकिन जैसा कि इस विधेयक की धारा २ में कहा गया है यह योजना २० वर्षों तक लागू रहेगी यानि बीस वर्ष तक हाउस के लिए कोई भी जमीन अवाप्त कर सकेगी और उसकी जो कीमत है वह सन् ५३ में जो कीमत लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार है वह लागू करेगी। निश्चय ही अगर यह लोगों को बसाने की दृष्टि से किया जाता है तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि इसकी, इस विधेयक की कोई इस तरह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जयपुर शहर में सबसे अधिक इस समय आवास की असुविधा है और मकान की लोगों को सबसे अधिक जरूरत है। यह भी हम जानते हैं कि जयपुर शहर के आसपास जमीनें बहुत मंहगी हैं। लेकिन इस मंहगाई का क्या कारण है ? इस मंहगाई का यह कारण नहीं है कि हमारी सरकार लैंड एक्विजिशन एक्ट में दो-तीन शब्द जोड़ना भूल गई और जिसको अब जोड़ देगी। लेकिन इसका एक मात्र कारण सरकार का वह तरीका है कि हमारी सरकार ने भूमि का अलॉटमेंट बिल्कुल रोक रखा है। इसके लिए योजना बन चुकी है, हम सब जानते हैं कि जयपुर शहर के लिए कोई योजना है। मैं जानती हूँ कि एक से अधिक योजनाएं हैं जिन पर सरकार की स्वीकृति आ चुकी है; साल भर पहले, डेढ़ साल या दो साल पहले ही आ चुकी है। जमीन एक्वायर की जा चुकी है, योजना बन चुकी है लेकिन सरकार के एक आदेश ने उस अलॉटमेंट को रोक रखा है। अब तक हजारों व्यक्ति नहीं तो कम से कम सैकड़ों व्यक्तियों को जमीन मिल जाती, वे अपने रहने की सुविधा कर लेते। माननीय सभापति,

(डॉ० चन्द्रकला)

हम सब जानते हैं कि घर हरएक को चाहिए, रहने के लिए आवास की आवश्यकता हर-एक को होती है तब फिर वह दूसरी तरह से प्राइवेट नेगोशियेशन से खरीद कर या किसी तरह से जमीन लेना चाहते हैं।

(२ म० प०)

ऐसे समय में उन लोगों की बन आती है जिनके पास में जमीनें होती है । फिर वे मजे में सौदेबाजी करते हैं, और जिस तरह से सरकार ने इसमें लिखा है: —

"भूमि के मूल्यों में कानून के अभाव में बड़ी सट्टेबाजी होने की आशंका है ।"

सट्टेबाजी लोग नहीं करते हैं। हम सब जानते हैं कि सट्टेबाजी तब शुरू होती है जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कि चीजें कम होती हैं और उनका मिलना मुश्किल हो जाता है तो सट्टेबाजों का मौका आता है । जयपुर शहर में सट्टेबाजी की स्थिति सरकार ने पैदा कर रखी है। वह स्थिति कम हो जाय यदि मन्त्री महोदय हमारे अनुनय-विनय को मान कर एलॉटमेंट का जो बन्धन लगा रखा है इसको कम कर देते हैं तो मैं यह मानती हूं कि जमीनों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं वह निश्चित रूप से २, ४ दिन में गिर जायंगी । सरकार की ओर से यह आश्वासन मिले कि जिसको आवास चाहिये, जिसको रहने की आवश्यकता है सरकार उसको पूरी सुविधा देगी तो कोई मंहगे दामों में जमीनें लेने को तैयार नहीं होगा। किसी के पास पैसा नहीं बह रहा है। कमती आय वाला या मध्यम वर्ग वाला कोई मंहगी चीजें लेना नहीं चाहता है। लेकिन मजबूरी से ऐसा करता है ! इसलिए सबसे पहले सोचने की बात यह है कि सट्टे-बाजी मूल्यों में जो होती है वह क्या इसलिए होती है कि हमारी सरकार ने 'हाउसिंग स्कीम' ये शब्द जोड़ कर अवाप्ति के लिये, जमीनों के एक्विज़िशन के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है? तो हमारी सरकार को एक तरह से सोचना चाहिये सारी स्थिति को तब फिर इस बात के कानून का उपयोग करना चाहिये।

फिर दूसरी बात यह है कि हम जो जमीनों को ले लेते हैं और जमीनों को इसमें बताया गया कि "ऐसी भूमि के मूल्यों को, प्रचलित दरों को निश्चल करने का प्रस्ताव है ।" कीमतों को फ्रीज़ कर देने का प्रस्ताव है। लेकिन हमारी सरकार कीमतों को फ्रीज़ करने के लिए, कीमतें नहीं बढ़ जायं, इसके लिए जमीनों को एक्वायर कर लेना चाहती है, लेकिन जमीन जिसके अधि-कार में है, जमीन ऐसी चीज़ है जिसको दबा कर कोई अपनी पेटी में नहीं रखता है। जमीन तो पूर्ण न्याय सब के साथ करती है। जमीन जिसके पास में है अगर कोई खेती करता है तो उपज होती है। उससे पैदावार होती है और उससे खाद्य समस्या का हल होता है । जयपुर शहर के नज़दीक बहुत सारी भूमि है और जितनी भूमि है हमारी सरकार ने जयपुर शहर नगरपालिका के क्षेत्र को १० मील चारों ओर विस्तृत किया है। यह दुरुस्त है और कुछ दिनों में आप देखेंगे १०-२० साल में कि जयपुर शहर बढ़ते बढ़ते चारों ओर फैल गया है । बस्ती जो दीवाल के भीतर थी थोड़े समय में ही बाहर १-२ मील तक फैली है और थोड़े ही समय में १० मील तक वह फैल सकती

(डॉ० चन्द्रकला)

है। इसलिए १० मील के भीतर २ सारी जमीनों को एक्वायर करने की जरूरत पड़ेगी और एक्वायर करेंगे । लेकिन उसके लिए अभी से क्या जरुरत है, कीमतों को फ्रीज़ करने की ?

दूसरी बात, मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार लोगों को जमीनें उन्हीं कीमतों पर दे रही है जिन कीमतों पर उसने 'सी' स्कीम और बनीपार्क स्कीम जब बनी थी उस समय आठ आने और ६ आने गज में दी थीं ? आज जो नई योजनाएं बनती चली जा रही हैं तो जमीनों की कीमत तीन, पौने तीन रुपये हमारी सरकार ने निश्चित कर रखी हैं। जमीनों की कीमतें बढ़ेंगी तो कौन सा सरकार के कोष से जाने वाला है ? सारी कीमतें जमीन लेने वालों को देनी पड़ेंगी। तो फिर ऐसी क्या जरूरत है कि अभी से जमीनों को अपने कब्जे में करके केवल जमीनों की कीमत न बढ़ जाय, इसलिए यह कर रही है, और कीमतें बढ़ने का असर सरकार पर पड़ने वाला नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है इसकी ?

एक बात कही गई कि दिल्ली का प्लान लीक हो गया, तो यह प्लान बनाने वालों की कमजोरी थी । कुछ निहित स्वार्थ थे जिन्होंने कि प्लान को लीक किया । जयपुर शहर का तो अभी मास्टर प्लान ही नहीं बना है। सरकार के सामने ऐसी कोई योजना नहीं है कि जयपुर शहर को किस तरह से कहां तक बसाया जायगा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): यह सारा डिस्कशन तो बिल के मुद्दों पर होना चाहिये और आप जयपुर शहर को डील कर रही हैं।

डॉ० चन्द्रकला : हाउसिंग स्कीम का सवाल है। माननीय सभापति महोदय, मैंने विधेयक को खूब अच्छी तरह से पढ़ा है कि इसमें हाउसिंग का सवाल है, और हाउसिंग का सवाल कभी भी गांव पर इतना आने वाला नहीं है। वह शहरों पर आयेगा, बड़े बड़े शहरों पर आयेगा और कस्बों पर आयेगा ; दूसरी जगह नही आने वाला है। अगर आयेगा भी तो इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। गांव वाले इतनी बस्तियों में नहीं बसने वाले हैं। वे अपने खेतों में रहना पसन्द करेंगे। मैं तो दिन प्रति दिन जहां पर कठिनाइयां हैं उनकी बात कर रही हूं, और जो सरकार का काम है कि उन कठिनाइयों पर ध्यान दे और जहां तक हो सके जनता की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करे । इसलिए यह मैं सारी बात कहना चाहती हूं और मैं नहीं सोचती कि हाउसिंग की व्यवस्था से कोई यह अलग चीज़ है।

दूसरी बात, यह है कि सरकार अभी भी उन चीज़ों का मुआवजा देती है; वह, खैर, दूर की बात है। अब भी कोई दिक्कत नहीं आती है जब कि कोई कानून नहीं है। सरकार अभी भी कोई योजना बना कर जमीन एक्वायर करती है और एक्वायर करके योजना बना कर देती है। आगे भी जब जब योजना बनती चली जायगी अगर जरूरत होगी तो उसी तरह से एक्वायर करती चली जायगी। अभी से उन जमीनों को लेकर सन्, ५३ की कीमतों पर फ्रीज़ करने की, ५३ की उन कीमतों पर रख देने की क्या

(डॉ० चन्द्रकला)

आवश्यकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

वैसे विधेयक बिल्कुल छोटा सा है । केवल कुछ दो-तीन शब्दों पुराने एक्ट में जोड़े हुए माने जायं, ऐसा समझना चाहिए । लेकिन वे नहीं सोचते हैं कि इससे कोई जनता की कठिनाई हल होने वाली हो या सरकार को बहुत बड़ा लाभ होने वाला हो, ऐसी बात नहीं है । इसीलिये मैं तो आज कल जो कठिनाई है उसको देखते हुए कह सकती हूं कि यदि सरकार मध्यम वर्ग या अल्प आय वालों को मकान की सुविधा देना चाहती है, तो, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि जल्दी से जल्दी उनको सुविधा देने का कोई व्यवहारिक कदम उठाये । लेकिन इस विधेयक के द्वारा वह होता दिखाई नहीं पड़ता है । केवल जमीनों को एक्वायर करने से समस्या का हल नहीं होता है । इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है । मैं नहीं मानती कि प्रस्ताव स्वीकार होकर कुछ होने वाला है, लेकिन यह इसलिए जरूर रखती हूं कि इसके द्वारा हमारी सरकार जयपुर शहर और इसी तरह के जितने भी शहर और कस्बे हैं वहां पर जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी । जब उसके सामने यह लक्ष्य है कि कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, उन कीमतों को रोका जाय तो सबसे पहले सरकार इसी दिशा में प्रयत्न करेगी । जयपुर शहर में कीमतें काफी बढ़ गई हैं । आठ आने गज में जिन्होंने जमीनें ली हैं वे आठ रुपये गज में बेचने की कोशिश करें, इन कीमतों को फ्रीज़ करने की इस तरह की कोशिश तो करें । यदि ऐसा करते हैं तो जनता बहुत राहत अनुभव करेगी, जनता बड़ी कृतज्ञ होगी । इसकी ओर सरकार ध्यान दे । इसके लिए जिम्मेदार एकमात्र सरकार ही है । एक ओर तो यह काम करती है, जिससे कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, दूसरी ओर सदन में विधेयक लाती है जिसमें यह बताने का प्रयत्न करेगी कि जमीनों की कीमतें न बढ़ें, तो यह विरोधाभास कैसे चलेगा ? व्यवहार में एक बात और कानून के द्वारा दूसरी बात करने की कोशिश करती है, इस उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव रखा है ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान गृह व्यवस्था योजना के विधेयक के लिए जो यह प्रस्ताव किया गया है कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं । इस छोटे से विधेयक को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका असर राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से पर और बहुत सी जनता पर पड़ने वाला है । यह विधेयक हमारे सामने है । इसको प्रवर समिति को सौंपने के लिए बहुत से कारण हमारे सामने निहित हैं ।

सभापति महोदय, इस विधेयक को लाने के साथ साथ मंत्री महोदय ने यह जो उद्देश्य हमारे सामने रखे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारी गृह-निर्माण योजना को सफलीभूत बनाने के लिए यह विधेयक लाने की आवश्यकता हुई । प्रथम तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सदन के समक्ष कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रायः समाप्त होने जा रहा है और तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू होगी तब फिर यह जो लक्ष्य है, यह बात जो कही गई, यह

(श्री शंकरलाल)

बताया गया कि २० साल के लिए लागू होगा, तो यह कितने साल के लिए लागू हो, लागू हो या नहीं, इस पर प्रवर समिति विचार करेगी। यह कोई उद्देश्यों और कारणों में नहीं बताया गया है कि २० साल के लिए लागू करने की क्या आवश्यकता प्रतीत हुई। किसी विधेयक को २० साल के लिये किया जाय या ३० साल के लिये किया जाय या ५ साल के लिये किया जाय, इस बात को प्रवर समिति बहुत गहराई से विचार करेगी कि वास्तव में इसे किस रूप में सदन के समक्ष रखा जाय व कितने सालों के लिये रखा जाय।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि गृह की व्यवस्था करना प्रत्येक राज्य सरकार का कर्त्तव्य होता है। लेकिन उसके लिये जो कदम उठाये जायं वे न्यायसंगत हों और सब पर समान रूप से लागू हों। आप जमीन की कीमत पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं लेकिन मकान केवल जमीन से नहीं बनते। उसके लिये दूसरे मेटीरियल की भी जरूरत पड़ती है। जैसे लोहे के छड़ व लोहे के गर्डर्स की जरूरत पड़ती है, ईंट, पत्थर और चूने की जरूरत पड़ती है। तो क्या राज्य सरकार उनकी कीमत को भी फ्रीज़ करने की ओर कदम उठायेगी? यदि नहीं, तो केवल जमीन पर ही क्यों प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है? मार्केट में कोई वस्तु बिकती है तो उसकी कीमत सप्लाई और डिमान्ड के आधार पर फिक्स होती है। जिस चीज़ की मांग अधिक है और चीज़ सीमित है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी और जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमान्ड कम है तो वह चीज़ सस्ती मिलेगी। आपने इस बिल का नाम रखा है हाउसिंग स्कीम या गृह निर्माण योजना और गृह की व्यवस्था करने के लिये सरकार इस बिल को ला रही है और इसके द्वारा केवल जमीन की कीमत निश्चित करना चाहती है तो क्या केवल जमीन से ही मकान बनते हैं? उसके लिये दूसरी चीजों की भी आवश्यकता है। दूसरी चीजों की भी कीमत बढ़ी है तो क्या सरकार यह करने जा रही है कि दूसरी चीजों की जितनी कीमत बढ़ी है उसको फ्रीज़ करने या कीमत निश्चित करने का भी अधिकार सरकार अपने हाथ में ले? यदि ऐसा करेगी तब तो समझ में आ सकता है कि गृह निर्माण की स्कीम है वह सफल हो सकती है। सीलिंग का कानून जमीन के लिये लागू है। गृह निर्माण के लिये केवल जमीन ही आवश्यक वस्तु नहीं है। दूसरे तबके के जो लोग हैं और जो दूसरी चीजों की बड़ी बड़ी कीमत लेते हैं उनके लिये क्यों नहीं कानून बनाया जाता है? हाउसिंग स्कीम के लिये ही इस तरह के कानून की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिये किन किन चीजों की प्राइस फिक्स करनी होगी, इस बात को प्रवर समिति देखेगी। वास्तव में दूसरी चीजों की कीमत भी निश्चित की जाय या नहीं और की जाय तो केवल जमीन की की जाय या दूसरी चीजों की भी, यह सब वह देखेगी। यदि केवल जमीन की ही कीमत निश्चित करनी है तो इसका नाम हाउसिंग स्कीम न रख कर....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): On a Point of Information, Sir, I would like to say that we are dealing with certain provisions of Land Acquisition Act. We are not dealing here the Essential Commodities Act.

Page No.70

(श्री दामोदरलाल व्यास)

It is only an amendment of our Land Acquisition Act whereby any land which the Government wants to acquire, for that the ceiling has been placed on price. It is not for all commodities. It is not within the scope of this Bill. Your arguments to refer it to the Select Committee are not relevant and that will not be within the scope of the Bill....

श्री सभापति : Moreover, you see, I am sure that the Hon'ble Member will keep in view that only Sections 3 and 11 are being discussed in the House of this Land Acquisition Act and not the spirit of the Section to be discussed here. Simply the amendments are to be discussed. I am sure, the Hon'ble Member will, therefore, confine his speech to the relevant issue.

श्री शंकरलाल : मैं समझता हूं मंत्री-जी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम इस बात को अच्छी तरह से समझते, यदि इसका नाम गृह व्यवस्था बिल न होकर लैंड एक्विज़िशन (अमेंडमेंट) बिल होता....

श्री सभापति : But you will have to go into the body of the Bill itself Because the body of the Bill is that Sections 3 and 11 are going to be introduced.

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गृह व्यवस्था योजना विधेयक इसका नाम रखा है वह गलत रखा है। इसका नाम लैंड एक्विजिशन अमेन्डमेंट बिल रखना चाहिये। लेकिन क्योंकि इसका नाम गृह योजना रखा है और उद्देश्य बताया है गृह निर्माण के लिये, तो वे उद्देश्य इससे पूरे नहीं होते। यदि माननीय मंत्रीजी का यह कहना है कि लैंड एक्विज़िशन के लिये यह बिल है तो उनको इसे विथ्ड्रॉ करके दूसरा बिल लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल लावें। यदि गृह निर्माण के लिये यह बिल है तो गृह निर्माण के लिये जितनी चीजों की आवश्यकता है उन सब की कीमतें फिक्स करनी चाहिये। इसलिये मैंने यह कहा था कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय जो यह देखे कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति, के लिये यह लाया गया है उनकी पूर्ति करने में यह समर्थ है या नहीं।

धारा २८ की जो बात है उसके अंदर रिलेवेन्ट डेट बताई गई है वह है ट्वेल्थ डे ऑफ दिसम्बर, १९५३। यह किस आधार पर बताई गई है ? सन् ५० या ५५ क्यों नहीं बताई गई ? इसके लिये आपके पास क्या रीज़निंग है ? इस वजह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में कोई विधेयक पेश किया जाय तो उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिये, साफ होना चाहिये, रीज़निंग होना चाहिये और क्लीयर होनी चाहिये। इसलिये मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि प्रवर समिति को यह बिल सौंपा जायगा तो वहां पर माननीय सदस्य गंभीरता के साथ इसका मनन करके इस पर विचार कर सकेंगे और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इसे लाना चाहते हैं उस रूप में सदन के सामने आयेगा ताकि लक्ष्य पूरा हो सके।

Page No.71

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, जो आज रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने बिल पेश किया है और उसके पीछे उनकी जो भावना है वह हाउस को और दुनिया को बताने के लिये ठीक है। लेकिन इस बिल से गरीबों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपने जमीन देने और गृह व्यवस्था करने के लिये इस बिल को पेश किया है और साथ साथ यह भी रखा है कि इसका प्रभाव २० साल तक रहेगा। सभापति महोदय, आज मकान बनाने वालों को यदि अलग अलग कीमतों पर जमीन दी जाय तो मेरे लिये वह बराबर ही है और मेरा उस बारे में कोई विरोध नहीं है। लेकिन २० साल के अन्दर अलग अलग कीमत पर दी जायगी तो किसको दी जायगी ? मकान बनाने वाले हैं उनको दी जायगी। जो लोग गरीब हैं वे तो मकान बनाने वाले हैं नहीं। हमारे रिश्तेदार तो कोई मकान बनाने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैं एक पिछड़े हुए क्षेत्र से आया हूं। लेकिन मिनिस्टर महोदय के जो रिश्तेदार होंगे उनको जमीन बंटने वाली है, बाकी लोगों को बंटने वाली नहीं है। गरीबों का भला हो, यह होने वाला नहीं है। उनका कोई भला नहीं होने वाला है। इसमें यह भी हो सकता था कि जयपुर के आसपास में या कोई नेता लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं या सेठ साहूकार लोग हैं जिन्होंने जयपुर के आसपास इतनी भूमि कब्जे में कर रखी है कि दस दस परिवारों के लिये मकान बन सकते हैं, फिर भी जमीन बच रहती है उन पर सीलिंग के तरीके से लागू करना था तब तो यह मालूम हो सकता था कि यह गरीबों के लिये है वर्ना जिनके पास अधिक जमीन है उनको फायदा होने वाला है, सफेद घोड़े से हट कर काले घोड़े पर बैठने जैसी बात है, दोनों ही घोड़े बराबर हैं। इसलिये इस बिल से गरीबों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। धनी लोगों को ही इससे फायदा होगा, ग्राम की व्यवस्था नहीं होगी। इससे गरीबों को कोई फायदा होने वाला नही है। यदि गरीब २० साल में मकान बनाने को तैयार होंगे तो दूसरी चीजों की कीमत बढ़ जायगी। आज सरकार कांग्रेस के हाथ में है वह उसके हाथ में रहने वाली नहीं है। दूसरे आने वाले साथी कौन होंगे, यह मालूम नहीं है और उन्होंने यह कर लिया है कि जब तक हमारे हाथ में बागडोर है उस वक्त तक अपने रिश्तेदारों को सहायता दे देनी चाहिए। वह अपने कंट्रोल में रख कर ही दे सकते हैं वर्ना नहीं दे सकते। उस स्थिति में यह जो बिल पेश किया है, इससे गरीबों का कोई भला होने वाला नहीं है। यह उनके लिए बना है जो मकान बनाने के लिए तैयार होंगे और उनको ही जमीन दी जायगी। यह नहीं होगा कि जो आदमी मकान १० साल के बाद बना सकेगा उसको जमीन दे दें, उसको जमीन नहीं देंगे। मान लीजिये मैं ही हूं। मैं दस साल के बाद मकान बना सकता हूं, तो मुझे जमीन नही दी जायगी। जिसके पास पैसा है, वही मकान बना सकता है और उसको ही जमीन दी जायगी। इस तरह का इस बिल में प्रोविज़न है। मैं समझता हूं, इस बिल में यह प्रोविज़न रखा जाता कि सरकार की तरफ से मकान बना दिये जायेंगे और उनकी कीमत बाद में वसूल कर ली जायगी। तब मैं समझता कि यह अच्छा बिल है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने जमीन अपने पास रख रखी है, उसकी जो कीमत है, वह कीमत दे देते और इस प्रकार मुआवजा चुका देते तो वाजिब होता। उसमें रखा है

(श्री हीराभाई)

कि कलेक्टर उसकी जांच करेगा। कलेक्टर के भी कोई भाई दूसरे होंगे, बड़े बड़े आदमी जो होते हैं, वे उसके पास बैठते हैं। गन्दी और फटी हुई धोती पहने हुए आदमी उसके पास नहीं बैठते हैं। अगर बैठ जाय तो वह गन्दी धोती पहने हुए लोगों की तरफ नहीं देखेगा। कलेक्टर उनकी तरफ देखेगा जो पैसे वाले हैं। इसका नतीजा यह होगा कि घी में घी तो आप डाल रहे हैं, किन्तु तेल में घी नहीं डालेंगे। गरीबों का नाम लेकर रिश्तेदारों को जमीन देने के लिए यह बिल हाउस के सामने रखा गया है। मैं समझता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की बात नहीं हो, इसको वापिस कर दिया जाय।

(सर्व श्री दयाकृष्ण विजय और सोहन लाल भटनागर के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : You may please adjust between yourself, as to who will speak.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान गृह व्यवस्था योजना (भूमि अवाप्ति) विधेयक, १९६० हमारे सामने प्रस्तुत है और इसके विषय में सिलेक्ट कमेटी में इसे भेजने का प्रस्ताव है। मैं सिलेक्ट कमेटी में भेजने के समर्थन में नहीं हूं बल्कि चाहता हूं कि इस बिल को वापिस ले लिया जाय और जो संशोधन मैं सुझाता हूं, उनके आधार पर इसे संशोधित करके यहां रखा जाय। मैं इस बिल की जो भावना है उस भावना का समर्थन करता हूं कि हमारे जो भी मास्टर प्लान बन रहे हैं उन मास्टर प्लान्स के लिए जमीन की आवश्यकता है और जमीन की अवाप्ति भी की जायगी लेकिन जब कभी हम इस प्रकार की योजना बनाते हैं, उस योजना की सबसे पहले सूचना, जो राजनैतिक कार्यकर्ता होते हैं और शासन से किसी प्रकार भी सम्बन्ध रखते हैं उनको मिल जाती है और उस योजना का जो उद्देश्य होता है और उस योजना में जो जमीन जाने वाली होती है उसको वे लोग सस्ते भाव पर पंचायतों, नगरपालिकाओं से खरीद लेते हैं, बड़े सस्ते दामों पर इस प्रकार जमीन उनके पास आ जाती है और जब आपका पूरा मास्टर प्लान बन कर तैयार होता है तब तक वे पट्टा बना कर, नकशा बना कर तैयार कर लेते हैं और जब लैंड एक्विज़िशन के तहत जमीन ली जाती है तो मार्केट प्राइस तलब करते हैं। जिन लोगों ने जमीन एक पैसा, दो पैसा में खरीदी है वे मार्केट प्राइस मांग रहे हैं, यह बात न्यायसंगत नहीं है। इस आधार पर मैं विधेयक की भावना की कद्र करता हूं किन्तु मुझे लगता है कि इस विधेयक से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमको इस बात का इसमें डेफिनेशन करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने इस प्रकार से जमीन ले रखी है, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, हमारी सरकारी और अर्द्ध सरकारी एजेन्सी से जमीन ले रखी है उनसे वह जमीन उसी भाव में वापिस लेनी चाहिए और उनको १९५३ के पैसे भी नहीं देने चाहिए। उन लोगों का, क्योंकि शासकों से सम्बन्ध है, योजनायें उनके दिमाग में थीं, कि ये योजनायें बनने वाली हैं, इस कारण बहुत बड़े बड़े प्लॉट केवल रकम कमाने के लिए खरीद लिये और अब जानते हैं कि मास्टर प्लान बन रहा है और सरकार

(श्री दयाकृष्ण विजय)

निश्चित रूप से जमीन अवाप्त करेगी, तो उसको हायर प्राइस पर बेच दिया। मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन बहुत से लोग हैं, जो सरकार से सम्बन्धित हैं, ऐसे लोग हैं। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि इस बिल को वापिस ले लिया जाय और इसमें यह प्रावधान रखा जाय कि जिस भाव पर जमीन खरीदी है पंचायत से, नगरपालिका से और उस जमीन के डेवलपमेंट के लिए, नगर के विकास के लिए जरूरत है तो सरकार उस जमीन को उसी भाव पर ले ले। मैं मान सकता हूं कि जिन लोगों की जमीन पुश्तैनी चली आ रही है, जिस पर वास्तव में उन लोगों का कब्जा है, उन लोगों को, जो जमीन का भाव पहले चल रहा है उस भाव से रुपये देकर जमीन खरीदें। मैं कह सकता हूं कि इसमें एग्रीकल्चरल लैंड भी आयेगी। वैसे माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि उन पर लागू नहीं होता, पर मैं समझता हूं कि लैंड एक्विज़िशन एक्ट के तहत यह कानून है, जिसका नाम अलग दिया जा रहा है, नाम अलग क्यों दिया जा रहा है, यह मैं नहीं समझता। लेकिन जो धाराएं बनी हुई हैं, लैंड एक्विज़िशन एक्ट की, उनमें संशोधन हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अलग नाम देने की आवश्यकता नहीं है, लैंड एक्विज़िशन एक्ट में संशोधन बिल रख देते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं मानता हूं कि इस विधेयक की भावना अच्छी है और यह जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए, इसलिए इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज कर इसमें विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि वे इसे शीघ्र लागू करने के लिए अपनी ओर से यह सुझाव कर दें कि जिन लोगों ने नगरपालिकाओं से, पंचायतों से, सरकारी एजेन्सी से अलॉटमेंट द्वारा इस प्रकार की जमीन ले ली है और उस जमीन को गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए, गांव और कस्बों के डेवलपमेंट के लिए लेती है तो अगर वह जमीन मुफ्त में आई हुई है, उसका अलॉटमेंट हुआ है, तो भी उसे १९५३ का भाव देंगे। मैं समझता हूं कि जिन नगर-पालिकाओं से, पंचायतों से या सरकारी एजेन्सी से जिस भाव पर जमीन ली है उसी भाव पर उनसे वापिस लेनी चाहिए और अगर उनको भूमि सरकारी एजेन्सी के द्वारा मुफ्त में दी गई है तो उसका पैसा देने का प्रश्न नहीं उठता। केवल जिन लोगों का पुश्तैनी हक है उनको मार्केट रेट से पैसा दिया जाय; इस प्रकार का संशोधन आना चाहिए। जो अलॉटमेंट जमीन का हुआ था। लोगों के नाम पर, उन्हें जमीन मुफ्त में दी गई तो वह जमीन मुफ्त में ली जायगी, जिन्होंने पैसा दिया था, उन्हें वही पैसा दिया जायगा। मैं समझता हूं कि जिस भावना से यह बिल रखा है इससे उसकी रक्षा होगी और यह बिल भी न्याययुक्त होगा और जिन लोगों ने सिटी के डेवलपमेंट को खत्म करने के लिए, देर करने के लिये या लाभ उठाने के लिए, स्वार्थ के कारण, उन तक जल्दी सूचना पहुंचने के कारण जमीन अपने हाथ में ले ली है, उनको वास्तव में लाभ नहीं मिलना चाहिए और उनसे जमीन यों ही लेनी चाहिए। यह संशोधन हो जावे तब तो मैं समझूंगा कि यह बिल वास्तव में अच्छा है। इस विधेयक के पास होने में देर न हो, इसके लिए माननीय मन्त्रीजी इसे सिलेक्ट कमेटी में न भेज कर स्वयं ही संशोधन मूव कर दें तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं उसके बाद इसे जल्दी से जल्दी पारित कर देना चाहिए।

Page No.74

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि जनसंघ के कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक की भावना का स्वागत किया है। यद्यपि यह बिल छोटा है परन्तु इसके अन्दर जो एक महत्वपूर्ण कम्पेन्सेशन की बात रखी हुई है और इसकी भावना जो कुछ रखी है, वह जनसंघ और दूसरी राइटिस्ट पार्टी की विचारधाराओं के खिलाफ है, फिर भी उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर इस विधेयक का जो स्वागत किया है, वह खुशी की बात है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें २० वर्ष का क्यों प्रावधान रखा है? जैसा कि इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में हवाला है, हम देखेंगे कि प्लानिंग एक कन्टीन्युअस प्रोसेस है। यह जरूरी नहीं कि सेकिंड फाइव ईअर प्लान के साथ खत्म हो जाय, यह खत्म होने वाला नहीं है। इस दृष्टि से इसमें २० वर्ष रखा है, जो कि सिक्स्थ फाइव इअर प्लान के साथ खत्म होगा। दूसरे, अगर २० वर्ष से ज्यादा रखते हैं तो पर्टिक्यूलर प्राइस फिक्स की जाती है, वह फ्लेक्चुएट होती रहती है। इसलिए २० वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए २० वर्ष का प्रावधान ठीक है।

दूसरे, सभापति महोदय, मेरे ख्याल से जयपुर से आनेवाली माननीय सदस्या ने, सशोधन को मूव किया है उन्होंने इसकी जिन्होंने इस रिपरिट को माना है। यह स्पष्ट है कि आज के प्लानिग के युग में, जब कि युद्ध के बाद हमारे देश के अन्दर मांग तो बहुत बढ़ी, लेकिन उत्पादन में कमी होने के कारण जमीन की कीमत बढ़ी है। हमने इस सिद्धान्त को माना है कि जितनी भूमि है वह सरकार की है। केवल टिनेन्सी राइट दूसरों को दिया है और बिना किसी सुधार और इम्प्रूवमेंट के कोई जमीन की कीमत बढ़ी है तो उसका लाभ किसी व्यक्ति विशेष को न जाकर समाज के पास जाना चाहिए और जब कि हम नगरपालिकाओं को दूसरी नई नई पंचायतों के लिये नये नये साधन पैदा करना चाहते हैं तो ऐसे रिसोर्सेज़ रहने चाहिये अन्यथा कीमतें बढ़ीं उससे समाज का पैसा चला जावेगा। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ ही समय पहले सदस्यों को मालूम ही होगा कि १॥ वर्ष पूर्व एक संशोधन द्वारा हमने यह तय किया कि किसी जमीन को एक्वायर किय जावे तो उसकी मार्केट वेल्यू नहीं दी जावे! आज कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। कहीं आप किसी वस्तु में देखेंगे कि १०० गुना तक और २०० गुना तक कीमतें बढ़ी हैं। आज हाउसिंग स्कीम के लिये जब जमीनें एक्वायर की जावेंगी तो सारी कीमतें अगर मार्केट वेल्यू से देनी हों तो बहुत महंगा पड़ेगा और वह जमीन गरीबों के हाथ नहीं आ सकेगी। इसमें जहां तक गरीबों का प्रश्न उठाया गया है मैं यह कहूंगा कि जो लैण्ड एक्वायर की जावेगी उसमें यह व्यवस्था रखी गई है कि कुछ भूमि उन लोगों के लिये अलग रखी जावेगी और बकाया जमीन हाइयेस्ट बिडर को दी जावेगी। इसका मतलब यह है कि गरीब लोग भी इससे महरूम न रहें। मैं यह कहूंगा और पहले भी कहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने वाली है। उसमें नगरपालिकाओं को भी कुछ न कुछ साधन अवश्य देने होंगे। इस दृष्टिकोण से जो बीच का मुआवजा है वह नगरपालिका और पंचायतों को काफी रह जाए।

मेरे ख्याल से यह जो बिल लाया गया है

(श्री सोहनलाल भटनागर)

इसकी भावना समाजवादी समाज की रचना के आधारों पर है और इसका फायदा सबको मिलेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, आज यह बिल हाउस में आया है उसकी तो मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि इस बिल की बहुत ही आवश्यकता थी। राजस्थान में जब कि आबादी बढ़ रही है तो मकान भी बढ़ेंगे। जब मनुष्यों की आबादी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ मकान भी बढ़ेंगे। इसलिये इस बिल की आवश्यकता थी और जरूरत थी। परन्तु पूरी बातें इस बिल में नहीं आई हैं। कुछ इस बिल में कमी है क्योंकि इस बिल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट एग्रीकल्चरल भूमि की कीमत बढ़ा रहा है। यह बिल्कुल सही है कि आज एग्रीकल्चरेबल भूमि को बेच कर लोगों ने काफी रुपया पैदा किया है और उस पर मकान बनाये गये हैं। काफी मकान गांवों में, शहरों में और कस्बों में बन रहे हैं और इस पर भी आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसलिये इसकी आवश्यकता सोची। परन्तु यह समझ में नहीं आया कि यह जमीन लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंचायतों को या म्युनिसिपैलिटीज़ को एलॉट करेगा या रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग मास्टर प्लान बनाएगा और सिटी या गांवों को डाइरेक्ट अलॉटमेंट करेगा? यह बात थोड़ी समझ में नहीं आई। वह मंत्री महोदय बतावेंगे और जो इस तरह का बिल हाउस में लाया गया है उसके लिये कोई भी हाउस के सदस्य इन्कार नहीं हो सकते। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि गरीबों को फायदा नहीं होगा। मैं यह कहूंगा कि यहां पर गरीब और अमीर का प्रश्न नहीं है। मैं यह कहूंगा कि जमीन बेचते अमीर लोग ही हैं और खरीदते भी अमीर लोग ही हैं। गरीब लोग तो बहुत कम जमीन बेचते और खरीदते हैं। इसलिये जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक है। इसलिये यह जो राजस्थान में गांवों और कस्बों और शहरों में एग्रीकल्चरल जमीन की आज बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई है और मकान बराबर बनते जा रहे हैं और जो मकान बन रहे हैं वे कोई प्लान के आधार पर नहीं बन रहे हैं, वे ऐसे ही बने रहे हैं जिनका कोई प्लान नहीं और गांव और शहरों के आसपास काफी जमीन लोगों ने ले ली है, इसके लिये इस बिल का आना आवश्यक था। लेकिन इस बिल में कुछ संशोधन वगैरह करने हों तो करके इस बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जावे और इसको सिलेक्ट कमेटी के लिये भेजने के बारे में माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसका मैं विरोध करता हूं। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजे बिना ही हाउस में पास जल्दी करना जरूरी है। मैं यह चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है वह पूरी हो जावे। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे विचारों को जान गये होंगे कि इस बिल में जो कमी है उसको पूरा करके इस बिल को पास कर दिया जाए।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान हाउसिंग स्कीम लैण्ड एक्विज़िशन बिल, १९६० जो हमारे सामने विचारार्थ है उस पर मेरी तरफ से निवेदन है कि सरकार की ओर से जो बिल बनते हैं और हाउस में विचारार्थ लिये जाते हैं उन बिलों के साथ

(श्री लादूराम मुलाणिया)

साथ उनकी ये धारणाएं देखी जाती हैं कि यह हमारे यहां जनता के हित में अधिक से अधिक फायदेमन्द और लाभदायक कहां तक हो सकते हैं ! इन सारी बातों पर विचार करने के पश्चात् ही कह सकते हैं कि इसकी जरूरत है या नहीं। इस बिल की रूपरेखा है वह कुछ ऐसी लगती है कि यह बिल कुछ ऐसी भावना से नहीं लाया गया है जैसी कि इस बिल के नाम से प्रतीत होता है। आप इसका नाम देते हैं वह बहुत ही सुन्दर है और ऐसा नाम है जिस नाम से हर आदमी की इच्छा होती है कि यदि भवन निर्माण बिल पास होगा तो हम सब लोग भवनों में बसेंगे और जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं उन लोगों को खुशी होगी कि हमारी राजस्थान सरकार विधान सभा में हाउसिंग स्कीम को पास कर रही है और बेघरबार लोग इस बात के लिये बहुत ही उत्सुक होंगे ! लेकिन इस बिल की मंशा यह नहीं है। यह बिल है उसमें यदि माननीय मंत्रीजी की ओर से कुछ ऐसी विशेषताएं होतीं कि जितनी जमीन सरकार उनसे मकानों के लिये, मकानों की योजना बनाने के लिये लेगी उससे विशेष करके उन लोगों को अधिक फायदा मिलता जो मकानों से वंचित हैं तो हम इसका समर्थन करते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करके कुछ लोगों को विशेष फायदा मिल सके, जिन्होंने पहले अधिक जमीन अपने कब्जे में करके रखी है और बिज़नेस के बतौर यह चाहते हैं कि सरकार उस जमीन को वापिस उनसे एक्वायर कर ले और उससे उनको बहुत बड़ा मुआवज़ा मिले; ऐसी व्यवस्था की जा रही है। जैसे कई काश्तकारों ने काफी जमीन कब्जे में कर ली है कि सीलिंग का कानून आ रहा है। वे यह समझते हैं कि यदि वे काश्त नहीं कर सकेंगे और वह जमीन सीलिंग में सरकार द्वारा एक्वायर होगी तो भी उनको मुआवजा जरूर मिलेगा और आज हजारों बीघा जमीन पर इस प्रकार से लोगों ने कब्जा जमा रखा है और उनको मुआवजा मिलने वाला है। अगर सरकार की ओर से इस बिल में इसके लिये कोई एडीशन हो कि जिस रेट से उन्होंने जमीन ली है, किसी ग्राम पंचायत से, म्युनिसिपेलिटी से, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड से या किसी अधिकारी से और जो कीमत उस वक्त उन्होंने दी है उस कीमत से ज्यादा मुआवजा नहीं दिया जायगा, ऐसा इसमें शामिल होना चाहिये। विशेष नहीं हो जिससे कि उन लोगों को, जो बिज़नेस की भावना से मुआवजा चाहते हैं अनुचित लाभ न मिल सके।

जैसे आज कितने ही जो पिछले जमाने के लालजी शाह थे, जिन्होंने बड़ी २ जमीनों पर कब्जा कर रखा है, वहां की जनता को सरकार बसाना चाहती है लेकिन उनको बसा नहीं सकती, उन लोगों का उन जमीनों पर कब्जा है जो उन पर बैठ कर भारी मुआवजा लेना चाहते हैं। न तो आज सरकार उनको इतने रुपये मुआवजे के दे सकती है और न ही इन जमीनों पर बसे हुए लोग उतना पैसा दे सकते हैं। शहर जयपुर के आसपास ही देख लीजिये। इस झगड़ेबाजी में जो लोग बेघरबार हैं, अपने झोंपड़े बना कर रहते हैं आज उनकी यह स्थिति है कि यदि उनको वहां से हटा दिया जाय और उनको हटा दिया भी जाता है और शहर से चार-पांच मील दूर उनको फैंक दिया जाता है तो वे आपत्ति करते हैं क्योंकि वे

(श्री लादूराम सुलाणिया)

मजदूरी के लिए शहर में आ सकते नहीं, मजदूरी नहीं कर सकते हैं यहां आकर शहरों में तो अपने बच्चों का पेट पालन भी वे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से जमीनें छुड़ा दी जाती हैं। इसलिए इसमें ऐसी समस्या शामिल हो कि ऐसी जमीनों पर जो लोग काबिज़ हैं यदि उन जमीनों को एक्वायर किया जाता है तो म्युनिसिपेलिटी या अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड उनको वही रेट्स दे जो रेट्स '५३ में थीं और उन लोगों ने जिन रेट्स पर उस समय जमीनें खरीदी थीं। आप चाहते हैं कि शहर शोभायमान हो, सिटी के सब ही ओर शोभा ही शोभा हो। इस बिल में ऐसे सुझाव आने चाहिये, धारायें आनी चाहिये थीं, वे नहीं आयीं। अधिकतर गांवों में पर्चे की जमीनें हैं। ईंट के भट्टे वाले कहते हैं कि जमीन दे दो। ५००) रु० बीघा की दर से वह जमीन उनको दे दी जाती है। इस तरह से उन जमीनों पर सरकार का कोई कन्ट्रोल नहीं है, कोई रेट्स फिक्सड नहीं हैं। एक आदमी का बिज़नेस है। पेट उसका ही अच्छी तरह से भर सके, उससे दूसरों को कितना नुकसान होता है, इसको आपने देखने की कोशिश ही नहीं की। भट्टों पर ईंटें पकाने वाले...

श्री सभापति : भट्टों की बात नहीं करें।

श्री लादूराम सुलाणियां : मिसाल के तौर पर ऐसी समस्या सामने आती है। देश के लिए निर्माण करना चाहते हैं इस भावना से कि शहरों का अच्छा निर्माण हो सकेगा लेकिन वह हो नहीं पाता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति को न भेजते हुए आप ही अपनी तरफ से ऐसे संशोधन रख दें जिससे कि जनता को अधिक फायदा हो सके। इसको अच्छी भावना से प्रसारित करके फिर हाउस में रखा जाय और पास कराया जाय तो लोगों को ज्यादा फायदा मिल सकेगा और अन्य प्रान्तों की नजरों में भी हमारे यहां के जो बिल बनते हैं अच्छे शोभायमान बन सकेंगे। आज जितने बिल बनते हैं यदि वे दूसरे प्रान्तों की नजरों में अच्छे नहीं हैं तो यह हमारी विधान सभा के लिए भी कोई शोभा की चीज नहीं है। बिल तो ऐसे होने चाहिये जो दूसरों की नजरों में भी अच्छे हों।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्य कोई ऐसा सुझाव दें कि जिससे सुन्दर, जैसा वे चाहें बिल को बनाया जा सके।

श्री लादूराम सुलाणियां : मैंने पहले निवेदन कर दिया था कि इसमें यह एक सुझाव होना चाहिये कि जिन लोगों की जमीनों को एक्वायर करें उनको वही रेट देनी चाहिये मुआवजे की जिस रेट से कि उस वक्त उन्होंने खरीदी थी। दूसरी इसमें यह बात आनी चाहिये कि जितने लोग उन जमीनों पर बसे हुए हैं, जैसे किसी एक जागीरदार या जमींदार की जमीन है और उस पर बस्ती बसी हुई है जो उन लोगों को एक दो, रुपया सालाना का किराया देकर पचासों वर्षों से बसे हुए हैं उनकी जमीनों को एक्वायर करेंगे तो उन लोगों की क्या हालत होगी, इसके लिए बिल में कोई सुझाव नहीं है। यदि उन लोगों को वहां से हटाया जायगा तो उनको मुआवजा दिया जायगा और यदि उनको और कहीं बसाया जायगा तो पहले से ही उनके लिए कोई प्लान होना

(श्री लादूराम सुलाणिया)

चाहिये जिससे कि भूमिहीनों को सहयोग हो सके। दूसरे माननीय सदस्यों के जो अच्छे सुझाव हैं वे सब इसमें एड करने चाहिये, यह मेरी अर्ज है।

श्री सभापति : श्री सूबेदारसिंह।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, गृह निर्माण का जो बिल पेश हुआ है कि मकान बनाने के लिए जमीन किस प्रकार से ले ली जाय, इस बारे में सदन में चर्चा चल रही है। चर्चा के समय बहुत से माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की है कि जब किसी काश्तकार से जमीन ले ली जाती है तो उसके प्लॉट बनाये जाते हैं, मकान तक जाने के लिए सड़क दी जाती है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि गरीब जनता की बस्ती के लिए यह जमीन ली जा रही है। गरीब लोग तो गंदी बस्ती में, नाले के किनारे ही रहेंगे।

श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू—सु०) : वे क्यों रहेंगे ? सरकार क्या कोई इन्तजाम नहीं करेगी ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य को इन्टरप्ट न करें।

श्री सूबेदारसिंह : न तो उनके पास पैसा है, न वे प्लॉट ही खरीद सकते हैं, इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि जो जमीन एक्वायर कर रहे हैं उसके असली मालिक, किसी काश्तकार को वह मिल जानी चाहिये। जो मकान बनाना चाहें वह उनको मिलनी चाहिये। गवर्नमेंट होस्टल से लेकर स्टेशन तक, रेडियो सेन्टर के पास में ५०), ६०) रु. फी गज की दर से जमीन बिकी है। किसी समय सी. स्कीम की जमीनें दो रुपया गज में बिकी थीं, आज १७), १८) रु० गज में बिकती हैं। ऐसा होना चाहिये कि जिससे इस तरह से जमीनों का ब्लेक मार्केट न हो सके। फायदा या तो किसान, जो मालिक है, उसको मिलना चाहिये या जो मकान बनाना चाहते हैं उनको वह जमीन मिलनी चाहिये।

मकान के लिए यह व्यवस्था होनी चाहिये और सरकार यह कानून बना दे कि या तो सरकार उनके लिए मकान बना दे या वे नहीं बनाते हैं तो उनसे जमीन वापिस ले लेनी चाहिये। २० वर्ष की जो सुविधा रखी हुई है तो सरकार ने उसके लिए कुछ सोचा होगा। जो गरीब काश्तकार शहरों के अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनको एक तरह से मुसीबत में फंस जाना पड़ेगा। वह सोचेगा कि बीस वर्ष में शहर बढ़ते गये और कल-कारखाने बढ़ते गये तो वे मेरी जमीन में भी आ सकते हैं और मुझे उस जमीन को छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से बीस वर्ष में जहां उसको कुंआ और जमीन को डेवलप करना चाहिये था, खाद वगैरह देकर जमीन को उपजाऊ बनाकर अपना गुजर-बसर पूरी तरह से करना चाहिये था वह नहीं कर सकेगा और दुखी हालत में रहेगा। न तो उसके पास पैसा होगा और न ही आगे के लिए कोई निश्चय होगा कि क्या कीमत मुझे मिलेगी। जिसकी उस खेत पर जिन्दगी बसर है वह उस खेत का डेवलपमेन्ट नहीं कर सकेगा। यदि इस तरह से शहर बढ़ते गये तो धीरे २ गांव खाली होते चले जावेंगे। इसलिए नगर निगम की लिमिट कायम कर देनी चाहिये कि शहरों में इससे अधिक शहर आगे नहीं बढ़ेंगे। सरकार को भी इससे

(श्री सूबेदारसिंह)

यह मालूम होगा कि इतना शहरों को बढ़ाना है। कल कारखाने शहरों में चलते हैं तो इससे शहरों की आबादी बढ़ती है। इसलिए शहरों में ये न होकर गांवों में होने चाहिये जिससे कि गांवों की आबादी शहरों की ओर न बढ़े। भविष्य में किसान का केवल काश्त पर ही गुजर-बसर नहीं हो सकेगा। गांवों में मिल और कारखाने खोलने से गांव की जनता शहरों की तरफ आकर्षित नहीं होगी और गांवों में अधिक औषधालय, स्कूल खोले जा सकेंगे जिससे कि गांवों की अधिक बहतरी होगी और शहरों के बढ़ने की भी समस्या दूर होगी। वे अच्छी तरह से अपनी जिन्दगी बसर कर सकेंगे। सरकार को इस ओर से ध्यान हटा देना चाहिये कि शहरों की बढ़ती हुई आबादी को और बढ़ाया जाय और इस दृष्टि से ही जमीनों को वह एक्वायर करे।

मेरी यह राय है कि जहां आप शहरों के आसपास कल-कारखाने खोल रहे हैं वे न खोल कर वहां खोलें जहां पर रेलवे स्टेशन हों और गांव की बस्ती हो। इससे वहां के लोगों को रोजी मिलेगी और इससे उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा। इसके अलावा शहरों में जहां ये कल-कारखाने होते हैं वहां एजीटेशन भी ज्यादा होता है यहां। उनका नेतृत्व करने वाला मिल जाता है: लेबर ट्रबल ज्यादा होती है। अगर हम गांवों में ये कल-कारखाने खोल देते हैं तो इस प्रकार की दिक्कतें जो शहरों में आती हैं वह नहीं रहेंगी और इस तरह से हम शहर की आबादी को भी बढ़ने से रोक सकेंगे। यही मेरा इसमें निवेदन है।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान गृह व्यवस्था योजना विधेयक, १९६० जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसमें एक बात की खामी रह गई है कि दलित वर्ग संघ के लिये इसमें कोई महत्व की बात नहीं है यानि जो हाउसिंग स्कीम बिल आया है उससे फायदा पूंजीपतियों और जमींदारों को मिलने वाला है....

श्री सभापति : यह कौनसी धारा में लिखा है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं निवेदन यह कर रहा हूं, इस प्रकार की स्कीम के अन्तर्गत वे ही लोग आयेंगे। तो माननीय सभापति महोदय, यह जो हाउसिंग बिल आया है इसमें हरिजनों और आदिवासियों के लिये कोई प्रावधान नहीं है। अभी कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हुई थी उसमें भी यह बात आई थी कि हरिजनों को बसाने के लिये जमीन की आवश्यकता है। लेकिन यह बिल जो आया है उसमें राजस्थान की तमाम जातियों के लिये प्रावधान है; वहां हरिजनों के लिये नहो, यह न्यायोचित नहीं होगा। जिस जाति के लाखों व्यक्ति हैं उनके लिये किसी प्रकार की व्यवस्था इसमें नहीं है। इसके द्वारा कल-कारखानों के लिये जमीन ले रहे हैं जिसमें पूंजीपति कल-कारखाने लगायेंगे। लेकिन जो ग्रामोद्योग खोलना चाहता है जैसे भांभी, बलाई, रंगा बनाने वाले हैं उनके लिये जमीन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करें। जो अनाज पैदा करते हैं, हमारे लिये खाद्य सामग्री जुटाते हैं चाहे सर्दी

(श्री हरिप्रसाद यादव)

हो, गर्मी हो भरसक मुसीबतें उठा कर भी हमारे लिये खाने–पीने की चीजों की व्यवस्था करते हैं उनके लिये किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है । आज जिनके पास सिनेमा हैं, कल कारखाने हैं उनके लिये तो जमीन मिल जायगी । इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अच्छा तो यह होगा कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि प्रवर समिति इस बारे में निश्चित तौर से प्रोग्राम बनाये । यदि हम इस तरह से इस बिल को पास कर देंगे तो राजस्थान में लड़ाई–झगड़े कभी शान्त नहीं होंगे । इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय; इसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, इस बिल को प्रवर समिति में दिया जाय, जो इस प्रकार का सुझाव आया है वह मैं समझता हूं ठीक नहीं है । यह एक साधारण और इन्नोसेन्ट बिल है जिसमें बहुत स्पष्ट धारायें हैं । यह इसलिये आवश्यक है कि आज जो हमारे सामने हाउसिंग स्कीम के प्रोग्राम्स हैं उनको किस प्रकार से इम्प्लीमेन्ट किया जाय, उसके लिये जितनी जमीन की आवश्यकता हो वह मिल सके और वह भी रीजनेबल प्राइस पर मिल सके; इसलिये यह बिल लाया गया है । स्कुपेलेटिव प्राइसेज़ लेवल से ऊपर न जाने देने के लिये इस बिल को पेश किया है और वह प्राइसेज़ उस समय की प्राइसेस मानी जायंगी जिस दिन लैन्ड एक्विज़िशन एक्ट एन्फोर्स हुआ उस समय जो प्राइसेज़ थीं वे दे दी जायंगी उससे रीज़नेबल रेट ज्यादा नहीं हो सकती ।

मैंने जैसे कि पहले देहली के मास्टर प्लान की बात कही, आप यहां की हालात को ही देखिये जिस जमीन को अर्बन इम्प्रूव-मेन्ट बोर्ड ने दो रुपया गज के हिसाब से बेचा है उसको प्राइवेट पार्टी ने ८ रुपये से लेकर २० और २५ रुपये तक बेचा है । एक तरफ तो प्राइसेज़ इतने ऊंचे जा रहे हैं; लेकिन द्वितीय योजना काल के अन्त तक आप जयपुर में ही देख लीजिये कितने मकानात बने हैं । हमारी माननीय सदस्या जो खेजड़े के रास्ते में रहती हैं वहां कोई मकान नहीं बना; इसलिये उनको यह दिखाई नहीं देता कि जयपुर में कितने मकान बने हैं....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : मेरा एरिया सिविल लाइन्स भी है, वहां भी मैं जाती हूँ ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात ठीक है कि सिविल लाइन्स में भी मकान नहीं बने हैं । लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत और मिडिल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत काफी मकानात बने हैं और बनते जा रहे हैं वह उनको नजर नहीं आते । इसी तरह से थर्ड प्लान में भी हाउसिंग स्कीम के लिये ज्यादा प्रोविज़न है । ऑल इन्डिया फीगर्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ४६.६ पॉइन्ट इसके फीगर्स हैं ।

इतना बड़ा हमारा हाउसिंग प्लान है उसके लिये जमीन की आवश्यकता होगी । वैसी हालत में गवर्नमेंट उसको एक्वायर करके लोकल बॉडीज़ आदि को जमीन देगी या अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को देगी और फिर वह उन लोगों को बेचेंगे जो हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत मकान बनाना चाहते हैं । इन्ड-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

स्ट्रियल एरिया की हाउसिंग स्कीम इसमें आ सकती है, समाज कल्याण विभाग जो हरिजन या आदिवासी जातियों के लिये मकान बनायेगा उसके लिये भी यह जमीन काम में आ सकती है। जैसा कि भोपालसागर से आनेवाले माननीय सदस्य ने चाहा इसमें पिछड़ी जाति और अग्रणी जाति सब के लिये समान रूप से व्यवस्था है; यह किसी खास जाति विशेष के लिये नहीं है; जब इन्डस्ट्रियल एरिया लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम, मिडिल ग्रुप हाउसिंग स्कीम, समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाई जाने वाली स्कीम सब इसके तहत आ जाती हैं तो वैसी हालत में प्राइसेस फ्रीज़ करने के लिये यह बहुत आवश्यक है। गवर्नमेंट ने मौजूदा कानून के अन्दर यह प्रावधान रखा है कि मार्केट प्राइस दे दी जाय। मार्केट प्राइस बहुत ऊंची हो जाती है इसलिये भी इस कानून की बहुत आवश्यकता है।

यह भी सवाल आया कि इसमें अक्टूबर की डेट क्यों रखी गई? क्योंकि इस तारीख को लैन्ड एक्विज़िशन एक्ट पास किया गया था उस वक्त की जो मार्केट प्राइसेज़ थीं उसी डेट को हमने इसमें रखा है।

(३ म० प०)

बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जितने में खरीदा उतने में देना चाहिये। यह वाजिब नहीं है। दस-पन्द्रह साल पहले सस्ता खरीदा उसे कहें कि वही कीमत आज देंगे तो यह वाजिब नहीं होगा। कुछ ऐसा निर्धारित करना होगा कि जिसमें खरीददार और बेचने वाले दोनों के लिए वह इक्विटेबल और जस्ट हो; इसलिए यह डेट मुकर्रर की है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वह डेट है जब कि न ज्यादा सस्ता था, न ऊंची चढ़ी हुई आज की स्पेकुलेटिव रेट्स थीं; तो इस बिल की इस भावना को देखते हुए और हाउसिंग स्कीम के सक्सेसफुल्ली इम्प्लीमेन्टेशन को देखते हुए सदन इसे पास करेगा।

डॉ० चन्द्रकला : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, यह जमीनों की कीमत कौन तय करता है? जयपुर शहर में दाम बढ़े हैं वह प्लॉट्स के अलॉटमेंट नहीं होने से बढ़े हैं, क्या यह सही नहीं है?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, बिल्कुल गलत। एक बात तो यह। दूसरी के बारे में मैं आपको सूचना दे दूं कि दाम लैंड एक्विजिशन ऑफिसर तय करता है एण्ड ही इज़ प्योरली जुडीशियल ऑफिसर आप उसके फैसले पर सिविल कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। Either party can go to a Court of law, Government or the person whose land is acquired? गवर्नमेंट तय नहीं करती। दूसरी बात यह है कि अलॉटमेंट बन्द नहीं हुआ। ऐसी एक नीति निर्धारित कर दी गई है कि पहले जैसे होता था वैसे नहीं होगा 'अब हालांकि अलॉटमेंट अर्बन इम्प्रूवमेंट ही करेगा। अब लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग के लिए एरिया निर्धारित कर दिया गया है। बाकी कॉमर्शियल एरिया है जिसको मालदार ही खरीद सकते हैं उसके लिये ऑक्शन से देने के लिये हिदायत कर दी गई है। यह इसलिए निर्धारित किया गया कि सस्ते खरीद कर मंहगे बेचने में साधारण लोगों के लिए प्लॉट लेना मुश्किल

Page No.82

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हो सकता था। जहां तक कीमतें बढ़ने का सवाल है वह इसलिये है कि ज्यों ज्यों डेवलपमेंट का काम बढ़ता जाता है और ज्यों ज्यों सरकार ज्यादा कर्जा देती है त्यों त्यों लोगों की मांग बढ़ती जा रही है। मांग बढ़ती है तो जिनके पास जमीन है वे उसके छोटे छोटे प्लॉट बना कर बेचते हैं इसलिए कीमतें बढ़ी हैं।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति ....

श्री सभापति : No discussion please.

डॉ० चन्द्रकला : मैं तो इन्फॉर्मेशन चाहती हूं।

श्री सभापति : आपको उत्तर मिल गया कि कीमतें लैंड एक्विज़ीशन ऑफिसर तय करेगा और वही कम्पेन्सेशन देना तय करेगा।

डॉ० चन्द्रकला : पर माननीय मन्त्री महोदय ने गलत बताया कि जयपुर शहर में अलॉटमेंट चालू है। मैं कहती हूं वह बन्द है। आप कहते हैं नीति निर्धारित की गई है मैं कहती हूं बन्द, है डेढ़ साल से।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसने बतलाया ?

डॉ० चन्द्रकला : मेरे पास ऑर्डर है जो मुझे अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड से मिला है। अलॉटमेंट बन्द बताया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : पर अलॉटमेंट, ऑक्शन और सेल में फर्क है। कृपया, इनके फर्क को समझिये।

श्री सभापति : अलॉटमेंट और ऑक्शन में अन्तर है, यह वे कह रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : मैं सब जानती हूं यह, पर अभी कुछ बन्द है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जो कहता हूं वह सही है। आपकी सूचना गलत है। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने काम शुरू नहीं किया है। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन हो नहीं सका था, इसलिए नहीं हो सका।

डॉ० चन्द्रकला : कारण कुछ भी हो, पर स्थिति यह है। हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक विभाग एक जबाब देता है तो दूसरा विभाग दूसरा जबाब देता है।

श्री सभापति : आपका प्रस्ताव है।

डॉ० चन्द्रकला : मैं उसे वापिस लेने की आज्ञा चाहती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसे उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ चन्द्रकला : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राज-

(श्री सभापति)

स्थान गृह व्यवस्था योजना (भूमि-अवाप्ति) विधेयक, १६६० विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया है।

(विराम)

खण्डशः विचार-विमर्श।

(विराम)

क्लॉज़ २

श्री सभापति : (डॉ० चन्द्रकला से) आपका अमेंडमेंट है क्लॉज़ दो में। Yes.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद सदन में हुआ। धारा २ जो है इसके अनुसार १२ दिसम्बर, १९५३ की जो कीमतें होंगी उन पर फ्रीज़ करने का प्रस्ताव है। इसमें मैंने संशोधन रखा है :

"2. In part (ii) replace the words and figures, "the twelfth day of December, 1953" by the words "the date on which the State Government gave its sanction for undertaking the scheme".

सरकार ने अपने स्पष्टीकरण में यह बताया कि १२ दिसम्बर, ५३ इसलिये रखा है कि उस समय लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू हुआ था और कहा कि उस समय की जो कीमतें थीं वे वाजिब थीं।

इसमें ऐसा है कि कई जमीनें परिस्थिति-वश खाली पड़ी हैं, आज भी हैं। अब उसके आसपास जो विकास का काम सरकार द्वारा किया गया है उस जमीन पर कोई काम जमीन के मालिक ने या अधिकृत व्यक्ति ने नहीं किया। उसको यह कीमत अगर हम देते हैं '५३ की तो कोई हर्ज नहीं। उसको नुकसान नहीं होगा; नुकसान होगा उसे तो यह होगा कि जमीन से जो कमाई कर सकता था वह नहीं कर पावेगा।

(गणपूरक घंटी)

पर कुछ जमीनें ऐसी हैं या हो सकती हैं जिन पर उसने विकास का काम खुद किया हो। उसमें कुछ अपना श्रम, अपना पैसा और सब कुछ लगाकर उसे अच्छा किया हो, बगीचा हो या समतल किया हो और सब बातें की हों, वहां पर उन जमीनों को ५३ की कीमतें देना वाजिब नहीं होगा। इससे ऐसे लोगों को घाटा होगा। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है और यह बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसी जमीनों के लिए जिस दिन एक्वायर किया जाय उस दिन की मार्केट वेल्यू दी जानी ठीक है। मैं समझती हूं कि इसमें मन्त्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

वैसे देखा जावे तो ५३ में भी कोई कीमतें कम नहीं थीं और अगर आपकी सचमुच में नियत यह है कि कीमतें कम की जावें तो और भी पीछे के वर्ष की कोई डेट रखनी चाहिये। डिपार्टमेंट के बारे में यह समझा जाता है कि जो कुछ एक्विज़िशन वह करता

Page No.84

(डॉ० चन्द्रकला)

है वह बहुत सोच-समझ कर करता है। तो जो अधिकृत व्यक्ति मांगे वह तो नहीं दिया जा सकता। यह वह भी जानता है और लेने-वाला भी जानता है। तो फिर इस तरह का प्रावधान रखने की जरूरत नहीं पड़ती पर जिस दिन कीमतें जो हों वह दे। इससे सरकार को भी घाटा नहीं रहने वाला है, न जमीन के मालिक को घाटा रहने वाला है। इस दृष्टि से मैंने यह संशोधन पेश किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, अगर मैं यह संशोधन मान लूं तो फिर मुझे बिल पेश करने और पास कराने के लिये निवेदन करने की ही आवश्यकता नहीं रह जावेगी। मैं नहीं समझता कि प्रस्तावक महोदय इस विधेयक की मंशा को और इस विधेयक को भी समझ सकी हैं या नहीं। पर अगर उन्होंने समझ कर यह प्रस्ताव किया है तो मैं यही कहूंगा कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसे पेश किया है, मैं उसकी उन्हें दाद देता हूं। अगर इसको मान लेता हूं तो मेरा बिल ही इनवेलिड बन जाता है और फिर आवश्यकता नहीं है सदन को समय अपना खराब करने की या इसे पास करने की। जिस तरीके का संशोधन बना है इसका मतलब यह हो गया।

अब लैंड एक्विज़िशन के तहत में जिस तरीके को सरकार लेती है माननीय सदस्या शायद इस बात को समझती हैं कि प्लान बाद में बनेगा और एक्विज़िशन पहले होगा और इसके लिए और भी स्पेकुलेटिव प्राइस तय करेगा। मेरे खयाल से यह प्रस्ताव रख कर माननीय सदस्या ने अच्छी तरह से वकालत कर दी है मालदारों की और मालदार बनाने की। इससे तो इस सारे विधेयक का मतलब ही खत्म हो जाता है। इसलिए मैं इसको तो बहुत ही खतरनाक संशोधन समझता हूं और बहुत ही नम्रतापूर्वक बेरहमी के साथ नामन्जूर करने के लिये आपसे निवेदन करूंगा। यह अमेंडमेंट इतना खतरनाक है।

दूसरी बात, सूचना के तौर पर कहता हूं कि जयपुर शहर में मकान नहीं बनने की जो बात कही जाती है वह कहां तक ठीक है, दूसरी योजना में कितने मकान बन गये और कितने कम्पलीट हो गये और तीसरी योजना में कितने बनने हैं? ४५४५ बनने वाले थे उनमें से ३,४१६ तो कम्पलीटेड अपटू दी एण्ड ऑफ मार्च, ६० और टू बी कम्पलीटेड हैं १,१२६। तीसरी योजना में ६,६५० बनने हैं। ये सब लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम-वालों के लिये हैं। तो जो आपने कहा कि मकान नहीं बने तो मैंने यह इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि ४५४५ मकान बने हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं समझती हूं कि मैंने जो कुछ कहा है वह ठीक है। मकान तो बन गये मालूम होते हैं और उनको अरबों तक पूंजी पहुंच गई है लेकिन जो योजनायें बनी हैं वे ठप्प पड़ी हैं; साल-साल, दो-दो साल से। अगर माननीय मंत्रीजी चाहेंगे तो मैं उनको बता सकती हूं।

श्री सभापति : आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहती हैं?

डॉ० चन्द्रकला : मैं सदन से अपना

Page No.85

(डॉ० चन्द्रकला)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने क्लॉज़ २ में प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज़ ३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १ प्रिएम्बल इत्यादि

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान हाउसिंग स्कीम्स (लैंड एक्विज़िशन) बिल, १९६० का क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि, विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान हाउसिंग स्कीम्स (लैंड एक्विजिशन) बिल, १९६० को पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६०

(विचारार्थ एवं पारित)

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेब्टेड-नैस (अमेंडमेंट) बिल, १९६० को विचारार्थ लिया जाय।

सभापति महोदय, यह सिर्फ इतनी सी बात है कि बैंक की डेफीनिशन को अमेन्ड

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करना पड़ रहा है क्योंकि रिज़र्व बैंक ने हमको इसके लिए लिखा है। It is only a formal amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनैस (अमेंडमेंट) बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इनडेटेडनेस (अमेंडमेंट) बिल, १६६० को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

मारवाड़ विवाह निधि प्रशासन विधेयक, १६६०

(प्रवर समिति को)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मारवाड़ मैरेज फण्ड एडमिनिस्ट्रेशन बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय।

मैं समझता हूं कि इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में काफी विस्तार से दिया हुआ है। वह माननीय सदस्यों ने समझ लिया होगा कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। इस फण्ड को किसी चेरिटेबल या एज्युकेशनल पर्पजेज़ के लिए काम में लाने के लिए लॉ बना कर उसको रेग्युलेट करने के लिए ही यह बिल है और इसीलिए इस बिल को पेश किया गया है। जो मैरेज फण्ड है उसका उपयोग किस तरह से बेहतर से बेहतर तरीके से किया जाये, उसके लिए कानूनन दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि जो जो जागीरदार हैं और जिन्होंने इसको कन्ट्रीब्यूट किया था उनका ऐतराज हो सकता है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इसका किस तरह से उपयोग किया जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह फण्ड जो है जोधपुर स्टेट के अन्दर जितने भी इन्कम्बेन्ट्स एस्टेट्स थीं और जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में आ गई थीं उनसे १ पर्सेन्ट लिया जाता था और एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता था। क्योंकि जागीरदारों की बहिनें या लड़कियें थीं उनकी मैरेज के लिए उनको मदद मिल सके, इसलिए यह फण्ड एकत्रित किया गया था। वह जोधपुर स्टेट के बाद जब राजस्थान बना और उसके बनने के बाद यह कोर्ट ऑफ वार्ड्स खत्म हो गई और जागीरदारी खत्म हो गई इसलिए जो कुछ फण्ड उसमें बाकी है उसके लिए एक प्रपोज़ल था कि चौपासनी का जो स्कूल है या बोर्डिंग हाउस है उसके अन्दर यह रुपया दे दिया जाये और गवर्नमेंट करीब करीब उस प्रपोज़ल को मान ही रही थी लेकिन यह डिफिकल्टी सामने आई कि जब तक कोई लॉ न हो उस समय तक हम फण्ड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हो सकता है

Page No.87

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कि किसी को ऐतराज हो। इसलिए उसको रेग्युलराइज़ करने के लिए इस लॉ को पेश किया गया है।

डॉ० चन्द्रकला : जो जो राशि कन्सोलीडेटेड फण्ड में आ जायेगी तो सरकार उसको तो चाहे जैसे खर्च कर सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां लिखा है ?

डॉ० चन्द्रकला : इसमें लिखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Perhaps there is some doubt. Let me clarify it. She might not like to move her motion thereafter. आपके कहने का मतलब यह है कि कन्सोलीडेटेड फण्ड में आ जायेगा तो चाहे जिसमें खर्च किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। आप लॉ को देखेंगे तो इसमें लिखा है 'Marriage fund shall be vested in the Government for the purposes....' और किस पर्पज़ के लिए खर्च करना होगा, मैरेज के लिए या किसके लिए, वह इसमें है। इसलिए आपके कहने का मतलब यह है कि वह कन्सोलीडेटेड फण्ड में आ जायेगा और सरकार चाहेगी उसमें खर्च करेगी, यह बात नहीं है। जो पर्पज़ स्पेसिफाइड है उसी में खर्च करेगी।

डॉ० चन्द्रकला : इसमें केवल यह लिखा है कि शिक्षा या पुण्य कर्मों में करेंगे। तो शिक्षा का खर्च करने का क्या रूप होगा, इसका निर्णय कौन करेगा ?

श्री सभापति : Now you (Dr. Chandrakala) move your amendment.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : इसके पहले मैं यह अर्ज करूंगा कि जनरल डिस्कशन करके इस पर कुछ विचार करें।

श्री सभापति : She has to put a motion that the Bill be referred to the Select Committee. So let her move it first.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मारवाड़ विवाह निधि प्रशासन विधेयक, १६६० सदन में विचरार्थ प्रस्तुत है। जैसा कि इसके उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है यह निधि भूतपूर्व जोधपुर रियासत के जागीरदारों के कन्ट्रीब्यूशन से एकत्र हुई है और यह आज की नहीं बहुत पुरानी निधि चली आ रही है और पहले इसका उपयोग जैसा कि सदन में बताया गया है जागीरदारों की लड़कियों के विवाह आदि में सहायतार्थ होता था। लेकिन अब जो निधि है जैसा कि इसमें बताया गया है कि यह निजी ऋणों में नियोजित है और पर्सनल डिपोज़िट अकाउन्ट नं० ३६ में जमा है। तो यह तो बात ठीक है कि अब रियासतें नहीं रही, जागीरदार नहीं रहे तो यह निधि राज्य के नियन्त्रण में आ जानी चाहिए और उसका उचित उपयोग हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस विधेयक के द्वारा, इस निधि को कैसे खर्च किया जाये, इसके बारे में व्यवस्था दी हुई है। किसी भी तरह से किसी को कर्ज देकर इसको खर्च नहीं किया जायेगा या किसी और तरह से खर्च नहीं किया जायेगा ; लेकिन यह शैक्षणिक और पुण्यार्थ के कामों में खर्च किया जायेगा। तो यह तो बहुत अच्छी बात है कि इस राशि

(डॉ० चन्द्रकला)

को इस तरह से खर्च किया जायेगा। लेकिन जो शैक्षणिक कार्य होंगे, क्योंकि कानून में शैक्षणिक कामों की परिभाषा बहुत लम्बी चौड़ी हो सकती है और पुण्य के कामों की तो उससे भी ज्यादा लम्बी-चौड़ी परिभाषा हो सकती है, उस निधि का उपयोग इस तरह से हो सकता है; यह कौन निर्धारित करेगा? अच्छा होता यदि इस विधेयक को थोड़ा सा और स्पेसिफाइड बना दिया जाता और यह बता दिया जाता कि यह इस तरह से राशि खर्च होगी। तो उसके लिए सरकार एक निगम बनायेगी जो कि जोधपुर कमिश्नर और कुछ भूतपूर्व जागीरदारों को मिला कर बनेगा और जो उस राशि को खर्च करने के बारे में तय करेगा। लेकिन उस निगम को मार्ग दर्शन के लिये सरकार की ओर से कोई निर्देशन होता कि इस राशि को इस तरह से खर्च किया जायेगा; जैसे कि शैक्षणिक काम हैं, किसी स्कूल को देना है या किसी दूसरी संस्था को देना है तो वह तो सरकार आज भी अनुदान के रूप में सहायता देती है लेकिन यह एक निधि है, यह एक स्मारक के रूप में इतने लम्बे समय से चली आती हुई निधि है और एक बड़ा पुण्य प्रयोजन इस निधि का है इसलिए यदि इसको एफिशियेंसी बढ़ाने के लिए या छात्रवृत्ति वगैरह का या कोई ऐसा स्थायी रूप दिया जाय तो इसका उपयोग भी होता रहेगा अच्छी तरह से। जैसा कि मैं समझती हूं पौने दो लाख रुपयों की राशि है इसका किसी भी तरह से इस तरह से उपयोग हो कि कोई छात्रवृत्ति आदि देने के रूप में उपयोग हो। नहीं तो पुण्य कार्य के लिए तो किसी मंदिर को ही दे दिया तो वह भी पुण्य कार्य हो जायेगा और फिर हमारे मंत्री महोदय देवस्थान विभाग के भी मंत्री हैं तो उन्हें हर काम में पुण्य ही पुण्य दिखाई पड़ेगा तो वह तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा वाइडर रूप दिया जाता, इसका वाइड स्कोप रख दिया जाता तो अच्छा था। एक निगम जो इस पर नियंत्रण रखेगा, इस राशि को चाहे जैसे खर्च करने की व्यवस्था करेगा। इसके लिए स्पष्ट उल्लेख करके यह निधि अगर छात्र-वृत्तियां वगैरह दी जाने में लड़के-लड़कियों के शिक्षण के काम में आये तो निश्चित रूप से यह खर्चा उपयुक्त तरीके का हो सकता है। यह नहीं कि एक मुश्त किसी स्कूल को या छात्रावास को दे दी जाय। वैसे इसमें और कोई बात नहीं है। केवल एक निधि पड़ी हुई है उसको खर्च करना है जिसके लिए सरकार कानूनी प्रावधान चाहती है। सिर्फ इसको किस तरह से खर्च करें, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है और मेरी मंशा जरूर है कि इस निधि का सुन्दर से सुन्दर उपयोग होना चाहिए और सरकार के नियंत्रण में अच्छी तरह से उपयोग हो सकता है। मैं मानती हूं कि अब पूर्व व्यवस्थाएं बदल गई हैं इस व्यवस्था से इसका सुन्दर उपयोग हो सकता है, लेकिन इसको किस तरह से खर्च किया जाय, किस उपयोग में आए, इस पर विचार करने की दृष्टि से ही मैंने यह संशोधन रखा है कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा): मैं इस बिल का स्वागत करते हुए साथ साथ माननीय सदस्या ने जो संशोधन रखा है उसका और भी ज्यादा स्वागत करता हूं। इसका कारण यह है कि जिस भावना से

(श्री अनूपसिंह)

यह बिल लाया गया है वह तो मैं समझता हूं कि शुद्ध भावना है और ठीक है और ठीक काम के लिए यह बिल लाया गया है। परन्तु इस बिल को और ठीक बनाने के लिए, इसके अन्दर जो त्रुटियां हों उनको अलग करने के लिए, उनको हटाने के लिए प्रवर समिति को इसे सौंप दिया जाय ताकि उसमें जो खामियें होंगी वे भी नहीं रहेंगी। हालांकि मैं मानता हूँ कि जिस भावना से और ठीक काम के लिए यह बिल लाया गया है तो उसके साथ साथ यह भी है कि इसको प्रवर समिति को सौंप कर उसके अन्दर डिटेल में जांच लें और इस डिटेल के बारे में मैं अर्ज कर दूं कि....

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूं, वे जोधपुर की तरफ के हैं और यह निधि भी उस इलाके की है, माननीय सदस्य का उससे ज्यादा सम्बन्ध है, उनका फंड है और वे भी यह चाहते हैं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(विराम)

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Once upon a time....

श्री अनूपसिंह : जो इस सम्बन्धी बातें हैं मैं अर्ज कर दूँ....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सलेक्ट कमेटी में उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री अर्जुनदास : लम्बा नहीं करेंगे, थोड़ा ही होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : I can very well wait for that.

श्री अनूपसिंह : इसी सत्र के अन्दर जो कमेटी अपॉइन्ट हो वह रिपोर्ट पेश करे।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसी सत्र में ही करना है तो आज ही क्यों नहीं कर सकते ?

We have got a lot of time left. I was conceding only because the Hon'ble Member from that side, I mean from Jodhpur, wanted that.

श्री अनूपसिंह : एक सप्ताह के लिए रख दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : My experience is that ordinarily it will be difficult for the Select Committee to meet and finish early. ये मेम्बर्स आयेंगे नहीं और यह अगले सेशन के लिए चला जायेगा। Now this is for you to do it.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : फोर्टनाइट के लिए रख लीजिए।

श्री अनूपसिंह : लम्बा हो जायेगा। थोड़ी डिटेल अर्ज कर दूं, उनको इन्कॉर्पोरेट कर दीजिए अमेंडमेंट के रूप में।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is difficult for me to accept any amendment which the Hon'ble Member off hand

(श्री दामोदरलाल व्यास)

proposes. मेरे पास कोई अमेंडमेंट तो नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डॉ० चन्द्रकला का जो प्रस्ताव है कि मारवाड़ विवाह निधि प्रशासन विधेयक, १९६० को प्रवर समिति को भेजा जाय, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम जो हैं वे कल दे दिए जायेंगे।

श्री सभापति : We now adjourn to meet tomorrow at 11. A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ३ बज कर ३० मिनट पर दिनांक २ सितम्बर, १९६० के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, १ सितम्बर, १९६०)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ
भरतपुर जिले के बांधों की मरम्मत व बाढ़ रोकने हेतु प्रावधित रकम में से हुआ व्यय।	१७०२
सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ का हैडक्वार्टर।	
मांड कलां, ग्राम नगर में भरने वाले वार्षिक मेले के प्रबन्ध हेतु आमंत्रित टेन्डर्स।	
श्री एस. पी. मैनी, भूतपूर्व एस. डी. एम. फतहपुर के विरुद्ध मानहानि के दावे की वांछित स्वीकृति	
मांग्या माली, मंडावरा, कस्बा लालसोट द्वारा किया गया मृत्यु भोज।	
विकास खंड, सांगानेर द्वारा वितरित फलदार वृक्ष।	
बांसवाड़ा जेल में फरार की हुई औरत तथा हैड वार्डर दशरथ की गिरफ्तारी का मामला।	
प्रान्त में मिडवाइफ नर्सों की कमी की पूर्ति।	

	स्कम्भ
श्री मोहनलाल सारस्वत, भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका रतनगढ़ के विरुद्ध होने वाली जांच	
कृषि प्रदर्शनी, दिल्ली के राजस्थान पैविलियन में प्रदर्शन हेतु कलाकारों के कार्य के सम्बन्ध में।	
यमना डेयरी के पास की जमीन पर बसाई जाने वाली बस्ती।	
बांसवाड़ा जिले में काश्तकारों को कन्ट्रोल रेट पर टीन के कोटे का अलॉटमेंट।	
पुलिस हैडक्वार्टर के तत्कालीन डी. वाई. एस. पी. श्री दुबे के विरूद्ध कार्यवाही।	
समकक्ष योग्यता वाले कम्पाउन्डरों की तुलना में नर्सों को प्रमोशन देने में प्राथमिकता।	
तहसीलदार को हथियारों के लाइसेन्स देने के अधिकार	
राज्य में महिला डॉक्टरों की कमी।	
पुष्कर में स्थायी एवं सुविधाजनक बस स्टेन्ड की व्यवस्था।	

कृषि विभाग के मुकद्दमों का वेतन ।

कोटा जिले की वर्षाभाव-प्रसित मैदानी तहसीलों: बड़ौद, इटावा आदि के पंचायत केन्द्रों पर चारे का स्टॉक ।

पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, बांसवाड़ा तथा थानेदार श्री ननूसिंह, बांसवाड़ा के स्थानान्तरण ।

एस. डी. एम. की अदालत-वाली जगह पर प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश न रखा जाकर उसी सब-डिविजन की अन्य तहसील में रखना ।

अलवर में प्रधान मंत्री के आगमन पर हुये सम्मेलन के समय चावल लाने हेतु प्रदत्त लाइसेन्स ।

मौजा निम्बाहेड़ा में हुई नकबजनियों पर की गई कार्यवाही ।

विधाई कार्य

विचारार्थ लिए गए विधेयक

१. राजस्थान सरकार विद्युत प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) विधेयक, १९६० १७७३

श्री हरिश्चन्द्र, प्रभारी मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, डॉ० बहादुरसिंह ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) डा० चन्द्रकला
(२) श्री लक्ष्मण हीरात
(३) श्री दयाकृष्ण विजय
(४) श्री तेजमल बापना
(५) श्री शंकरलाल
(६) श्री शिवचरणदास
(७) श्री पुरुषोत्तमलाल
(८) श्री रामचन्द्र (१२६)
(९) श्री हरिप्रसाद यादव
(१०) श्री सूबेदारसिंह
(११) श्री किशनसिंह बाटड़

प्रभारी मंत्री के उत्तर के पश्चात् डॉ० बहादुरसिंह ने अपना संशोधन-प्रस्ताव वापिस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक

सदन द्वारा पारित भी किया गया।

२. राजस्थान गृह व्यवस्था योजना (भूमि-अवाप्ति) विधेयक, १९६० १८२७

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय डॉ० चन्द्रकला ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री शंकरलाल
(२) श्री हीराभाई
(३) श्री दयाकृष्ण विजय
(४) श्री सोहनलाल भटनागर
(५) श्री मुक्तिलाल मोदी
(६) श्री लादूराम सुलाणिया
(७) श्री सूबेदारसिंह
(८) श्री हरिप्रसाद यादव

राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् डॉ० चन्द्रकला ने अपना संशोधन-प्रस्ताव वापिस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

३. राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६० १८७१

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री के प्रस्ताव पर उपरोक्त विधेयक विचारार्थ लिया गया।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

४. मारवाड़ विवाह-निधि प्रशासन विधेयक, १९६० १८७१

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर डॉ० चन्द्रकला ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

स्कम्भ

संशोधन-प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया जाकर विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया। सदस्यों के नामों की घोषणा बाद में करने का निश्चय हुआ।

सदन की बैठक ३ बज कर ३० मिनट पर दिनांक २ सितम्बर, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

स्कम्भ

शुक्रवार, दिनांक २ सितम्बर, १९६० की कार्य-सूची

(१) राजस्थान जमीदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६० (प्रवर समिति को)

(२) राजस्थान स्मारक, पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा प्राचीन वस्तु विधेयक, १९६० (खण्डशः विचार-विमर्श)

(३) मारवाड़ विवाह निधि-प्रशासन विधेयक, १९६० (प्रवर समिति को)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७३ का उत्तर देखिये)

M&R	Expenditure
(1) Regular temporary watch and ward staff of B' pur Sub-Dn.	81879.20
(2) Survey charged staff of inspection Bungalow and WorkRest House	1473.34
(3) Survey work of Baretha Section.	159.50
(4) Survey work in Bharatpur Section	436.61
(5) Collecting and carriage tramway material in D' pur Section.	756.50
(6) U/R to Ramsagar bund for Kharif fasel R Do to tail for running canal.	489.00
(7) U/Repairs to Khanwa Branch R. D. O. of Ram Sagar	351.00
(8) Restoration of Bachondi Bund in Teh. Rupbas	1557.99
(9) Carting Wooden feanks from store on different bunds in Bharatpur section.	639.00
(10) Restoration of Hindol Bund	—
(11) Closing breaches and repairs to W/W of Mortha Bund in Tehsil Rupbas.	2786.00
(12) Closing breaches of Kandoli Bund in Tehsil Rupbas.	4599.00
(13) Engaging temporary staff for work of Fasal Kharif and Rabi. Samwat 2016	240.00
(14) Closing breaches of Sakarpur canal near Railway bridge No. 74 at Singaoli Village in Tehsil Rupbas	6435.00
(15) Closing breaches of Sirondh Bund in Tehsil Rupbas.	8013.00
(16) Closing and Digging culvert near Police Line Bharatpur	14.31

(17) Closing breaches of Mahalpur Kachi Bund in Tehsil Rupbas	
(18) Restoration and Closing breaches of Cahlow bund in Teh. Rupbas	5216.00
(19) Restoration of Barkhera Bund	3116.00
(20) Repairs to Bara Bundli	2613.00
(21) Disilting river bed of Gambhir iRiver below Railway bridge No. 74 near Singaoli Village	2946.00
(22) Restoration of Sawantgarh bund in Teh. Bayana	5480.00
(23) Restoration of Dundibund in Tehsil Bayana	1133.00
(24) Supplying sluice flanks for Bharatpur Sub-Division.	1192.00
(25) Supplying and fixing boundary stone at Girraj Canal	705.00
(26) Painting Iron shutters in Bharatpur Section	41.45
(27) Carting sluice flanks-Nadbai Section	84.00
(28) Providing ron shutters to Halena Canal head regulator in Nadbai Section.	1360.00
(29) Putting cross dam in Ban Ganga infront of Halena Canal.	1619.00
(30) Putting cross dam in Ban Ganga River infront of	1155.00
(31) Repairs to Darsoni Cross dam	964.00
(32) Providing spurs on the inner slope of Marginal Bund below lalpur canal head in Ban Ganga River.	949.00
	67701.91
(33) Removing earth from skew bridge of Halena canal	169.00
(34) Rapairs to Husna Bundli.	3119.00
(35) Making approach Bundli from Khanwa Bund to Jindpur Village.	4441.00

Page No.97

(36) Restoration of Baseri Bund.	1140.00
(37) Restoration of Nayagaon Bund.	797.00
(38) Repairs to guide bank of Upper Halona bund along road.	40.00
(39) Restoration and closing breaches of par Bund in Teh. B'pur.	997.00
(40) Restoration of New Bailora Bund.	1515.00
(41) U/R to Bareri Bund.	746.00
(42) U/R to Ramsagar Bund.	2420.00
(43) Closing breashed and Restoration of Rena Bund.	1864.00
(44) Repairs to Sursena Feeder channel.	1362.00
(45) Rainy reason staff of Bharatpur Sub-division.	1457.00
(46) Closing breaches of Dehana canal.	458.00
(47) Doli cutting from of canals in B'pur Section.	10.00
(48) Carting sluice flanks-B'pur section.	155.00
(49) Closing breach and repaire to banks of Baikhera in Teh. Bayana.	2707.00
(50) U/R to Urmila Bund.	63.00
(51) U/R to Meghasagar sluice head in Dholpur.	142.00
(52) U/R to sluice of D. S. Railway Jheel.	99.00
(53) U/R to sluice of Urmila Sagar Bund.	337.00
(54) Carting flanks-Dholpur Section.	120.00
(55) U/R to Urmila Sagar Canal.	431.00
(56) Putting cross dam in Ban, Ganga river in front of Bathena Canal.	4421.00
Total	29110.00
	67701.91
	29110.00
	96811.91

EXPENDITURE ON LFOOD CONTROL WORK FROM 4/60 to 7/60

	Expenaiture.
(1) Flood regulating works of Ban Ganga & Gambhiri River in Bharatpur.	105477.33
(2) Raising Afflux Bund above Secla Regulator.	7052.97
(3) Construction of protection Bundli around the villagers in the Submarged area of Khanwa.	11669.00
(4) Supplying and fixing iron shutters in regulators and weirs of Ajan Bund.	287.00
(5) Disilting homes canal from crossing Dig Road Mile 5 to Moti Jheel Bund.	6866.00
(6) Remodelling of Girraj canal in Bharatpur section from R. D. O. to 57.80	300.00
(7) Raising of Khanwa Bund.	13133.37
(8) A/A on Khanwa Bund regulator at Ch. 69 to 98	14529.00
(9) Providing and strengthening the Marginal Bund U/S of Lalta Mundia canal.	2134.00
(10) Making protective band arorend Salabad village.	6794.00
(11) Raising of Chiksana Bund.	265.00
Total—	168504.67

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २८४ का उत्तर देखिये)

MURALS AND MURAL STYLE PAINTINGS

(Including relief and Wire Murals)

Rs· 35.00 per sq. ft. for relief and wire murals

Rs. 25.00 per sq· ft. for flat murals and miscellaneous.

RAJASTHAN LALIT KALA AKADAMY ARTISTS.

1.	Shri	Kripal Singh (Relief & Flat murals)	Jaipur.
2.	Shri	Dwarka prasad	,,
3.	Shri	Choyal	Udaipur
4.	Shri	Bhoor Singh.	Pilani
5.	Shri	Tilak Raj.	Delhi.
6.	Shri	D. N. Gosh.	Jaipur.
7.	Shri	Laxmi Narain	,,
8.	Shri	Ram Gopal Vijaivargia	,,
9.	Shri	Devkinandan	Banasthli (Jaipur)
10.	Shri	Ram Niwas Verma	,,
11.	Shri	Kesar Deo Agrawal	Pilani
12.	Shri	Surat Singh.	,,

OTHERS

1.	Shri	Prakash	Ajmer.
2.	M/S.	Artifacts	Jaipur.
3.	Shri	Walia	Delhi.
4.	Shri	B. Joshi.	,,

TRANSLITE COLOURING

1.	Shri	Ganpat Lal Vyas	Bikaner.

Page No.100

III WOOD-CARVINGS

1. Shri Mal Chand — Churu.

IV PANELS

(Flat, 3-D and working type)

1. M/S Jodhpur Arts. — Jodhpur.
2. M/S Modello — Jaipur.
3. M/S Prakash Publicity — Ajmer.
4. Shri Zawail — Lucknow.
5. Shri Soni. — Delhi.
6. M/S Gurcharan Singh & Co. — ,,

V MODELS DOLIS AND RELIEF MAP

(Including Biological models and maps)

1. M/S Santan Dharm Moortikar. — Jaipur.
2. Shri G. D. Ganu. — Pilani.
3. Shri R. B. Kazi. — ,,
4. Bhartiya Lok Kala Mandal. — Udaipur.
5. M/S. Krishna Model Manufacturing. — Delhi.
6. M/S. R. K. Marola and Co. — Patila/Delhi.

(Cartoons)

1. Shri T. Samual — Delhi.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ का उत्तर देखिये)

एवासरलाल राम

लिस्ट दूकानदारान जिनको २६११, १३ परमिट से चावल व चना आयात करने का लाइसेन्स दिया गया

क्रम संख्या	नाम दूकानदार	नम्बर व तारीख	चना	चावल	कहां से आयात करने का परमिट दिया
१	२	३	४	५	६
१.	ग्रेन सप्लाई कम्पनी अलवर	२५५१,५३ / २९-१-५९	१००० मन चने की दाल	—	गंगानगर से
२.	,,	२२४८,५० / २९-१-५९	५००० मन चने की दाल	—	,,
३.	,,	२३९९,२४०१ / ५-२-५९	२००० मन चने की दाल	—	,,
४.	,,	२४२४,२६ / ६-२-५९	२००० मन चना	—	कोटा से
५.	,,	२३४६ / ६-२-५९	५००० मन चना	—	गंगानगर से

Page No.102

१	२	३	४	५	६
६.	जवाहरलाल राम मतमल, अलवर	२६११,१३ —— १८-२-५६	१०० टन चने की दाल	—	गंगानगर से —
७.	मैसर्स तुलसीराम किशोरीलाल	मार्च, १६५६	—	५५० मन	यु. पी. से

———

शुद्धि-पत्र

(गुरूवार, दिनांक १ सितम्बर, १९६०)

स्कम्भसंख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१७२२	१४	श्री हीराभाई ।	श्री हीराभाई :
१७२३	६	वहां मेजी	वहां मेजी
१७२५	१३	दिक ही	दिन ही
१७३०	२	मतलब था यह	मतलब यह था
१७३४	अन्तिम से ३	का रिल्युज़शन	का रिज़ोल्युशन
१७५१	११	१२ (मध्यान्त)	(१२ मध्यान्ह)
१७९२	अन्तिम	एक्नसटेशन दिया	एक्सटेन्शन दिया
१७९४	,, से ४	को सौंप कर न	को न सौंप कर
१८११	,, ,, ६	विद्यत मन्त्री	विद्यु त मन्त्री
१८२९-१८७१	शीर्षक	भूमि अवप्ति	भूमि अवाप्ति
१८४६	११	पर ले ल ।	पर ले ले ।
१८४८	अन्तिम से ७-९	संशोधन को मूव किया है उन्होंने इसकी जिन्होंने इस रिपरिट को माना है ।	जिन्होंने इस संशोधन को मूव किया है उन्होंने इसकी रिपरिट को माना है ।
१८६०	२७	स्कुपेलेटिव प्राइसेज़	स्पेक्युलेटिव प्राइसेज़
१८६६	४	लिया गया है ।	लिया गया ।
१८७२	१४	ऑफ एग्रीकल्चरस	ऑफ एग्रीकल्चरल
१८८७	पंक्ति १५ के सामने	१८७१	१८७२
१८९०	पंक्ति २१ के सामने	४५९९.००	४५९०.००
१८९१	१७	Providing ron	Providing iron
१८९३	१७	band arorend	band around